खण्ड-313, अंक-2
बुधवार, 30 माघ, शक संवत् 1896
(19 फरवरी, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 313 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 19 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष; श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--387

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)।
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ , श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौसल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी. श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)।
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दघीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव,श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्थू सिंह यादव, श्री

नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल वधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री

बाबू लाल बर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री

मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री

राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री

सुखदा मिश्रा, श्रीमती	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री	स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती	हर प्रताप सिंह, श्री
सुन्दर लाल कुरील, श्री	हरिकेवल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री	हरिराम, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	हरीश कुमार गंगवार, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	हिम्मत सिंह, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री	हुकुम सिंह, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब	हुब राज, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)	हेमराज, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री	

नोट—सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 19 फरवरी, 1975

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले के लिये आवंटित बाजरे की काले बाजार में बिक्री

**1—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या खाद्य मन्त्री की जानकारी में हाल में कोई ऐसा मामला आया है जिसमें अभावग्रस्त गाजीपुर जिले में लगभग चार सौ टन बाजरा के घोटाला का मामला पकड़ा गया है जो सस्ती दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिये सरकार द्वारा भेजा गया था ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है तथा शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? दोषी लोग कौन-कौन हैं ?

**खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जी हां। शासन को सूचना मिली कि गाजीपुर में सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता में वितरण हेतु शासन द्वारा आवंटित 400 टन बाजरा जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की साजिश से काला बाजार में चला गया। शासन द्वारा तुरन्त दो वरिष्ठ अधिकारियों को जांच हेतु नियुक्त किया गया। 21 जनवरी, 1975 व 22 जनवरी, 1975 को इन अधिकारियों ने मामले की जांच की। उनकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है जिससे विदित होता है कि जिस प्रयोजन हेतु गाजीपुर जिले के सूखाग्रस्त इलाकों में वितरण हेतु मोटा अनाज आवंटित किया गया था वह पूरा न हो सका। पूर्ति विभाग के स्टाफ ने भी वितरण पर कड़ी निगरानी न रख कर गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। गाजीपुर के जिला पूर्ति अधिकारी व एरिया राशनिंग आफिसर अपने पद पर तदर्थ रूप से कार्य कर रहे थे। चूंकि उनका कार्य इस प्रसंग में

संतोषजनक नहीं पाया गया। अत: उन्हें प्रत्यावर्तित करके अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। जिला पूर्ति कार्यालय के एक एकाउन्टेन्ट तथा दो पूर्ति निरीक्षकों को दिनांक 23 जनवरी, 1975 को निलम्बित कर दिया गया था। अन्य दोषी पूर्ति निरीक्षकों को निलम्बित करने के आदेश भी शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के स्टेनोग्राफर व हेड क्लर्क को भी मन्डल से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है। 47 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये हैं। इन 47 दुकानदारों में से 19 के विरुद्ध आवश्यक वस्तुयें अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस में केस दर्ज करा दिया गया है और उसमें पूर्ति कार्यालय के निलम्बित एकाउन्टेन्ट को भी अभियुक्त बनाया गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

इस सम्बन्ध में शासन ने जो पुलिस में रिपोर्ट लिखायी है, एफ0 आई0 आर0 उसकी प्रतिलिपि माननीय मन्त्री जी पढ़ने की कृपा करें तो सवाल पूछने में आसानी होगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है। हमारे पास अपने विभागीय अधिकारियों की तरफ से जो सूचना थी जिसके ऊपर हमने कार्यवाही की है और की जा रही है उसके आधार पर हमने विस्तृत जवाब दे दिया। इसको मैं स्वीकार कर रही हूं। जो गलतियां हुईं उन पर विभागीय कार्यवाही की गयी। उसके बाद आग कार्यवाही कर रहे हैं। रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

पूर्ति कार्यालय के निलम्बित एकाउन्टेन्ट को अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में रिपोर्ट निश्चित रूप से लिखायी गयी है। मेरा आरोप है कि पहले बाजरे का घोटाला कांड हुआ। यह दूसरा बाजरा का कांड है जिसमें 4 सौ टन बाजरा का घोटाला हुआ है जो सारा का सारा काला बाजार में बेच दिया गया है। यह जानकारी है कि वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह की साठ-गांठ के कारण सारा काम हुआ है, इसकी जानकारी है या नहीं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जहां तक जिला कांग्रेस कमेटी का सवाल है, जिला कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री अवधेश नारायण का तार आया था जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि सरकार को कि गाजीपुर में इस तरह के 4 सौ टन बाजरा जिला पूर्ति अधिकारी के विभाग की तरफ से दिया गया। इसकी तुरन्त जांच की जाय। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने इसकी सूचना दी। किसी और दूसरे दल के लोगों ने नहीं दी, इसलिये दलगत राजनीति--मैं माननीय सदस्यों से दोबारा कहूंगी कि यह कोई दलगत राजनीति का वाल नहीं है। यह तार कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी की तरफ से आया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

श्रीमन्, मेरा आरोप यह है कि मन्त्री जी जान बूझ कर रिपोर्ट नहीं बता रहीं हैं और सदन को गुमराह कर रही हैं। केवल एकाउन्टेन्ट को अभियुक्त बनाने की बात कही गई है। यहां दलगत राजनीति का कोई सवाल नही है। रोज हम समाचार-पत्रों में कांग्रेस मन्त्रियों के ऊपर आरोप पढ़ते हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, यह भ्रष्टाचार का सवाल है। जब कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री द्वारा नोटिस में लाया गया तो शासन ने इसके ऊपर तत्परता से कार्यवाही की है। इसको माननीय सदस्य दलगत राजनीति का सवाल न समझे। इस पर सख्ती से कार्यवाही की गई है। इसका एप्रीसियेशन होना चाहिये और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हम चार्ज करते हैं कि एफ0 आई0 आर0 न लाने का कारण केवल एक ही है कि इसमें राजनीतिक व्यक्ति शामिल है। जब अखबारों में निकल चुका है और माननीय सदस्य ने प्रश्न किया तो एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं आ सकी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मैं कोई चीज छिपाना नहीं चाहती हूं अभी हाउस लम्बा चलने वाला है। माननीय सदस्य फिर से कहें या दुबारा प्रश्न कर लेंगे तो वह सदन के सामने रख दी जायेगी। शासन की तरफ से कोई चीज छिपाने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया) —

मान्यवर, इसको स्थगित कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न बड़े महत्व का है। एक बाजरा कांड आ चुका है, दूसरा यह आया है। एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं आई। जब तक वह न आ जाये तब तक सवाल नहीं हो सकते हैं। आप इस पर एक-दो घंटे का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप सहमत हों तो माननीय त्रिपाठी जी ने जो कहा है उसमें उन्होंने थोड़ी सी भूल कर दी। प्रश्न के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा की बात तो समझ में आ सकती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं।

बस्ती जिले के किसान डिग्री कालेज के प्राध्यापकों द्वारा आमरण अनशन

**2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती के किसान डिग्री कालेज के प्राध्यापक कालेज परिसर में दिनांक 12 फरवरी, 1975 से आमरण अनशन पर अनिश्चित काल के लिये बैठ गये हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

जी हां।

उनकी मांगें संलग्न हैं।

शासन को यह सूचना मिली है कि प्रबन्ध समिति ने अपने समस्त अधिकार जिलाधिकारी बस्ती, जो कि इस कालेज की प्रबन्ध समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, को सौंप दिये हैं और अध्यापकों ने अपनी हड़ताल वापस लेली है। शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही पर विचार किया जायगा।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 125 पर)।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद —

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो शिक्षक संघ के द्वारा किसान डिग्री कालेज, बस्ती की ओर से पैम्फलेट जारी किया गया है और उसमें आठ मांगें बताई गई हैं कि अध्यापकों से जबरदस्ती इस्तीफा लिखाना, फर्नीचर क्रय करना तथा अध्यापकों के बकाया वेतन आदि में घोटाला हुआ है और कुछ टीचर्स को किसी बैंक से और कुछ को किसी बैंक से चेक दिया जा रहा है और आठ मांगों में से कौन-कौन सी शासन मान चुका है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, सबसे पहले कोशिश यह की गई कि जो बकाया उनका है वह अध्यापकों को दिला दिया जाय। बाकी जो मांगें हैं उनको जिलाधिकारी देख कर पूरा करगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[* * * * * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह गलत है। आप जो प्रश्न है उसके बारे में पूछें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो जिलाधिकारी हैं वे क्या एक हफ्ते के अन्दर इन अध्यापकों की मांगें पूरी कर देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, एक हफ्ते में तो नहीं हो पायेगा। उनकी कई मांगें हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि वह अपनी तरफ से समय बता दें कि उनकी मांगें कब तक पूरी करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब तो दे चुके हैं।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही ये सब चीजें पूरी हो जायं।

* * *

श्री चन्द्र शेखर (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों की कौन-कौन सी मांगें हैं और उनकी कौन-कौनसी मांगें स्वीकार की गई हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह लिखी हुई हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अध्यापको की जो मांगें हैं, उन पर जो गुजरी हैं, उन पर जो गलतियां या बुराइयां हुई हैं उनके सम्बन्ध में जो वे अनशन कर रहे हैं, उनकी सही ढंग से जांच करायेंगे और जो मुलजिम पाये जायेंगे उनको सजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अनशन तो टूट गया।

श्री रामजी लाल सहायक—

जांच-पड़ताल होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री यह स्वीकार करने की कृपा करेंगे कि जो मांग-पत्र अध्यापकों ने दिया है, उसमें प्रबन्धक को हटाने की बात की है और वाइस चान्सलर, गोरखपुर ने भी इस बारे में पत्र दिया है। वह प्रबन्धक कालेज छोड़कर भाग गया, शासकीय आदेशों की अवहेलना की। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि प्रबन्धक को हटा कर उस यूनिवर्सिटी को अपने नियन्त्रण में लेकर कालेज को चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जो नियमानुसार कार्यवाही उचित समझी जायगी, वह की जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत महत्व का प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष—

2 सवाल अभी श्री फिरंगी प्रसाद विशारद और काशीनाथ मिश्र पूछ लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, इस कालेज के सम्बन्ध में लोगों की राजनैतिक घपलेबाजी है। कुलपति ने लिखा है कि प्रशासक नियुक्त कर दिया जाये। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको प्रशासक नियुक्त करने में कौन सी कठिनायी है।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरी भाषा में बोले। आक्षेप न हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय काशी नाथ मिश्र हमेशा गलत सूचना के आधार पर प्रश्न करते हैं।

R A
7086

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी को प्रशासक नियुक्त करने में कौन सी कठिनाई है ?

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

माननीय काशीनाथ जी बतायें कि वहां का अध्यक्ष कौन है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसके अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं।

श्री रामजी लाल सहायक—

नियमानुसार जो भी कार्यवाही उचित होगी उसको हम करेंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शासन को कुलपति की संस्तुति प्राप्त हुई है कि वहां पर प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाये। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक प्रशासक क्यों नहीं नियक्त किया गया है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

इसी को माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद ने पूंछा है तो आप क्यों खड़े हो गये।

श्री रामजील लाल सहायक—

मान्यवर, मने सना नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इनका कहना है कि जब विश्वविद्यालय की संस्तुति है तो प्रशासक नियुक्त करने में क्यों विलम्ब हो रहा है ? क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मेरे पास इस सवाल के जरिए यह चीज आयी है। मैं पूरे मसले को देखूंगा। मेरे पास यह आज आया है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जो ने अभी तक इसको देखा ही नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब माननीय मन्त्री जो को पूरी इन्फार्मेशन नहीं है तो सवाल को दूसरे दिन के लिये पोस्टपोन कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मन्त्री जी कह रहे हैं पूरी सूचना नहीं है और इसको देखेंगे

श्री मधुकर दिघे--

लोगों की जान खतरे में है। उत्तर भी आया नहीं आया है। आमरण अनशन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अध्यापकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

श्री ललिता प्रसाद दुबे, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सलेमपुर, देवरिया का अवशेष वेतन

*1--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री ललिता प्रसाद दुबे, राजकीय आदर्श विद्यालय, पडरौना, देवरिया एवं वर्तमान प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सलेमपुर, देवरिया को 150 से 350 वेतन-क्रम का भुगतान शिक्षा निदेशक के दिनांक 20 जून, 1972 एवं दिनांक 23 अक्तूबर, 1972 के आदेशानुसार अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

चूंकि दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से 2 नवम्बर, 1966 तक की अवधि में श्री दुबे किसी स्थायी राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यायक के पद पर कार्यरत नहीं थे, अतः उन्हें रु0 150-350 का वेतन-मान नहीं दिया गया था। किन्तु इस सम्बन्ध में दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 को श्री दुबे ने जो प्रत्यावेदन दिया है उस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री ललिता प्रसाद दुबे ने शासन से जो पत्र-व्यवहार किया है तो उसके फलस्वरूप शासन ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। मैं जानना चाहता हूं कि वह स्पष्टीकरण क्या थे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

श्री दुबे ने जो पहला प्रत्यावेदन दिया था वह अस्वीकृत कर दिया था। दूसरा जो प्रत्यावेदन दिया उस पर स्पष्टीकरण मांगा था। उसमें यह बात आई है कि नियमत: उनको वही वेतन-क्रम मिलना चाहिए जो औरों को मिल रहा है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्या स्पष्टीकरण मांगा था ? और श्री दुबे ने क्या उत्तर दिया ?

श्री अध्यक्ष--

उसका हल तो उन्होंने बता दिया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

उसके मूल में क्या है ? क्या स्पष्टीकरण मांगा था और श्री दुबे ने क्या उत्त दिया ? यह कोई बड़ी गाथा नहीं है और न महाभारत है ? इन्होंने इसे बहुत दिनों तक लटकाया है?

श्री रामजी लाल सहायक—

श्रीमन् इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल (जिला वारणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि आदेश हो गये हैं देने के, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि प्रार्थी को कब तक भुगतान कर दिया जायगा, अर्थात् कब तक फाइनलाइज कर दिया जायगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैं यह कह सकता हूं कि शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जायगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 1 अप्रैल, 1965 से 2 नवम्बर, 1966 तक की अवधि में श्री दुबे किसी स्थायी राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्याक के पद पर कार्यरत नहीं थे, तो मैं पूंछना चाहता हूं कि जो राजकीय आदर्श विद्यालय, पडरौना जनपद देवरिया में है इस स्थान पर श्री दुबे 2 बार प्रधानाध्यापक के पदपर नियुक्त हुए, यह विद्यालय इनकी सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका दूसरा प्रश्न है। आपके पहले प्रश्न का हल तो इन्होंने बता दिया है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

शासन इस पर विचार विमर्ष कब तक करता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—

अपने उत्तर में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शीघ्र करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन् 6 महीने में तो इस प्रश्न का उत्तर सदन में आया है तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि उनका विचार विमर्ष कब तक चलता रहेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि शीघ्र ही हम इसका निपटारा करेंगे।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुहम्मदपुर, जिला आजमगढ़ के सहायक अध्यापक के निलम्बन काल का वेतन

*2—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुहम्मदपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का कोई सहायक अध्यापक दिनांक 21 अक्तूबर, 1970 को निलम्बित किया गया था और आज तक निलम्बन आदेश समाप्त नहीं हुआ है और कोई भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत गड़बड़ है। यह दिनांक 7 सितम्बर, 1974 का प्रश्न है। दिनांक 1 जनवरी, 1975 को अन्तरिम उत्तर आया था, तो क्या बात है। एक ही आदमी का मामला है। (श्री पुरुषोत्तम कौशिक के खड़े होने पर) मुझे भी ऐसा लगा है कि इसमें देरी हुई है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय आपके प्राइवेट हैं, वे जल्दी उत्तर नहीं देते लेकिन इसमें तो कोई कार्यवाही करनी ही चाहिए?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं, जिनके ऊपर पूरा प्रकाश अभी नहीं आया है। जब वे आ जायेंगे, तभी पूरा उत्तर दिया जा सकता है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, अध्यापक को निलम्बित हुए साढ़े 4 वर्ष हो गये हैं, और इस निलम्बन की अवधि में उसको नियमानुसार एक पैसा भी वेतन का या उसका कुछ हिस्सा नहीं मिला है और आपके जिला विद्यालय निरीक्षक की अक्षमता के कारण इस अध्यापक के साथ ज्यादती हुई है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करके कोई आदेश शीघ्र प्रसारित करने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। 15 दिन के बाद इसका फिर उत्तर आयेगा। अगर वे जवाब इस समय नहीं देते हैं तो हम क्या करें जो रियायत हम दे सकते हैं, उतनी हमने अवश्य दी है।

खीरी जिला परिषदीय हायर सेकेन्डरी स्कूल से सम्बन्धित शिकायती पत्र

*3—श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्व्यवस्था योजना कृषि फार्म, जिला परिषदीय हाई सेकेन्डरी स्कूल, कस्बा जिला खीरी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं सम्बन्धी कितने शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी को 1 मई, 1974 से 8 अगस्त, 1974 के बीच मिले। मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

प्राविधिक माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

7 शिकायती पत्र मिले।

उक्त पत्रों में उल्लिखित मुख्य शिकायतें निम्नवत हैं—

(1) गन्ने का विक्रय मूल्य कृषि की पासबुक में न जमा करना।

(2) प्रसाराध्यापक से कृषि कार्य न करा कर इसे एक अनधिकृत समिति द्वारा सम्पादित कराना।

(3) फार्म के नौकर के मनमाने कार्य के कारण रबी के गेहूं की उपज की क्षति होना।

(4) प्रसाराध्यापक को जूनियर हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा लेने के लिये आकस्मिक अवकाश देना।

(5) प्रधानाचार्य द्वारा गेहूं की उपज अपने पास रख लेना।

मामले में कार्यवाही की जा रही है।

[बुधवार, 19 फरवरी, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री किरंगी प्रसाद विशारद—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र

*2—श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा) (अनुपस्थित) तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जनपद की विधायिका, श्रीमती श्यामा देवी ने बस्ती जनपद के पालीटेक्निक के प्रिंसिपल के विरुद्ध माह सितम्बर, अक्तूबर, 1974 में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक—

अगस्त, 1974 में बस्ती जनपद की विधायिका श्रीमती श्यामादेवी ने प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की सूचना भेजी थी। इस सम्बन्ध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, की आख्या एवं संस्तुति मांगी गयी थी। इस मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा और इस प्रश्न में भी है कि श्रीमती श्यामा देवी विधायिका हैं और उन्होंने सितम्बर, 1974 में शिकायती-पत्र दिया था, दस महीने हो रहा हैं, अभी तक आख्या ही मांगी गयी है भ्रष्टाचार की निश्चित शिकायत मन्त्री के पास आये और अभी तक आख्या न आये, तो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित जो शिकायतें विधायकों द्वारा की जायं उसमें रपट के लिये कोई निश्चित समय निर्धारित करेंगे या नहीं और क्या इससे स्वच्छ प्रशासन की तस्वीर धूमिल नहीं होती?

श्री रामजी लाल सहायक—

जिस अधिकारी के सम्बन्ध में शिकायतें हैं उसकी जांच करायी गयी है और शिकायतें पायी गयी हैं। अब यह विचार हो रहा है कि उसका क्या किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

यह शिकायतें क्या-क्या थीं और किस तारीख को आपने उसके बारे में आख्या मांगी?

श्री रामजी लाल सहायक—

शिकायतें थीं शराब पीने की, छात्रों से रुपये ले कर दाखिला देने की, हरिजन छात्रों को भरती न करने की और कर्मचारियों को गाली देने की।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो रिपोर्ट मांगी गयी है वह किस से मांगी गयी है, किस तारीख को मांगी गयी है और शराब पीने के बारे में कौन रिपोर्ट करेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

प्राविधिक शिक्षा निदेशक इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

शराब पीने की बात जो आपने बतायी इसको देखते हुये क्या आप शराबबन्दी कानून लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह जनरल सवाल है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जो आख्या मांगी गयी है वह मिलते ही तुरन्त कार्यवाही करेंगे या आख्या मिलने पर कुछ व्याख्या लगाने की बात करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपने स्वयं व्याख्या लगा दी। (हंसी)।

*3—श्री रघुबीर सिंह—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

*4—श्री अनवार जमील—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

राजकीय तथा अन्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का नया वेतन-मान

*5—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री मूल चन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के गैरसरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूलों, इन्टरमीडिएट कालेजों एवं बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाले जिला परिषदीय तथा नगरपालिका क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को नया वेतनमान कब से दिया गया है ? तथा प्रदेश के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को नया वेतनमान शासन द्वारा कब से दिया जावेगा और इन्हें अभी तक नये वेतनमान क्यों नहीं दिये गये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतनमान 1-8-72 से पुनरीक्षित किए गए और तत्पश्चात् 1-11-73 से उन्हें राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों के समान वेतनमान प्रदान किए गए। बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत

कार्य करने वाले जिला परिषदीय तथा नगरपालिका क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन मान 1–8–72 से पुनरीक्षित किए गए थे। कालांतर में 1–2–74 से इन अध्यापकों के वेतन मान पुनः संशोधित किए गए। सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री मूल चन्द राजपूत––

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में जो जूनियर कक्षाओं को अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको सी० टी० और बी० टी० सी० का ग्रेड दे दिया गया है। इसी प्रकार जो मान्यता प्राप्त म्युनिसिपैलिटी के स्कूल हैं उनमें भी सी० टी० और बी० टी० सी० के ग्रेड दे दिये गये हैं तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी उनको भी नया ग्रेड देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक––

यह शासन के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द राजपूत––

जब और सब जगह दे दिया गया है तो यहां क्यों नहीं दिया जा रहा है .....

श्री अध्यक्ष––

उन्होंने कहा तो है कि विचाराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

क्या चमोली और उत्तर काशी के जिलापरिषदों के स्कूलों के अध्यापकों को नया वेतनमान नहीं दिया गया है, यदि हां, तो उनके मामले में क्या हो रहा है, कब तक दिया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक––

एक उपसमिति की अभी एक बैठक हुई थी उनके मामले पर विचार के लिये मगर उसमें कोरम नहीं हुआ, वह फिर होने वाली है। उस पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)––

यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक––

संसाधनों से इसका संबंध है, वित्त विभाग विचार कर रहा है फिर विधायिका विभाग विचार करेगा। कुछ समय तो लगेगा ही।

श्री ऊदल––

क्या शिक्षा अधिकारियों को तार द्वारा नया वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश प्रसारित किये गये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक––

इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी––

पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में कब तक विचार हो जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक––

मेरा अनुमान है कि एक दो माह लग जायेंगे।

गोंडा जिले के बाढ़-ग्रस्त ग्रामों में बंधा निर्माण की मांग

*6—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं बाढ़ डिवीजन, गोंडा के माध्यम से शासन को 22-11-74 से 30-11-74 के बीच कोई पत्र बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में बंधा बनवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

इस प्रकार का पत्र उक्त तिथियों में प्राप्त नहीं हुआ। अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस तिथि को न सही, अन्य किसी तिथि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हो रही है उस पर ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वहां के लिये प्लान बनवा लिया है, हम वहां की बाढ़ की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

यह काम कब तक हो जायेगा ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

हम देख रहे हैं, प्लान बन कर आ गया है। बहुत जल्दी काम शुरू हो जायेगा।

*7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री अठई राम—

[2रे गुरुवार में प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी मंडल के सहायक अभियन्ता का निलम्बन

*8—श्री तेज बहादुर (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वाराणसी मंडल में कितने सहायक अभियन्ता, निर्माण विभाग, माह सितम्बर, 1974 से माह अक्तूबर, 1974 तक निलम्बित किये गये और उनके निलम्बित किये जाने का क्या कारण था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

केवल एक सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया है। निलम्बन का कारण यह है कि जौनपुर में बन रहे गोमती पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों पर प्रारम्भिक जांचोपरान्त पाया गया कि निर्माण दोषपूर्ण था। चूंकि निर्माण कार्य उन सहायक अभियन्ता की देख-रेख में था इसलिये उन्हें निलम्बित किया गया ।

देवरिया जिले के सिंचाई विभाग के ओवरसियर, श्री प्यारे लाल गुप्ता का निलम्बन

*9—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के सिंचाई विभाग, प्रथम खंड (नलकूप), उप खंड तृतीय के ओवरसियर, श्री प्यारे लाल गुप्त गम्भीर घोटाला करके मई, 1972 से फरार हुये हैं ? यदि हां, तो उन्होंने कौन-कौन से वर्क आर्डर दिये थे और उनमें से कितने ठेकेदारों ने अपना काम पूरा कर दिया और कितनों को पूर्ण भुगतान दे दिया गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

श्री प्यारे लाल गुप्ता ओवरसियर (अवर अभियन्ता), सिंचाई खंड द्वितीय, देवरिया के तृतीय उपखंड के गौरी बाजार अनुभाग में कार्यरत थे। श्री प्यारे लाल गुप्ता, ओवरसियर को दिनांक 1-8-73 से बगैर छुट्टी गैरहाजिर रहने और अन्य आरोपों के सम्बन्ध में निलम्बित कर दिया गया है। इनके आरोपों के जांच के सम्बन्ध में श्री बी0 के0 जैन, अधिशासी अभियन्ता, नारायणी शाखा निर्माण खंड; गोरखपुर जांच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जांच पूर्ण होने पर बताया जा सकेगा कि श्री गुप्ता के विरुद्ध गंभीर घोटाला है या नहीं।

ओवरसियर (अवर अभियन्ता) ठेकेदारों के वर्क आर्डर देने के लिये सक्षम नहीं है। अतः श्री गुप्ता द्वारा ठेकेदारों को वर्क आर्डर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीनारायण--

कौन-कौन वर्क आर्डर रहे जिनके अन्दर ठेकेदार लोग काम करते रहे और आकर देख-भाल ओवरसियर प्यारेलाल गुप्ता करते रहे ? सारा सामान उबेच के खा गइल और सब ठेकेदार लोग के पैसा दे देहले और अब बैठल बाड़े।

श्री अध्यक्ष--

अंग्रेजी और हिन्दी को एक में न मिलाइये। देहाती बोली में बयान करने से औरों की समझ में नहीं आता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, आप उनके प्रश्न का रूपान्तर कर दें।

श्री श्रीनारायण--

कौन-कौन वर्क आर्डर दिये गये थे जिनकी देखभाल ओवरसियर श्री प्यारेलाल गुप्ता कर रहे थे और उस वर्क आर्डर के अन्दर कौन-कौन ठेकेदार काम कर रहे थे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैंने अर्ज किया कि उन्होंने कोई वर्क आर्डर नहीं दिया था।

श्री श्रीनारायण--

उन्होंने वर्क आर्डर नहीं दिया, लेकिन वे जो देखभाल कर रहे थे, कौन-कौन कामों की देखभाल कर रहे थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री बाबू लाल वर्मा--

श्री प्यारे लाल गुप्ता के खिलाफ जांच की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

अब जांच की कार्यवाही हो रही है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी पूरी हो जायेगी।

श्री बाबूलाल वर्मा--

समय बतलाइये कि कितने समय में पूरी हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मेरा कहना है कि आप जितनी जल्दी कहें उसमें हो जाय।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी ने समझा नहीं, माननीय सदस्य के पूछने का मतलब यह है कि वर्क आर्डर तो सहायक अभियन्ता करते हैं, तो सहायक अभियन्ता ने कितने ऐसे वर्क आर्डर्स किये थे जिनकी देखभाल उक्त ओवरसियर गुप्ता कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष--

आप ब्योरे का सवाल कर रहे हैं जब कि यह सीमित प्रश्न है।

श्री ऊदल--

मैं जानना चहता हूं कि ओवरसियर ने वर्क आर्डर नहीं किया, सहायक अभियन्ता ने किया लेकिन उस काम को पूरा कराने के लिये जिम्मेदारी ओवरसियर की थी, तो कितने ऐसे काम थे जिनकी देखभाल उक्त ओवरसियर श्री गुप्ता कर रहे थे और वे काम कितने रुपये के थे ?

श्री अध्यक्ष--

यह बहुत तफसील का सवाल है ।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)--

जो जांच आप करा रहे हैं वह किसके जरिये करा रहे हैं ? इसलिये कि हमें ऐसे मालूमात हैं कि जो सबसे करप्ट इंजीनियर है उसके सुपुर्द यह जांच कर दिया गया है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

वे तो श्री जैन हैं, अगर आप बतलायेंगे तो दूसरा बदल दिया जायेगा।

श्री श्रीनारायण--

जांच रिपोर्ट सदन का पटल पर रखे के आश्वासन देत बानी कि रखब ?

(कुछ क्षण पश्चात्)

श्री अध्यक्ष--

आप आश्वासन देते हैं कि उसकी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

आप कहें तो जरूर अर्ज कर दूंगा कि उसमें क्या हुआ है।

जिला परिषदों को शिक्षा व्यवस्था पुनः सौंप देने के सम्बन्ध में जानकारी

*10--श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जिला परिषदों को शिक्षा व्यवस्था (जो विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् को सौंप दिये गये थे) पुनः वापस करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

इटावा जिले के उदी ग्राम के पुल का निर्माण

*11—श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद इटावा, चम्बल (उदीग्राम) के पुल का निर्माण किस वर्ष से शुरू किया गया और कब उसको समाप्त होना था ? क्या यह पुल पूर्णतः निर्मित हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

पुल का निर्माण कार्य दिनांक 3 जनवरी, 1966 को शुरू किया गया था तथा वर्ष 1969 में समाप्त होना था। यह पुल पूर्णतः निर्मित हो चुका है और दिनांक 1 जनवरी, 1975 से यातायात के लिये खोल दिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल का निर्माण कार्य तो सन् 1969 में समाप्त हो जाना चाहिये था लेकिन पुल पहली जनवरी, 75 को चालू हुआ है, तो इतना समय बनने में क्यों लगा ? और इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, आपने पूछा था कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, कब इसको बनकर तैयार हो जाना चाहिये था और क्यों नहीं हुआ ? अब अलग से सवाल कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें 5 वर्ष की देर हुयी है, अगर सन् 1969 में ही हो जाता तो कम खर्च होता और अब ज्यादा खर्च हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

देरी का सवाल तो पहले उठाना चाहिये था।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

इस पुल के निर्माण होने में विभिन्न बाधायें होती रही हैं। उनमें से जो मुख्य हैं वह यह हैं :—

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

इसमें मुख्य बाधायें यह थीं—

पहले तो पुल के बनाने के लिये कुओं को गलाने में कठिनाई हुयी क्योंकि नीचे पक्की चट्टानें आ गयी थीं। दूसरे जिस वक्त कार्य चल रहा था ठेकेदार के घर में एक बड़ी डकैती पड़ गयी। तीसरे वहां पर जमीन ऊबड़-खाबड़ होने के कारण सामान को पहुंचाने में कठिनाई हुयी। इस कारण इसमें देरी हुयी। जब कोई कार्य शुरू हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा पूरा हो जाता है तो कांट्रेक्टर को बदलने में कठिनाई होती है। एक तो दूसरे कांट्रेक्टर को करने से स्टीमेट कैंसिल करना पड़ता है और दूसरे प्राइस भी बढ़ जाती है। इसलिये यह प्रयास किया जाता है कि जिसने काम शुरू किया है उसी से पूरा कराया जाय। यह कारण थे इसलिये देर लगी है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, अगर इसको सन् 1969 में समाप्त कर दिया जाता तो कितना खर्च होता और अब समाप्त हुआ है तो कितना खर्च हुआ है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

पहले जो स्टीमेट था वह 114.20 लाख रुपये का था जो बढ़कर 127.38 लाख रुपये हो गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि ठेकेदार के यहां डकैती पड़ गयी थी और कुंआ खोदने में चट्टान आ गयी थी तो यह चीज तो इंजीनियर्स की जानकारी करने की थी, उनको इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिये थी कि ऐसा करने से पहले जांच कर लें, वह नहीं की गयीं । इस कारण से पैसा ज्यादा खर्च हुआ तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

इसमें किसी की जिम्मेदारी हो, ऐसा प्रश्न नहीं है । अगर कार्य करते समय यह मालूम हो जाता है कि पैसा बढ़ाया जाना चाहिये तो वह बढ़ा भी दिया जाता है ।

खेड़ा हेलू डिवीजन, इटावा के अन्तर्गत माइनर का निर्माण

*12--श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माइनर, खेड़ा हेलू डिवीजन इटावा, जिला इटावा लुहिया के पुल दाहना कुलावा नम्बर 21, डिवीजन नहर शाख इटावा लगभग 2 वर्ष पूर्व निर्माणार्थ शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्न का प्रथम भाग--

जी नहीं, इस माइनर का निर्माण जुलाई, 1974 में स्वीकृत किया गया था ।

प्रश्न का द्वितीय तथा तृतीय भाग--

इस माइनर के निर्माण के लिये भूमि लेने की कार्यवाही की जा रही है तथा भूमि मिल जाने के बाद धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब आरम्भ कर रहे हैं और इसको कब समाप्त कर देंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, पैसा तो आपको 31 मार्च तक मिल ही जायगा तो क्या अप्रैल में इस कार्य को शुरू कर देंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

बहुत जल्दी काम शुरू करादेंगे ?

बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति

*13—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बेसिक शिक्षकों को बी० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिये 21 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 तक अवैतनिक अवकाश पर भेजने का तथा 1 जुलाई, 1974 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो ऐसे बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों को 1 जुलाई, 1974 से शिक्षण सेवा हेतु न बुलाने के कारण क्या हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इसमें यह उत्तर दिया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। परन्तु मैं निवेदन करूं कि कल तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था लेकिन आज उत्तर मिल गया है इसलिये मैं आपकी आज्ञा से यह बता दूं कि जिस राजाज्ञा का जिक्र है उसमें इस वर्ष परीक्षाफल अगस्त के आखिर में निकला और जुलाई में भर्ती होती है। इसलिये ट्रेन्ड अध्यापक कुछ बच गये अत: उन्हें रोजगार में नहीं लगाया जा सका। यही कारण है। अब यह आदेश दे दिये गये हैं कि जो प्रशिक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गयेहैं उनको ट्रेन्ड वेतनक्रम देकरके नौकरी में लगाने की व्यवस्था की जाय और जो अनुत्तीर्ण हो गये है उनको फिर मौका दिया जाय जिससे वे ट्रेन्ड हो जायं और उनको रोजगार में लिया जा सके।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा वह मुझे नहीं मिला है। मेरा प्रश्न था कि 21 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 तक अवैतनिक अवकाश पर जो बी० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे 1 जुलाई, 1974 से शिक्षाण कार्य करने के क्या आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो आदेश को पढ़कर सुना दें ?

श्री रामजी लाल सहायक—

आदेश की प्रतिलिपि मेरे पास नही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि जो अनट्रेन्ड हैं उनको एक मौका और दिया जायेगा लेकिन होता यह है कि बी० टी० सी० में भर्ती के लिये इतने लोग आ जाते हैं कि उनको मौका नहीं मिलता है। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो अनट्रेन्ड हैं भर्ती करने के लिये उनको प्राथमिकता देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

हर साल यह होता है कि जो अनट्रेन्ड काम कर रहे हैं उनको पहले मौका दिया जा रहा है जिससे कि वे अपने को प्रशिक्षित करलें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि मौका तो दे दिया है लेकिन बी० टी० सी० के लिये वह भर्ती नहीं करते हैं। इसलिये ट्रेनिंग देने के लिये उन अध्यापकों को प्राथमिकता क्या देंगे जो अनट्रेन्ड हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मैंने तो बता दिया कि उनको मौका दिया जा रहा है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मंत्री जी ने बताया कि शासन द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया था कि जो लोग अपरिहार्य कारणों से ट्रेनिंग नहीं कर सकें उनको पुनः सेवारत रखा जाय। यदि अभी तक उनको तैनात नहीं किया गया तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी नियुक्ति के आदेश कब तक प्रसारित कर देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, यह प्रश्न विचाराधीन है और अभी निर्णय लेने वाले हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, इस संबंध में एक पत्र प्रकाशित किया गया था कि जो अध्यापक अपरिहार्य कारणों से ट्रेनिंग नहीं कर सके उनको फिर से सेवा में लगा दिया जाय। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि उन लोगों को सेवा में नहीं लगाया गया है। इसलिये मेरा प्रश्न है कि क्या इस प्रकार के आदेश आप प्रसारित करेंगे कि उस शासन के आदेश के अनुसार उनको सेवा में पुनः रख लिया जाय ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मैंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है।

बहराइच जिले के बघेल ताल से निकले नाले पर पुल की मरम्मत

*14--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8 मई, 1974 से 15 मई, 1974 के बीच कोई पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि बहराइच जिले में प्रयागपुर स्थित बघेल ताल से निकले नाले पर धनपार ग्राम के पास बना पुल टूट जाने से उपरोक्त ग्राम के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां।

बहराइच जिले में प्रयागपुर स्थित बघेल ताल से निकले नाले पर धनपारा ग्राम के पास बन हुये लकड़ी के पुल की मरम्मत करा दी गयी है और आमदरफ्त में कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

जो बघेल ताल से नाला निकाला गया है तो वहीं भैंसा गांव है। वहां भी पुल टूट गया है। क्या माननीय मंत्री जी उसकी मरम्मत कराने की भी व्यवस्था करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो प्रश्न को बहुत व्यापक बना रहे हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर, इनसे तो बात हो चुकी है।

*15--श्री भगवती सिंह विशारद--

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

मेरठ शहर के चौराहे पर डा० अम्बेदकर की मूर्ति की स्थापना

*16--श्री मोहन लाल कपूर (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि मेरठ वासी, डा0 अम्बेदकर की मूर्ति की स्थापना मौराव गेट (मेरठ शहर) के चौराहे पर जहां से ग: व हापुड़ के मार्ग गये हैं, कराना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में सरकार को भारतीय बौद्ध महा सभा, मेरठ का कोई प्रार्थना पत्र भी हाल में प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने चौराहे पर मूर्ति स्थापित करने हेतु विभाग की अनुमति चाही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां ।

मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

बस्ती जिले की कौआताल झील की विचाराधीन जल निस्तारण योजना

*17--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला की तहसील बांसी, विकास खंड मिठवल में कौआताल झील है जिसमें हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि डूबी रहती है ? यदि हां, तो उससे पानी निकालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, बस्ती जिले की तहसील बांसी के विकास खंड मिठवल में कौआताल झील है जिसमें जमा पानी से लगभग 2.300 एकड़ भूमि डूबी रहती है। झील से पानी को निकालने की योजना विचाराधीन है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने कहा कि विचाराधीन है तो इसके लिये धन्यवाद । लेकिन जो सूचना आपको मिली है वह एकदम सही नहीं है। तीन हजार एकड़ भूमि सदैव डूबी रहती है। सरकार मलगुजारी लोगों से वसूल करती है जबकि वह भुक्खड़ इलाका है। तो क्या सरकार अगले वर्ष पानी की निकासी का प्रबन्ध कर देगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैं समझता हूं, जरूर हो जायगा ।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक--

यह जो जल निकासी की व्यवस्था है तो क्या और जिलों में भी, खास तौर से देवरिया की पडरौना तहसील में, इंतजाम करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जहां आप बतलायेंगे जरूर करेंगे ?

स्वायत्त शासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*18--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रूखाबाद)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में कतने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वायत्त शासन इकाइयों द्वारा संचालित हैं तथा इनमें से बहुतों के अध्यापकों को वेतन वितरण

समय पर नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षण संस्थाओं में वेतन वितरण नियन्त्रित करने के लिये वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक--

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 40 जिलों में स्वायत्त शासन इकाइयों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 89 है । शेष जिलों के सम्बन्ध में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। स्वयात्त शासन इकाइयों द्वारा संचालित कुछ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का वेतन वितरण समय से न हो पाने की सूचना शासन को मिली है। इन संस्थाओं को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जबकि स्वायत्त शासन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की इतनी बड़ी संख्या है और यह शिकायतें हैं कि कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाते तो फिर इनमें और निजी संस्थाओं में अन्तर क्यों किया गया और यहां भी वेतन वितरण का भार सरकार ने अपने ऊपर ही क्यों नहीं लिया ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, वेतन वितरण अधिनियम माध्यमिक विद्यालयों के लिये पारित किया गया था। उसमें केन्द्र द्वारा और स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं को बाहर रखा गया।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

उत्तर से सम्बन्धित। उन्होंने कहा कि सरकार के विचाराधीन है तो क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार कब तक निर्णय ले लेगी। लोगों को चार-पांच महीने तक वेतन नहीं मिला है ।

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, वेतन न मिलने की शिकायतें हैं। कमिश्नर और जिलाधिकारियों को लिखा गया है कि इन संस्थाओं से वेतन दिलाने की व्यवस्था करें।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं हरिजनों के लिये कर मुक्त सिंचाई सुविधा की मांग

*19--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर तथा हरिजन कृषकों को सिंचाई के कर से मुक्त करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह सुविधा कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई दरें सिंचित क्षेत्र और जल की मात्रा के अनुसार लगाई जाती हैं। सिंचाई सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की हैसियत के अनुसार सिंचाई दरों में भेद करने का कोई प्राविधान नहीं

श्री अठई राम--

क्या माननीय सिंचाई मंत्री उन हरिजन लोगों को जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है और समय पर पानी नहीं मिलता, कभी बिजली नहीं मिलती, आदि के कारणों से सिंचाई नहीं हो पाती है, और जबरदस्ती उनसे वसूलयायी होती है, उनको सिंचाई कर से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बता तो दिया कि किसी से भेदभाव नहीं करेंगे ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अहाइच जिले में रामपुर बांध के कारण वहां पर कई रोज तक लगातार पानी भरा रहा और उसके कारण उन भूमिहीन काश्तकारों की कोई फसल नहीं हुई और कुछ की फसल चौपट हो गई, तो क्या उनको सिंचाई शुल्क से मुक्त करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जहां ऐसी कोई चीज होती है वहां इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ किया जाता है। अगर आप लिख कर देंगे तो मैं देख लूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर का अर्थ जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि जिनके पास भूमि न हो तो उनके खेतों की सिंचाई का सवाल कहां उठता है । भूमिहीन का मतलब जिनके पास खेत न हों ।

श्री अध्यक्ष--

मान लीजिये किसी के पास एक बिस्वा या एक बिस्वांसी भूमि हो, तो क्या उन्हें आप भूमिहीन नहीं मानेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

भूमिहीन की परिभाषा एक ही होगी। चौधरी चरण सिंह जी बैठे हैं उनसे आप पूंछ लीजिये कि किसी भी कानून में ऐसा नहीं किया गया कि जिनके पास एक बिस्वा या एक एकड़ खेत हो वह भूमिहीन है। उसे अनएकोनोमिक होल्डिंग कहेंगे। भूमिहीन उनको माना गया है जिसके पास भूमि न हो ।

श्री अध्यक्ष--

मान लीजिये कि किसी का घर है और उसके घर के आगे आधा बिस्वा जमीन है तो क्या वह भूमिहीन नहीं है। सवाल का पहलू यह भी हो सकता है कि हमने जो सवाल स्वीकार किया उस समय सरकार की परिभाषा ऐसी हो।

श्रम एवं न्याय मंत्री (राज मंगल पांडेय)--

मान्यवर पहले 3 1/8 एकड़ तक किसानों को भूमिहीन कहा जाता था। अब वह परिभाषा बदल गई है और उसके अनुसार जिसके पास एक इंच भी भूमि न हो, वह भूमिहीन है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, एक नीति विषयक प्रश्न पूंछना चाहता हूं। मान्यवर, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार हरिजनों के उत्थान के लिये और बहुत से कानून सरकार बना रही है तो क्या हरिजनों को जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन है उनको सिंचाई कर से मुक्त करने की कृपा करेगी प्रदेश भर के किसानों को ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह उत्तर पहले ही दे दिया कि वह सिंचाई के मामले में वह भेदभाव नहीं करेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मान्यवर, यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है, जिसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया। मैंने यह स्पष्ट पूछा है कि क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी उन हरिजन कृषकों को सिंचाई-कर से मुक्त करेंगे जो एक एकड़ तक के किसान हैं जिससे उनका उत्थान हो सके। मैं यह प्रश्न सम्बन्धित प्रश्न के संदर्भ में ही पूछ रहा हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जा चुका है कि कोई जमीन के बारे में अथवा सिंचाई के सम्बन्ध में भेदभाव नहीं करेंगे ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

एक एकड़ तक की जोत वाले हरिजनों को क्या सरकार भूमिहीन मानेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

गाजियापुर, तहील घोसी, जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी से कटाव

*20—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियापुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के सामने घाघरा नदी के कटाव के कारण हाहा नाला बंध के कट जाने से नदी का गाजियापुर के ताल में पानी आ जाता है और फलस्वरूप गत वर्ष एवं इस वर्ष की बाढ़ से हजारों रुपये की हानि सर्वोदय इन्टर कालेज, गाजियापुर के भवन की हुई है ? यदि हां, तो विद्यालय के भवन के बचाव के लिये उसकी ओर से कोई कार्य किया जायेगा जिससे विद्यालय का भवन क्षतिग्रस्त न हो सके ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

गाजियापुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के सामने बने हाहा नाला बांध के वर्ष 1965 की बाढ़ में कट जाने से इसे पीछे हटा कर बना दिया गया था। अब नदी का पानी गाजियापुर के ताल में नाले द्वारा आ जाता है। घाघरा नदी के पानी के गाजियापुर के ताल में आ जाने से सर्वोदय इण्टर कालेज, गाजियापुर के भवनों को कोई हानि गत वर्ष एवं इस वर्ष की बाढ़ से नहीं हुई है। बांध के निवृत्त हो जाने के बाद यह ग्राम, कालेज भवन तथा कुछ अन्य ग्राम जो पुराने व निवृत्त बांध के बीच पड़ते हैं, का बचाव प्राविधिक दृष्टि से सम्भव नहीं है तथा इसकी कोई योजना विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बदायूं जिले के नलकूप खंड के जूनियर इन्जीनियर का स्थानान्तरण

*21--श्री देवी सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड प्रथम, द्वितीय, बदायूं में कार्यरत जूनियर इन्जीनियर एक ही खंड प्रखंड सेक्शन में 5 वर्ष से भी अधिक समय से सेवारत हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां ।

इनके तबादले का आदेश नलकूप मंडल, कानपुर के लिये किया गया था, परन्तु मई, 1974 में इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर तबादला-आदेश सिर्फ दिनांक 30-4-1975 तक के लिये रोक दिया गया है।

नलकूप खंड प्रथम, बदायूं में सीमेन्ट पाइप की ढुलाई में ठेकेदारों को अधिक भुगतान

*22--श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 12" सीमेन्ट पाइप की ढुलाई की दरें नलकूप मन्डल, बरेली में 5 मील तक के लिये वर्ष 73 में क्या-क्या थीं ? क्या यह सही है कि कुछ स्थानों पर स्वीकृत दर से 5 गुना, 30 पैसा के स्थान पर 1 रु0 50 पैसा प्रति फिट की दर पर पाइपों की ढुलाई कराई गई ? यदि हां, तो नलकूप खंड प्रथम, बदायूं में किस-किस ठेकेदार को कितना-कितना अधिक भुगतान वर्ष 1973 में किया गया है और उसकी वसूली किस-किस से की जायेगी तथा इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

12" सीमेन्ट पाइप की ढुलाई की दरें नलकूप मण्डल बरेली में 5 मील तक की दूरी के लिये वर्ष 1973 में 30 पैसे प्रति फुट थीं। जी हां। नलकूप खंड प्रथम बदायूं में सर्व श्री याद राम, राम पाल एवं फूल सिंह ठेकेदारों को क्रमश: 15,475.20, 3,264.00 एवं 2,035.20 रुपये का अधिक भुगतान वर्ष 1973 में किया गया और उसकी वसूली उक्त ठेकेदारों के पेंन्डिग भुगतानों में से तथा शेष धनराशि दोषी व्यक्तियों से करने की कार्यवाही की जा रही है। अधिक दर देने के लिये उत्तरदायित्व निश्चित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

सिंचाई आयोग के गठन के आदेश का निरसन

*23--श्री मधुकर दिघे--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने डा0 राम नारायण पान्डे की अध्यक्षता में कोई सिंचाई आयोग गठित किया है ? यदि हां, तो इसकी क्या आवश्यकता थी और इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं, क्या इसी प्रकार का आयोग सरकार ने पहले भी गठित किया था ? यदि हां, तो उस आयोग ने कौन-कौन सी सिफारिशें की थीं और उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्न का प्रथम भाग--

ऐसे आयोग के गठन के आदेश नवम्बर, 1974 में जारी किये गये थे परन्तु इन आदेशों को दिसम्बर, 1974 में निरस्त कर दिया गया। अतः डा0 रामनारायण पाण्डे की अध्यक्षता में आयोग का गठन नहीं हुआ ।

प्रश्न का दूसरा हिस्सा--

सिंचाई आयोग जनवरी, 1972 में गठित किया गया था । इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिये दो साल दिये गये थे । लेकिन आयोग इस अवधि में अपनी रिपोर्ट नहीं दे सका, और जनवरी, 1974 में गठन के दो वर्ष बाद इसे भंग कर दिया गया ।

सार्वजनिक निर्माण बिभाग, टिहरी में व्याप्त अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र

*24--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, टिहरी में बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग एवं गबन के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र 15-7-74 को अथवा उसके आस पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां ।

श्रीराम पाल सिंह पवार, अवर अभियन्ता, डी0सी0यू0 (डिपार्टमेन्टल कन्सट्रक्शन यूनिट) भवन नं0 2, लखनऊ का शिकायती पत्र दिनांक 14-7-74 प्राप्त हुआ था । शिकायती पत्र में मुख्य शिकायत यह है कि टेहरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों में अनियमितताएं तथा गड़बड़ियां हुईं और आवश्यकता से अधिक कार्य प्रभारी कर्मचारी रक्खे गये तथा इन अनियमितताओं के फलस्वरूप 60 लाख रु0 की हानि हुई । शिकायती पत्र की जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा करवा ली गयी है, और मुख्य अभियन्ता की जांच आख्या पर विचार कर शासन को अपनी संस्तुति शीघ्र भेजने को अनुरोध किया गया है ।

*25--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

*26-27--श्री ऊदल--

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

*28--श्री त्रिवेणी सहाय--

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

*29--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[मंत्री-पद ग्रहण करने के फलस्वरूप निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

राजकीय एवं जिला परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में वेतनमान में असमानता

1—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला लखीमपुर खीरी) तथा श्री राम चरन शाह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत चलने वाले रा0 सी0 बे0 स्कूल तथा जिला परिषदीय सी0 बे0 स्कूलों में क्रमशः वेतन क्रम क्या है और दोनों के वेतन में यह अन्तर क्यों है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

2—श्री अनवार जमील—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

3—श्री अनवार जमील—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

4—श्री अनवार जमील—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

फर्रुखाबाद जिले के राष्ट्रीय विद्यामंदिर इन्टर कालेज, अकबरपुर के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल का निरसन

5—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, अकबरपुर में सन् 72–73 में सम्पन्न हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुये छात्रों के परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों और यह कब तक घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

हाई स्कूल परीक्षा, 1973 में राष्ट्रीय विद्या मंदिर इन्टर कालेज, अकबरपुर, फर्रुखाबाद केन्द्र के 9 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके गये थे क्यों कि इनके विरुद्ध यह आक्षेप था कि इनकी विद्यालय में कक्षा 9–10 में उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम थी और इन्हें अनियमित रूप से परीक्षा में प्रवेश कराया गया था ।

जांच कराने पर एक परीक्षार्थी का उपस्थिति प्रतिशत ठीक पाया गया, अतः उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया । शेष 8 परीक्षार्थियों के विरुद्ध आक्षेप सत्य पाया गया, अतः उनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई । तदनुसार सूचना संबंधित प्रधानाचार्य को भेज दी गई है ।

6—श्री बाबू लाल वर्मा—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

सिंचाई विभाग के हेड मिस्त्रियों का विचाराधीन वेतनमान

7––श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता अधिष्ठान–5 अनुभाग, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 7-इ0–5–17–बी–4/2 मिस/वेतन, दिनांक लखनऊ, 14 अप्रैल, 1974 के आधार पर वेतन आयोग द्वारा हेड मिस्त्री के पद का वेतनमान पुनरीक्षित करने के संबंध में जो आदेश अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर को भेजा है इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

उक्त पत्र द्वारा कोई आदेश नहीं भेजे गये थे बल्कि मौजूदा हालात की जानकारी दी गई थी। हेड मिस्त्री के वेतनमान के रद्दोबदल (पुनरीक्षण) का मामला जेरे गौर है।

सिंचाई विभाग के संगणकों की कथित अर्हकारी परीक्षा

8––श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में संगणकों को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु जिस अर्हकारी परीक्षा का प्राविधान शासनादेश संख्या 6765–1–72–23सी–1–281–71, दिनांक 23–5–73 में किया गया है और उसके कार्यान्वियन के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

प्रश्नगत शासनादेश में निहित आदेशों का कार्यान्वियन करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन आदेशों के बाद अभी कोई अर्हकारी परीक्षा नहीं हुई है।

गोरखपुर जिले के कतिपय बांधों की मरम्मत

9––श्री फिरंगी प्रसाद विशाद––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के इस वर्ष की बाढ़ से कटे एवं अपूर्ण किन-किन बांधों को टेस्ट वर्क में इस समय लेकर बनवाने की योजना है ? क्या इसमें इटौवा से सतकाटवा घाट, बड़हरा से बोडावार तक का अधूरा बांध, करधी (बरहीपार) तथा सराय मझगांवा (चितहरी थुन्ही बांध) का कटा बांध भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य में अलग अलग कितनी धनराशि खर्च होगी तथा बांध का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

वर्ष 1974 की बाढ़ से जनपद गोरखपुर में नौ अदद अविभागीय बांधों व एक विभागीय बांध को नुकसान हुआ है। इस वर्ष जर्दीडोमरा बांध, जो विभागीय है, को टेस्टवर्क्स के अधीन सिंचाई विभाग द्वारा मरम्मत एवं मजबूत किया जा रहा है। इस बांध पर लगभग 5 लाख रुपया खर्च होगा।

अविभागीय बांधों पर टेस्ट वर्क्स के अधीन कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाना है। इटौवा बांध पर कार्य 4–11–74 से आरम्भ हो गया है। शेष बांधों पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। उक्त बांधों की मरम्मत पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

10—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

मान्यता प्राप्त इन्टर कालेजों एवं हाई स्कूलों के मैनेजरों द्वारा अध्यापकों से त्याग पत्र का लेना

11—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त सभी इन्टर कालेज एवं हाई स्कूल के अध्यापकों से प्रिंसिपल व मैनेजर द्वारा पहले से त्याग पत्र लिखा लेने के संदर्भ में 22-8-74 को एक प्रार्थनापत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी— —

जी हां, कथित पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें दिया गया सुझाव कि अध्यापकों के त्याग पत्र हलफनामा एवं दो साक्षियों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक या उस क्षेत्र के परगनाधिकारी के समक्ष ही स्वीकृत किया जावे न कि प्रधानाचार्य और मैनेजर के समक्ष, पर विचार किया गया और वह व्यावहारिक न होने के कारण स्वीकार करना संभव नहीं हो सका।

फर्रुखाबाद जिले की सांडा झील का जलोत्सारण

12—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 4-7-74 को एक प्रार्थना पत्र जिला फर्रुखाबाद स्थित ब्लाक उमर्दा में "सांडा झील" के पानी के भराव के कारण करीब 1000 एकड़ जमीन डूबी रहने के सम्बन्ध में पानी के निकास के लिये नाले की खुदाई के लिये दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां।

इस मामले में प्राथमिक सर्वे हो चुका है और विस्तृत सर्वे शीघ्र कराया जा रहा है।

13-14—श्री केशरी लाल—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

15—श्री ऊदल—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

16—श्री मोहन लाल कपूर—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित]

17—श्री मोहन लाल कपूर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आजमगढ़ जिले के ग्राम दुबारी व रतोप में ट्यूबवेल निर्माण की मांग

18—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव दुबारी तथा ताल रतोप, परगना नत्थूपुर जिला आजमगढ़ का रकबा 66,000 एकड़ का है ? यदि हां, तो इन दोनों गांवों में सिंचाई हेतु अब तक क्यों ट्यूबवेल नहीं लगाया गया और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां ।

प्रश्नगत दोनों गांव दोहरी घाट पम्प नहर के सीकडी कोल माइनर के कमान्ड क्षेत्र में पड़ते हैं। अतः उक्त गांवों में नलकूपों के निर्माण कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज कस्बे में गर्ल्स इन्टर कालेज की स्थापना की मांग

19—श्री अनवार जमील—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज कस्बे में क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजकीय गर्ल्स इन्टर कालेज की स्थापना पर विचार करेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था के लिये कोई भी इन्टर कालेज या हाई स्कूल नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्तमान परिस्थितियों में इस समय कमालगंज में राजकीय इन्टर कालेज की स्थापना संभव नहीं है ।

20—श्री मन्ना लाल—

[उरे बुधवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की याचिका समिति (1973–74) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैं सभापति याचिका समिति की हैसियत से, उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की याचिका समिति (1973–74) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। इस प्रतिवेदन की पिछली (पंचम) विधान सभा की याचिका समिति (1973–74) ने अपनी 7 दिसम्बर, 1973 की बैठक में स्वीकार किया था और तदुपरान्त इसकी प्रतियां भी मुद्रित करा ली गयी थीं। किन्तु पंचम विधान सभा के विघटन की तिथि तक सदन का कोई उपवेशन न होने के कारण यह प्रतिवेदन सदन में उपस्थित नहीं किया जा सका ।

छठी विधान सभा की याचिका समिति का गठन होते ही उसकी प्रथम बैठक में इस प्रतिवेदन की प्रतियां समिति के सदस्यों को वितरित की गईं तथा समिति ने अपनी 10 फरवरी, 1975 की बैठक में यह निश्चय किया कि इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की याचिका समिति (1973-74) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मैं, सभापति याचिका समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की याचिका समिति (1973-74) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पंचम विधान सभा की याचिका समिति ने अपनी 17 दिसम्बर, 1973 की बैठक में यह निश्चय किया था कि समिति द्वारा याचिकाओं एवं अभ्यावेदनों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रतिवेदन तैयार करके सभापति, याचिका समिति से स्वीकार करा लिया जाय। यह प्रविवेदन 2 मार्च, 1974 को सभापति, याचिका समिति द्वारा स्वीकार किया गया। पंचम विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण यह प्रतिवेदन सदन में उपस्थित नहीं किया जा सका।

छठी विधान सभा की याचिका समिति का गठन होते ही उसकी प्रथम बैठक में इस प्रतिवेदन की प्रतियां समिति के सदस्यों को वितरित की गयीं तथा समिति ने अपनी 10 फरवरी, 1975 की बैठक में यह निश्चय किया कि इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

शिक्षा सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

सत्य प्रकाश मालवीय, सदस्य, विधान सभा ने नियम 63 के अन्तर्गत सूचना दी है कि जनवरी, 1975 के द्वितीय सप्ताह में रामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव, श्री एस0बी0 सरन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी प्राइवेट डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के कार्य संचालन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत करेगी। श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने इस सूचना के साथ 11 जनवरी, 1975 के "भारत" समाचार पत्र के प्रातः संस्करण एवं नार्दर्न इण्डिया पत्रिका के 11 जनवरी, 1975 के लेट मार्निंग एडीशन की प्रति संलग्न की है। यह खबर पी0 टी0 आई0 द्वारा 10 जनवरी, 1975 को प्रसारित की गयी है।

इस सम्बध में लोक सभा एवं इस विधान सभा में दिये गये निर्णयों के अनुसार सदन के अधिवेशन काल में शासन द्वारा नीति सम्बन्धी घोषणाएं सदन से बाहर किये जाने को औचित्य का प्रश्न माना गया है परन्तु विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना गया है। प्रस्तुत प्रश्न में जो शिक्षा सचिव द्वारा घोषणा की गयी बताई गयी है, उस समय विधान सभा का अधिवेशन न तो हो रहा था और न होने की संभावना थी। अतएव, इससे औचित्य का भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जहां तक माननीय मंत्री जी के बजाय शिक्षा सचिव के द्वारा घोषणा किये जाने का प्रश्न है, यह शासन के कार्य विभाजन से ताल्लुक रखता है। वैसे भी शासन किस प्रकार से अपनी नीति की घोषणा करता है, इससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता। फिर यह सूचना समाचार पत्र पर आधारित है।

---

†छापा नहीं गया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (इलाहाबाद)—

प्रश्न यह है कि शिक्षा सचिव ने यह कहा है कि इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया जायगा। विधान सभा में जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वह केवल सदस्यों या मंत्रियों की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य इस सदन के केवल कोई माननीय सदस्य ही दे सकते हैं और शिक्षा सचिव को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वह केवल यह कह सकते थे कि हमारी नीति यह है। लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कहा है वह मैं आपके सामने अंग्रेजी में पढ़ देता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है। सवाल यह है कि कोई अधिकारी जो विधान सभा में नहीं बैठता है उसे सरकार की तरफ से वक्तव्य देने का अधिकार है या नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से माननीय सदन के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण किया है। शिक्षा सचिव ने जो वक्तव्य दिया है वह सीधे-सीधे विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। अगर ऐसा होगा तो हर व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जायेगा कि वह बाहर यह वक्तव्य दे दे कि विधान सभा में क्या-क्या प्रस्तुत होने वाला है। ऐसे वक्तव्य से निश्चय ही सदन का अवमान हुआ है।

अध्यक्ष—

अगर मंत्री चाहें तो क्या बयान नहीं दे सकता ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मंत्री तो सक्षम हैं, वे इस सदन के सदस्य होते हैं, अगर नहीं भी हैं तो उन्हें यहां बैठने का अधिकार है। कोई भी मंत्री सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन विभाग का कोई अधिकारी या सचिव सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। यह वक्तव्य उन्होंने प्रस्तुत किया है अतः मैं समझता हूं कि यह अवमान का प्रश्न अवश्य है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

जहां तक मैंने सुना है, मैं समझता हूं कि माननीय मालवीय जी की आपत्ति सही है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विचार करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, माननीय मालवीय जी ने जो बात कही है उसमें इस बात की गन्ध आती है कि विधान सभा में हिस्सा लेने वाले को ही यह अधिकार है कि वह कोई वक्तव्य दे। इससे मैं सहमत हूं। किसी भी सचिव को, विधान सभा में क्या कार्य होने वाला है या क्या पेश होने वाला है, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि विधान सभा उनके मातहत है और यह कोई एक अधीनस्थ संस्था है। यह जो बिधान उन्होंने दिया है यह साफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। आप इसको स्वीकार करें और विशेषाधिकार में ले आवें।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो यह कि उन्होंने नीति के बारे में घोषणा की और दूसरा यह कि शासन की तरफ से जो नीति है उसको उन्होंने बताया।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि नीति की निर्धारण का काम सरकार या सदन का होता है लेकिन विभाग का जो सम्बन्धित सचिव होता है वह किसी न किसी प्रकार से उससे सम्बद्ध होता है। अगर वह यह बात नहीं बताता है कि सरकार क्या करने जा रही है तो मैं सम [illegible] हूं कि उचित नहीं होगा। शिक्षा सचिव ने जो वक्तव्य दिया है वह किसी मायने [illegible] ऐसी बात नहीं कही गयी है जिसे गलत कहा जा सके।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अब डिग्री कालेजों के बारे में समाचार पत्रों में छपा है, हिन्दी समाचार पत्र 'भारत' में छपा है वह मैं आपको सुनाए देता हूं। "डिग्री कालेज के प्रबन्ध को हाथ में लेने का सरकार का इरादा है। सम्भावना है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी प्राइवेट डिग्री एवम् पोस्ट डिग्री कालेजों के कार्य संचालन को नियन्त्रित करने के संबंध में विधेयक प्रस्तुत करेगी। यह जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा सचिव, श्री एस0 बी0 सरन ने कहा कि इन सभी प्राइवेट कालेजों के अध्यापकों को वेतन सरकारी खजाने से भुगतान किया जाएगा। यद्यपि इसमें सरकार पर वित्तीय भार बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि कालेज-भवनों की बिक्री करने अथवा गोलमाल कर कालेज को उसकी अचल सम्पत्ति से वंचित करने के प्रयासों पर सरकार रोक लगाने जा रही है। शिक्षा सचिव ने बताया कि राष्ट्रीयकरण के भय से कालेजों के प्रबन्धक कालेज भवनों को बेच दे रहे हैं। तो यह है तथा इसी आधार पर माननीय मालवीय जी ने यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है। अब संसदीय कार्य मंत्री जी आपको भी कुछ कहना है?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं अनुगृहीत हूंगा यदि इस प्रश्न को कल आप ले लें। मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

जिलाधिकारी तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक अन्य माननीय ओम प्रकाश सिंह ने जिलाधिकारी, वाराणसी तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के विरुद्ध इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है कि उनकी गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचना माननीय अध्यक्ष को समयानुसार जानबूझकर नहीं दी गई। श्री ओम प्रकाश सिंह की गिरफ्तारी व बन्दीकरण की सूचना मुझे 10 फरवरी, 1975 को तार द्वारा प्राप्त हो गयी थी और 11 फरवरी, 1975 का एक ब्योरेवार विस्तृत

सूचना भी प्राप्त हुई थी। तदुपरान्त उनकी रिहाई की सूचना मुझे 17 फरवरी, 1975 को प्राप्त हो गयी।

तो यह स्थिति है, इसमें अब जैसा आपने कहा है ओम प्रकाशजी, आपका तो आधार ही ...

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मैंने केवल एक ही आधार नहीं दिया, मैंने कुछ और भी आधार दिए हैं। धारा 224 एक विधान सभा के माननीय सदस्य पर लगाई गई है। मेरे ऊपर 224 लगी है अर्थात् यह जेल कस्टडी से भाग गये यह बड़ा अपमानकारी है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि जब मैं जेल में मिलने गया था, बाहर निकलने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरी बात यह है कि 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस ने मुझे अपने कब्जे में रखा। ढाई बजे गिरफ्तार किया गया और दूसरे दिन 4 बजे मुझे मैजिस्ट्रेट के यहां पेश किया गया तीसरी चीज यह है जब मुझे 9 तारीख को 5 बजे जेल भेजा गया, उस समय किसी पुलिस अधिकारी ने यह रिकमेण्ड नहीं किया कि इनको सुपीरियर क्लास दिया जाए। यह रिकमेण्ड नहीं किया गया और उसी का परिणाम यह हुआ कि 9 तारीख को जेल में मुझे न तो खाना दिया गया और न कोई अन्य सुविधा दी गई।

8 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया जाता है और 10 तारीख को उसकी सूचना आपको दी जाती है। 48 घंटे बाद यदि मेरी गिरफ्तारी की सूचना आपको दी जाए तो मैं समझता हूं यह समय के अन्दर नहीं है और वह विशेषाधिकार का स्पष्ट प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष —

आप हथकड़ी का क्या मामला बता रहे थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हथकड़ी मेरे नहीं लगी थी, केवल सेक्शन गलत लगा था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरा तो एक ही निवेदन है कि माननीय सदस्यों की मर्यादा के हित में आप अपनी व्यवस्था इस पर दें कि मान लीजिये कि दफा 144 लगी हुई है और हमने उसे तोड़ा तो हम 188 के मुजरिम हुये। मान्यवर, हम पर दफा 366, 367 और 397 भी लगा दिया जिसके हम किसी भी हालत में अपराधी नहीं थे। तो सारे देश में फैल गया कि माधव प्रसाद त्रिपाठी 397 में पकड़े गये।

श्री अध्यक्ष—

यह तो अदालत तय कर सकती है कि दफा गलत लगायी गयी है या सही।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नहीं, मेरा प्रश्न तो यह है कि अगर सदन के माननीय सदस्य की मर्यादा भंग हुई तो परिणाम उसका चाहे कुछ भी हो बाद में लेकिन ऐसी परिस्थिति मर्यादा भंग हुई या नहीं ? आप अगर इस पर व्यवस्था नहीं देंगे तो इस वक्त की कांग्रेस जो हम विरोधियों का गला घोंटने के लिये तैयार है पता नहीं वे क्या कर देंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि उस दिन दफा 144 लगी थी और उसका उल्लंघन हुआ लेकिन हम पर दफा 188 न लगाकर सीधे 224 लगा दी गई। इसी तरह से दो लड़कों पर, एक आलोक कुमार और दूसरे शेषधर त्रिपाठी पर केवल 224 लगाकर उनको बन्द किया गया। जब तक कोई व्यक्ति किसी धारा के अन्तर्गत पुलिस की कस्टडी में नहीं आया तो वह भागा कैसे ?

श्री अध्यक्ष—

उससे मतलब नहीं है। जो माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने कहा है वह बात कुछ दूसरी है, वह यह है कि.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह गलत दफायें लगा देते हैं, जब तक आप उचित व्यवस्था नहीं देंगे तो इनके अधिकारी सभी माननीय सदस्यों की मर्यादा भंग कर देंगे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी) —

मान्यवर, जिस तारीख को माननीय ओम प्रकाश जी को गिरफ्तार किया गया उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो देश की प्रधान मंत्री हैं वह उस दिन बनारस में थीं.....

श्री अध्यक्ष—

यह बात दूसरी है लेकिन माननीय माधव प्रसाद जी ने दूसरा प्रश्न उठाया है.....

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

श्रीमन्, मैं तो यह बता रहा हूं कि वह क्यों गिरफ्तार किये गये जब कि माननीय ओम प्रकाश जी वहां पर जेल में बन्दियों से मिलने के लिये गये थे।

श्री अध्यक्ष—

इस समय तथ्य की बात नहीं हो रही है। तथ्यों में कोई फर्क नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी विधायक को पकड़ा गया है और उस वक्त दफा बदल दी गयी है तो साधारणतः यह न्यायालय का मामला है लेकिन माधव प्रसाद जी का कहना है कि अगर कोई सदन का माननीय सदस्य है और अगर प्रत्यक्षतः ऐसा हो तो कुछ उसके बारे में सोचा जाना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां, भविष्य के लिये कुछ जरूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इसी के लिये मैंने पूछा था कि हथकड़ी तो नहीं लगायी गयी ? आपको उच्च श्रेणी नहीं दी गयी। विधायक को अगर उच्च श्रेणी नहीं दी गयी तो क्यों नहीं दी गयी ? क्या उनसे कोई अधिक सम्मानित व्यक्ति है जिनको वह दिया जायगा ?

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

इसमें श्रीमन्, इस समय यह भी प्रश्न है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी धारा में गिरफ्तार नहीं हुआ है तो फिर कैसे वह भागा और जो दफा लगायी गयी वह गलत लगायी गयीं।

श्री अध्यक्ष—

हम न्यायालय नहीं हैं जो इसको देखें और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं. . . . . .

श्री मधुकर दिघे—

मैं गिरफ्तारी किये जाने के प्रश्न पर नहीं जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी सब जानते हैं और उन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह बिलकुल दूसरा है। जैसी प्रक्रिया है उसके अनुसार तो न्यायालय करेगा, अगर उन्होंने गलत धारा लगायी है, या धारा को बदल दिया है और यह जो अधिकार दिया है तर्क का, जो वकालत कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वह उस पर जा सकते हैं कि जो तथ्य हैं उनसे प्रमावित कौन सदस्य हो सकता है उस पर वही विचार कर सकते हैं और वह वहीं तक सीमित है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने इसलिये भी कहा है कि मान लीजिये बेलेबिल आफेंस है और उन्होंने नान-बेलेबिल धारा लगा दी तो अब मैजिस्ट्रेट के सामने जायेगा और उससे माननीय सदस्य की मर्यादा भंग होगी या नहीं इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

अगर हम और आप इसको देखने लगेंगे तो जितने हमारे अधिवक्ता जितने हमारे वकील भाई हैं, जितने कोर्ट्स में वकील हैं. . . . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नहीं, लगाना था 188 लेकिन 397 लगा दी गयी और अब आईडेन्टीफिकेशन वगैरह होगा और अदालत में जाना होगा और हमको जनता के सामने चरित्रहीन तो घोषित कर ही दिया गया बाद में परिणाम चाहे जो भी हो । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें जो भी आप उचित समझें । विरोधी पक्ष के लोगों ने, कहीं, किसी ने कोई प्रदर्शन किया, वह गिरफ्तार हुआ, तो उस पर 397, 195 लगाऐंगे, मिसा लगा देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का ध्यान अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का जो संहित संकलन है उसके पृष्ठ 501, निर्णय संख्या 45 की ओर दिलाता हूं । "सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना न मिलना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है; गिरफ्तारी के कारणों का असत्य होना नहीं न उन कारणों का प्रतिवाद ही सदन में किया जा सकता है ।

30 अप्रैल, 1974 को श्री मदनमोहन उपाध्याय ने कानपुर के जिलाधीश द्वारा श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया ।

श्री अध्यक्ष ने निर्णय दिया—"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी प्रार्थना है, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। हमने धारा 144 तोडी लगा दिया 397 ताकि बीस दिन तक बन्द रहें जब आइडेंटिफिकेशन न हो। अगर प्राइमाफेसी केस बनता है तो कोई बात नहीं। महज हमारे मंत्रियों या सरकार के कहने से ऐसी दफा लगा दें जिससे महीनेभर तक नहीं छूट सकते, बाद में रिलीफ का जरिया नहीं रह जायगा। अतएव इस प्रश्न पर आप कोई न कोई अवश्य व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

"जहां तक सदन को सूचना देने का विषय है,यह सदन का विशेषाधिकार है कि जिस वक्त किसी माननीय सदस्य की गिरफ्तारी हो फौजदारी के मामले में, तो उसकी सूचना वह मझ को दें। इस विशेषाधिकार की पूर्ति के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कानपुर ने यह सूचना इस सदन को दी। तो उस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ नहीं सकता कि उसने विशेषाधिकार की अवहेलना की. . . . . । अब सवाल यह उठता है कि क्या सूचना असत्य थी। उसके विषय में सदन विचार कर सकता है। अगर धोखा देने का उनका प्रयत्न होता तो उनके ऊपर कुछ थोड़ा-बहुत विचार किया जा सकता था। लेकिन जो प्रश्न यह था कि जो कुछ मैंने इस सदन में पढ़ कर सुनाया है. . . . . "

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

असत्य सूचना दी यह मैं कहता नहीं। मेरे ऊपर कोई ऐसी दफा लगा दी जिससे मैं बन्द रहूं, उनके लिये सावधान होने के लिये वार्निंग हो जाय, एकदम 16 आने गलत चार्ज लगा कर जेल में बन्द न करें, क्योंकि हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम ईमानदार हैं, जब तक अदरवाइज साबित न हो जाय। आप व्यवस्था अवश्य दें। निश्चित रूप से हमारी मर्यादा भंग हो जायगी इस सरकार में। मान्यवर, आपसे बड़ी करबद्ध प्रार्थना है। यहां पर किसी भी प्रकार इस मंत्रिपरिषद् या गवर्नमेंट को, जो कुछ भी कहें, ध्यान न करें। आये दिन यह बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

उनका ध्यान नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बहुत गम्भीर प्रश्न है इसमें आप व्यवस्था दें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय ओम प्रकाश जी ने जो प्रश्न दिया है उसमें वह प्रश्न नहीं है जो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा। मान लीजिये, जलूस निकलता है। जलूस में आग लगा दी तो 436 दफा लग गयी, फिर भागते हैं तो 224 दफा बनती है। जैसे-जैसे जुर्म बढ़ता जायगा, दफा बदलती जायगी। एक ही बात ओम प्रकाश जी ने कहा कि 24 घंटे के अन्दर प्रोड्यूस नहीं किया। यह अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है। यह तो विधान सभा में नहीं उठ सकता है। अदालत में कह सकते हैं कि 24 घंटे के अन्दर प्रोड्यूस नहीं किया गया। एक ही बात है कि समय के अन्दर माननीय अध्यक्ष के पास सूचना आयी या नहीं और जो प्रोफार्मा प्रेंस्क्राइब्ड है उस प्रोफार्मा में माननीय अध्यक्ष को सूचना दी गयी या नहीं दी गयी। अगर नहीं दी

[श्री काशी नाथ मिश्र]

गई तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अधिकारियों के विरुद्ध बन सकता है और जो बाकी सवालों का वर्णन किया गया है वह न तो व्यवस्था का सवाल है और न वह विधान सभा के जूरिसडिक्शन में ही आ सकते हैं। यह सारे सवाल इस माननीय सदन में नहीं उठ सकते हैं। यह अदालत में उठ सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है इसलिये यदि माननीय काशीनाथ जी को मंत्री बना दिया जाये तो बहुत अच्छा हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि हमने कुछ नहीं किया और मौन प्रदर्शन किया तो भी हमारे ऊपर गुंडा ऐक्ट लगा दिया गया। हम लोगों की मर्यादा की रक्षा के लिये आप कुछ व्यवस्था दीजिये। अगर 188 के हम मुजरिम हैं और हमारे ऊपर 224 लगा दी जाय हमारी रक्षा कीजिये वरना हमारी सरकार हमारे साथ बड़ी ज्यादती करेगी और हम लोग छूट नहीं पा सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय माधव प्रसाद जी ने कहा हमारे ऊपर 224, 143/7, क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट 3-एफ पुलिस एक्साइटमेंट ऐक्ट तथा 114 डी0 आई0 आर0 की धारा लगा दी गई और वे सब धारायें बाद में वापस ले ली गईं और 9 दिन बाद हमको छोड़ दिया गया। इसलिये जब तक आप अपनी व्यवस्था नहीं देंगे तो निश्चित है कि सरकार हमारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार भी हम से छीन लेगी।

श्री अध्यक्ष—

अपराध की जो स्थिति है, जो इस संबंध में प्रक्रिया है और जो आपको मौलिक अधिकार दिये गये हैं उनमें सार है। लेकिन गलत हुआ है या सही हुआ है उसका निर्णय करना यहां न सम्भव ही है और न उचित ही है। राजनारायण जी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूर्व स्पीकर महोदय ने कहा है कि "राजनारायण जी अगर प्रतिवाद करना चाहते हैं तो वह गलत सिद्ध कर सकते हैं अदालत के सामने या जहां कहीं भी यह मुकदमा जाय। लेकिन सदन को तो केवल गिरफ्तारी व उसके कारणों की सूचना मिल जाने की आवश्यकता थी।"

पृष्ठ 318 पर जब इसी से संबंधित श्री राजनारायण जी की गिरफ्तारी के संबंध में उनके द्वारा भेजे गये प्रतिवाद को सदन में पढने की प्रार्थना श्री रामसुन्दर पांडेय ने की, तो श्री अध्यक्ष ने कहा कि "इसकी प्रथा नहीं है। सूचना देने का तो उनका कर्त्तव्य था इसलिये उनको यह सूचना देनी पडी। लेकिन प्रतिवाद पढ़ने की तो प्रथा यहां पर है नहीं। प्रतिवाद माननीय सदस्य प्रकाशन के लिये देना चाहते हों तो वह स्वयं ही कर सकते हैं या अदालत में जो कार्यवाही होगी उसके द्वारा भी प्रकाशन हो सकता है और प्रतिवाद हो सकता है। सदन उसके लिये स्थान नहीं है।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, लेकिन हमें बड़ा दुख है।

श्री अध्यक्ष---

आखिर सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उनके साथ उचित तथा शिष्ट व्यवहार अधिकारियों द्वारा हो इस संबंध में जो परिपत्र है, मान लीजिये कि किसी को उच्च कलास नहीं दी तो यह औचित्य का प्रश्न हो सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, हम लोगों को डंडा से मारा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

ऐसी दुष्कल्पना आप न करें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, गिरफ्तारी का जो परिपत्र जिलाधिकारी को देना चाहिये वह किस तिथि का है ?

श्री अध्यक्ष---

वह दस तारीख का है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, 8 तारीख को माननीय ओम प्रकाश जी गिरफ्तार हुए । इसमें जिलाधिकारी ने करीब-करीब 56 घंटे बाद सूचना दिया है ।

श्री अध्यक्ष---

उसमें लिखा हुआ है कि वह सूचना शीघ्रता के साथ देगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, 8 तारीख को हम गिरफ्तार हुए और इसकी सूचना 56 घंटे बाद आपको दी गई ।

श्री अध्यक्ष---

हमको सूचना मिल गई थी ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, उसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष को सूचना शीघ्रता के साथ देगा । जिस तारीख को जो माननीय सदस्य गिरफ्तार होगा उसी समय माननीय अध्यक्ष के पास सूचना भेज देना चाहिए था । इसमें सूचना ही उन्होंने 56 घंटे बाद दिया ।

श्री अध्यक्ष---

यह जो नियम 80 है इस प्रकार है---"जब कोई सदस्य किसी दोषारोप या किसी दन्ड अपराध के लिये बन्दी किये जायं या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दन्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति, न्यायाधीश या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रयत्न में यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा ।"

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि शीघ्रता का क्या मतलब है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, तार द्वारा जो सूचना दी गई वह विलम्ब से दी थी, क्या वह शीघ्रता हुई ?

श्री अध्यक्ष--

हमको तो 10 को सूचना मिल गई।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह है कि आपको सूचना कब मिली। अगर 56 घंटे की बात है तो यह शीघ्रता की परिभाषा में नहीं आता है। वहां से तार किस तारीख को चला, उसमें लिखा होगा।

श्री अध्यक्ष--

10 तारीख को भेजा गया और 10 को प्राप्त हुआ है।

चौधरी चरण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को ढाई बजे दोपहर बाद वह गिरफ्तार हुये और 10 तारीख को आपको तार भेजा गया।

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि 9 तारीख को जेल भेजा गया। 10 तारीख को उन्होंने इत्तला की।

चौधरी चरण सिंह--

9 तारीख को कै बजे जेल भेजा।

श्री अध्यक्ष--

जो तार आया है उसको मैं पढ़े देता हूं :--

दिनांक 8 फरवरी, 1975 को श्री ओम प्रकाश सिंह विधायक, मिर्जापुर अपने अन्य साथियों सहित धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये निरोधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के कारण भेलूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध थाने पर अपराध संख्या 174 के अन्तर्गत धारा 143/188 भा0 दं0 वि0 (7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट) (3 एफ पुलिस इनसाइटमेंट ऐक्ट) 144 डी0 आई0 आर0 अंकित किया गया। गिरफ्तारी उन्हें अन्य साथियों सहित पुलिस संरक्षण में पुलिस लाइन भेजा गया किन्तु वहां से वह लोग पुलिस की हिरासत से भाग निकले, पुन: उसी दिन रात्रि में उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत से भागने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध थाना कैन्ट में भा0 दं0 वि0 की धारा 24/225 के अन्तर्गत भी मुकदमा कायम किया गया है. दिनांक 9 फरवरी, 1975 से जिला जेल, वाराणसी में दाखिल हुए।

चौधरी चरण सिंह--

सूचना कब रवाना की गयी यह प्रश्न है। 10 को भेजी और 8 तारीख को गिरफ्तार हुए। 48 घंटे बाद भेजी या 40 घंटे बाद भेजी, यह आपको तय करना है कि क्या यह शीघ्रता हो गयी। 2 दिन डी0 एम0 या एस0 पी0 खामोश रहे। एक विधायक गिरफ्तार होता है। सवाल यह है कि इस तरह का जो उनका एटीट्यूड है शासन का या सरकार का वह कहां तक सही है। कौन रक्षा करेगा हमारे अधिकारों की? इसमें आपको हिचकिचाहट है, शायद। आपको क्या हिचकिचाहट है?

श्री अध्यक्ष--

हिचकिचाहट यही है कि आज जितने स्पीकर हो गये हैं सभी 'शीघ्रता' के बारे में रूलिंग दे गये हैं।.....विशेषाधिकार समिति ने दशरथ देव के मामले (1952) में यह निर्णय दिया था कि जहां किसी सदस्य को फौजदारी कानून की क्रियान्विति में गिरफ्तार किया जाता है और तुरन्त जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो उस मामले में सम्बद्ध मजिस्ट्रेट के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह सभा को इसकी सूचना दे।

समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट (1958) में यह भी निर्णय दिया था कि एक सदस्य पर मुकदमा चलने तक जमानत पर उसकी रिहाई की सूचना अध्यक्ष को न भेजकर अधिकारियों ने कोई विशेषाधिकार भंग नहीं किया।

यदि दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत किसी सदस्य से जमानत नेक चलनी ली जाय तो उसका आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह इस बात की सूचना अध्यक्ष को दे, क्योंकि ऐसे आदेश से सदस्य के सभा की बैठकों में उपस्थित होने में बाधा नहीं पड़ती है।

यह फैसला करने के लिये कि किसी विशेष मामले में आवश्यक जानकारी तुरन्त अध्यक्ष को भेजी गयी है या नहीं सारी परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है। विशेषाधिकार समिति ने यह निर्णय किया है कि यद्यपि यह सभी जानते हैं कि इस प्रकार की सूचना तुरन्त दी जानी चाहिए। इस विषय में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक मामला परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

जहां अध्यक्ष को आवश्यक सूचना भेजने में देरी हुई है, उसके लिये अधिकारियों ने खेद प्रकट किया है।

चौधरी चरण सिंह--

यह मामला डिफरेन्ट है। माननीय ओम प्रकाश जी 9 दिन जेल में रहे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर बाद में छोड़ दिये गये तो जो अर्थ आप लगा रहे हैं तो जो सूचना 2 दिन बाद से भेजी है उसके भी भेजने की जरूरत नहीं थी। वे 10 दिन तक या 25 दिन तक इन्तजार करते, यह बात नहीं है। केवल सूचना देने का प्रश्न है। इसमें अदालत ने फौरन जमानत पर छोड़ दिया। आप इसके और उस मामले के सरकम्सटान्सेज को देखिए। इसमें परिस्थितियों के ऊपर लिखा है। जो इन्टरप्रिटेशन है:

It will make non sencse of the rule.

श्री अध्यक्ष—

समय के बारे में तो यह है कि यह फैसला करने के लिए कि किसी विशेष मामले में आवश्यक जानकारी तुरन्त अध्यक्ष को भेजी गई है अथवा नहीं, सारी परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्रीमन्, यह किस विधान सभा से सम्बन्धित है ?

श्री अध्यक्ष—

यह लोक सभा से सम्बन्धित है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो आपके मुंह से शब्द निकले उन्हीं के अनुसार मेरा निवेदन है कि विशेष परिस्थिति का एक्सप्लनेशन होता है कि हम बेहोश हो गये थे, हम अस्पताल चले गये थे या डाकखाने से बहुत दूर थे और वहां पर पहुंचने के लिए समय नहीं था। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—

निश्चित है कि यह विशेषाधिकार के हनन का मामला नहीं बनता है। गलती हो सकती है। लेकिन इस समय तो हम केवल यह देख रहे हैं कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं, औचित्य का है या नहीं। उस अधिकारी को और पहले से सूचना देनी चाहिए थी और उसके लिये वे माफी मांगें। इसके बारे में मैं सम्बन्धित जिलाधीश से पूछूंगा कि इस सूचना को भेजने में क्यों देर हुई।

चौधरी चरण सिंह—

आपने फरमाया कि अगर उसने देर की तो औचित्य का सवाल तो हो सकता है, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है तो आपने तो यह शर्त "अगर की" लगाई है क्या हम जान सकते हैं कि इसमें देर हुई है अथवा नहीं। माननीय तिवारी जी जब मौजूद हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वे ऐसे मामलों में बड़े प्रवीण हैं, आपने माननीय मिश्रा जी को क्यों सुपुर्द कर दिया। आपने उधर देखा और खड़े मिश्रा जी हुए ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

अब तो उत्तर आया बोलने की जरूरत नहीं है। आप शीघ्रता का क्या अर्थ लगाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपके बारे में कोई बात नहीं है। चौधरी साहब ने उसका उल्लेख करके कुछ कहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न है। हम अपनी राय तो दे ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर संसदीय मन्त्री न उठें और यह काम माननीय मिश्र जी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो क्या किया जाय ?

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, यदि आपकी आज्ञा होती तो मैं अवश्य खड़ा होता। केवल देख लेने मात्र से आज्ञा नहीं होती है। इधर जब आप देखते हैं तो विश्वासपूर्वक देखते हैं। जब तक आप मुझे इंगित न करें, मैं यह परिकल्पना नहीं कर सकता कि आपने मुझे आज्ञा दी है....

चौधरी चरण सिंह—

किस नजर से आपको देखा जाया करे ? (हंसी)।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सामान्य परिपाटी यह रही है कि अगर स्पीकर किसी से कुछ जानना चाहते हैं तो वह नाम से उसको इंगित करते हैं। इस विषय पर पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है, सदन में और यह निश्चित रूप से माना जा चुका है कि अगर सूचना बिल्कुल न दी जाय तो अवश्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। यहां प्रश्न केवल यह उठता है कि आया कि सूचना समय से दी गयी या नहीं। इस सम्बन्ध में जो आपने लोक सभा की प्रिविलेजेज कमेटी के या दूसरे उद्धरण दिये हैं उन पर नेता विरोधी दल ने अवश्य विचार किया होगा। जब आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि जिलाधिकारी से पूछेंगे कि इसमें कोई अनावश्यक बिलम्ब हुआ और फिर आप निर्णय लेंगे तो कोई शंका की बात रह नहीं जाती। वह तो जैसी घटना होगी उसके आधार पर निर्णय किया जा सकता है। पहले से ही किसी विषय विशेष की परिकल्पना कर लेना यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा।

*चौधरी चरण सिंह—

मैं केवल एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने अर्ज किया कि गिरफ्तारी हुई, अदालत के सामने पेश किये गये, जमानत पर छूट गये। तो स्पीकर ने यह तय किया कि इसमें विशेषाधिकार या विलम्ब का कोई सवाल नहीं उठता। यहां यह प्रश्न नहीं है। यहां प्रश्न यह है कि दो दिन के बाद वह इत्तला भेजता है। अगर आप यह तय करते हैं कि दो दिन के बाद भेजना विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है और केवल औचित्य का सवाल है तो फिर आपको यह लाइन खींचनी होगी कि अगर तीन दिन के बाद भेजा जाय तब क्या होगा, चार दिन के बाद आये और फिर पांच दिन के बाद आये तो क्या होगा ? इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न है क्योंकि अगर आपने यह गुंजायश रख दी कि दो दिन बाद तक का भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है तो फिर तीन दिन बाद क्या होगा, चार दिन के बाद क्या होगा। मैं समझता हूं माननीय ओम प्रकाश जी इस बात से राजी हो जायेंगे कि जहां की यह रूलिंग है, मालूम हुआ कि लोक सभा के स्पीकर की है, तो वहां के रेकार्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चौधरी चरण सिंह]

से मालूम कर लिया जाय कि क्या सर्कमस्टान्सेज थे क्योंकि रूलिंग से यह जाहिर नहीं होगा। यह सर्कमस्टान्सेज बिल्कुल अलग हैं जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी अभी कह रहे थे, मान लो कोई माननीय सदस्य इन्टीरियर में गिरफ्तार हुआ और बहुत दूर पर डाक घर है या बीच में बीमार हो गया या खुद ही छूट गया तो उसमें भी जबकि कोई साथ असिस्टेन्ट न हो, अकेले एस0 आई0 जाता नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—

इत्तला पुलिस को नहीं मैजिस्ट्रेट को करनी पड़ती है।

चौधरी चरण सिंह—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नहीं, मैं समझता हूं एस0 आई0 ने देर की है। अगर इस तरह का एटीट्यूड पुलिस का रहा कि माननीय सदस्य पकड़े जाते हैं और दो दिन तक पुलिस सोयी रहती है तो मैं समझता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

जैसे पुलिस पकड़ती है तो पुलिस को सूचना देनी नहीं है। पुलिस उसे किसी दन्डाधिकारी के सामने पेश करती है। तो न्यायाधीश इत्तला भेजता है। नियम यह नहीं है कि जैसे ही पुलिस पकड़े वैसे ही तुरन्त तार से सूचना दे। अभी तो परिस्थितियों के बारे में बात आ गयी,है, वह मैं देख लूंगा।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है। उसका निबटारा अभी इसलिये जरूरी है....

श्री अध्यक्ष—

कल उसको देख लूंगा।

श्री सत्यपाल मलिक—

जब तक उसका निबटारा नहीं होगा मैं बोल नहीं सकता हूं....

श्री अध्यक्ष—

पहलें मैं देख तो लूं.....

श्री सत्यपाल मलिक—

मुझे डराया गया है कि मैं न बोलूं....

श्री अध्यक्ष—

अभी तो यह प्रस्ताव धन्यवाद वाला आयेगा, फिर माननीय नेता, विरोधी दल अपना प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद ही तो आप बोल सकेंगे, तो अभी समय है, मैं देख लं। साढ़े 10 तक जो सामने प्रश्न आ जाते हैं, मैं देख लेता हूं.....

श्री सत्यपाल मलिक—

मैंने 10 के पहले दिया था.....

श्री अध्यक्ष—

तो मैं देख लूंगा कि कब दिया गया था।

विशेषाधिकार समिति द्वारा विभिन्न प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिये कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी (जिला चमोली)—

अध्यक्ष महोदय....

"चूंकि सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, राम कुमार दीक्षित तथा श्री मोती लाल देहलवी सदस्य, विधान सभा द्वारा कानपुर के जिलाधिकारी एस0 एस0 पी0, गिरफ्तार करने वाले दरोगा व सजा देने वाले न्यायाधिकारी के विरुद्ध सदन के अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना, जो इस जांच के लिये कि विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है कि नहीं, पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को 3 मई, 1973 को निर्दिष्ट हुई थी ;

और श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरी राम श्रीमाली तथा श्री प्रेमपाल सिंह रावत (बालयोगेश्वर) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 8 मई, 1973 को पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था;

और श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कृष्ण पाल तथा श्री श्रीशिशुपाल सिंह, सब-इन्स्पेक्टर्स, पुलिस थाना मोगांव, जिला मैनपुरी के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को 9 मई, 1973 को निर्दिष्ट हुआ था ;

और इन प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा 31 जनवरी, 1974 तक समय बढ़ाया गया था तथा पंचम विधान सभा के विघटन के बाद उक्त प्रश्नों को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा 14 मार्च, 1974 की षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

और चूंकि श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न वर्तमान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को 1 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था ;

और सचिव, प्रेस संवाददाता समिति की शिकायत तथा श्री रघुवीर राम व श्री रामजी सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधायक श्री लक्ष्मण सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 26 जुलाई, 1974 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को 26 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नियत नहीं किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन

[श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी]

नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक में यह प्राविधान है कि जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नियत न किया गया हो तो प्रतिवेदन निदेश के दिन से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा,

और चूंकि समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है और चूंकि विशेषाधिकार समिति ने अपनी 5 फरवरी, 1975 की बैठक में यह निश्चय किया है कि उपर्युक्त प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु और समय देने के लिये सदन से प्रार्थना की जाय;

अत : सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 6 मास तक और बढ़ा दिया जाय।"

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, चूंकि यह विशेषाधिकार से सम्बन्धित प्रश्न है और समय बढ़ाने का प्रश्न है इसलिये इस पर अभी विचार करना आवश्यक है कि श्री रघुवीर राम व श्री रामजी सिंह ने श्री लक्ष्मणसिंह, श्री राजेन्द्र सिंह व मेरे विरुद्ध 24 जुलाई, 1974 को जो शिकायत की थी उस सम्बन्ध में मेरी जानकारी यह है कि....

श्री अध्यक्ष--

आप यह समझ लें कि नियम क्या है। यह प्रश्न कमेटी के सामने है और वहीं पर इस प्रश्न पर विचार हो सकता है। चूंकि अभी तक उसके सभापति का चुनाव भी नहीं हुआ है। उसी के माध्यम से वह प्रश्न वहां जायेगा और उस पर समिति अपना निर्णय देगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इससे समिति का समय नष्ट होगा। आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप समिति के सामने ही अपनी बात सुनाइयेगा। समिति के सामने ही उठाने की यह बात है। विशेषाधिकार समिति ही इस पर विचार करके अपना प्रतिवेदन देगी।

"चूंकि सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, राम कुमार दीक्षित तथा श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य विधान सभा, द्वारा कानपुर के जिलाधिकारी, एस0 एस0 पी0 गिरफ्तार करने वाले दरोगा व सजा देने वाले न्यायाधिकारी के विरुद्ध सदन के अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना जो इस जांच के लिये विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है कि नहीं, पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को 3 मई 1973 को निर्दिष्ट हुई थी;

और श्री शिवानन्द नौटियाल सदस्य विधान सभा द्वारा श्री हरी राम श्री माली तथा श्री प्रेमपाल सिंह रावत (बलायोगेश्वर) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 8 मई, 1973 को पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था;

और श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कृष्ण पाल तथा श्री श्रीशिशुपाल सिंह, सब-इन्स्पेक्टर्स, पुलिस थाना भोगांव, जिला मैनपुरी के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को 9 मई, 1973 को निर्दिष्ट हुआ था,

और इन प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा 31 जनवरी, 1974 तक समय बढाया गया था तथा पंचम विधान सभा के विघटन के बाद उक्त प्रश्नों को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा 14 मार्च, 1974 को षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

और चूंकि श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न वर्तमान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को 1 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था;

और सचिव, प्रेस संवददाता समिति की शिकायत तथा श्री रघुबीर राम व श्री रामजी सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा विधायक श्री लक्ष्मण सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 26 जुलाई 1974 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कुंवर बहादुर मिश्र, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध शिकायत तथा श्री काशी नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिकेवल सदस्य विधान सभा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को 26 जुलाई, 1974 को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नियत नहीं किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक में यह प्राविधान है कि जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नियत न किया गया हो तो प्रतिवेदन निदेश के दिन से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा ;

और चूंकि समिति उपर्युक्त प्रश्नों पर उक्त समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है और चूंकि विशेषाधिकार समिति ने अपनी 5 फरवरी, 1975 की बैठक में यह निश्चय किया है कि उपर्युक्त प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु और समय देने के लिये सदन से प्रार्थना की जाय,

अत : सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के उपर्युक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 6 मास तक और बढा दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी है जो इस प्रकार है—"कानपुर के एस0 डी0 कालेज छात्रावास तथा ग्वालटोली की दो अन्य शिक्षा संस्थाओं की सम्पत्ति असामाजिक तत्वों द्वारा लूट लिये जाने की घटना"।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, उस घटना के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि आज तक वहां बड़ा ही टेंशन है। सब से दुख की बात यह है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी इस अवसर पर वहां गये थे, घटना के दिन नहीं, उसके दो एक दिन बाद, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे वहां के लोगों में बहुत क्षोभ व्याप्त है। विद्यार्थियों की खूली लूट हुई। विद्यार्थियों के कमरे जलाये गये, साथ ही वहां रखे गये स्कूटर फूंके गये। इस घटना के आध घंटे बाद ही डेढ़ मील की दूरी पर एक दूसरा विद्यालय लूटा गया, फिर आधे मील की दूरी पर तीसरा विद्यालय लूटा गया। आखिर यह प्रशासन क्या है; वहां के एस0 पी0 और कलेक्टर क्या कर रहे थे। मेरी सूचना है कि ये दोनों व्यक्ति माननीय मुख्य मन्त्री के विशेष कृपापात्र हैं और वे ऐसा समझते हैं कि वे चाहे कुछ भी कसूर करें, सारे दोषों से मुक्त रहेंगे। वहां पर खुली लूट हुई इसलिये वह बड़े महत्व का प्रश्न है, इसे आप स्वीकार करें। मुझे सब से दुख इस बात का है कि मुख्य मन्त्री जी वहां गये लेकिन उन्होंने एस0 पी0 व कलेक्टर को कुछ भी नहीं कहा जब कि तीन-तीन विद्यालय लूट लिये गये।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्दर भी आपने दिया है कि यह सवाल, तो उस वक्त देखेंगे। "अध्यादेशों द्वारा बढ़ाये गये बिक्री-कर की दरों पर और बिक्री-कर लगाने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न संकट।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बिक्री-कर वाले को आपने इसमें कैसे शामिल कर लिया। यह तो कानपुर की घटना से सम्बन्धित है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा होती है तो प्रशासनिक कमजोरियों, खराबियों और बुराइयों सब पर सिलसिलेवार चर्चा होती है और मैं समझता हूं कि माधव बाबू को उस पर पूरा समय मिलेगा और वे गुस्से की कोई बात न होते हुए भी, गुस्सा पैदा करके बोलेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है।... फिर भी समय मेरा भी आयेगा और मैं कुछ उनकी सेवा में तथ्यों को उपस्थित कर दूं। मेरा निवेदन यह है कि जो प्रश्न उन्होंने उठाये हैं, उनका न तो कोई ऐसा महत्व है कि आज उन पर कोई बहस हो। आज ही माधव बाबू को मौका मिलेगा बोलने का। मेरा तो कहना यही है कि कानपुर के बारे में, इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न के बारे में माधव बाबू ने जिस प्रकार उसको उपस्थित किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। इस अवसर पर मेरा इतना ही कहना है कि गवर्नर स्पीच के सिलसिले में अपने सारगर्भित भाषण में इस प्रश्न के सारे-सार को उपस्थित करते हुये माधव बाबू हमें अनुगृहीत करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, एक शब्द मैं भी कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं जानता था कि इस पर अभिभाषण की बात की जायगी। ऐसी ही बात सदन के सामने आती है। मान्यवर, मैं जनता हूं कि मेरा अवसर आयेगा और जो जवाब यह देंगें मुझे वह भी मालूम है। हर प्रश्न को हमारे मुख्य मन्त्री कहने में ही निकाल देते हैं मैं जानता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, असल बात यह है कि माधव बाबू जो जानते हैं उसी को पूछते हैं और जवाब भी खुद दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अध्यादेशों द्वारा बढ़ाये गये बिक्री-कर की दरों पर और बिक्री-कर लगाने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न संकट। तो इस पर तो आगे मौका आयेगा। इसके अतिरिक्त श्री ओम प्रकाश सिंह ने एक सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय के नव-निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित अन्य छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में दी है। इस पर भी मौका आगे आयेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) —

मान्यवर, शान्ति पूर्वक जब वह अपनी बात रख रहे थे तो ला एन्ड आर्डर की बात कहां से आ गयी जो उनको पकड़ा गया है और तमाम धारायें लगायी गयीं हैं। प्रशासन का यह रवैया है कि शान्तिपूर्ण ढंग से संवैधानिक अधिकारों के अनुसार अपने विचारों को रखना चाहता है उससे यह अधिकार छीन लिया जाय। वह भी आप छीनना चाहते हैं। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसको अवश्य स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसलिये आपको अवसर मिलेगा।

एक सूचना श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री बैजनाथ कुशवाहा, श्री अठई राम यादव तथा हर प्रताप सिंह ने श्री सी0 एस0 नायडू के सहायतार्थ मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट मैच के समय जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तथा-कथित दर्शकों पर आक्रमण के बारे में दी है। इस पर आपको अवसर मिलेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, बुरी तरह से पीटा गया है। बड़ा ही अत्याचार किया गया है।

(श्री मालवीय जी ने एक खून से भरी, लाल दाग वाली फटी बनियान और बुशशर्ट सदन में माननीय सदस्यों को दिखायी) (शोर)।

मान्यवर, यह बनियाइन अनिल कुमार महापात्र की है इसका हार्निया का आपरेशन भी हुआ था। होस्टल में, कमरों में घुसकर पुलिस ने इसको मारा।

मायवर, दो यह आंसू गैस के गोले हैं।

(श्री मालवीय जी ने दो लाल रंग के आंसू गैस के गोले अपने हाथ में उठाकर सभी माननीय सदस्यों को दिखाये)।

] श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मान्यवर, यह आंसू गैस के गोलें मुझे होस्टल के प्रांगण में प्राप्त हुये। वहां के वार्डेन डा0 कृष्ण लाल को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। इसके अलावा इलाहाबाद के आधे दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ कर बन्द कर दिया है इनमें से 50-60 छात्र हैं। इस तरह का अत्याचार ....

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढवाल)--

जो चीजें आप दिखा रहे हैं वह आप अपने घर से तो नहीं लाये हैं? क्या सबूत है कि आप इनको घर से नहीं लाये हैं?

(शोर)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। होस्टल के अन्दर कमरों में घुसकर पिटाई की गयी है। 8 कमरों के शीशे टूटे हैं। श्री बैजनाथ, श्री अठई राम, श्री हर प्रताप यादव और श्री जंगबहादुर पटेल के साथ मैं वहां गया था। मान्यवर, आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। मान्यवर, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। यह बड़ा ही अहम विषय है।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

मेरे पास भी नाम मौजूद हैं, मैं भी गया था। उनके बार में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दवा भी ठीक से नहीं हो रही है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इसको अवश्य स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

श्री हरिकेवल प्रसाद ने देवरिया जनपद की जनता का असामाजिक तत्वों द्वारा असुरक्षित जीवन से उत्पन्न संकट का मामला उठाया है। यह भी श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा में आ सकता है इसलिये आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव में नहीं आना चाहिये।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) --

मान्यवर, मेरी सूचना को स्वीकार किया जाना चाहिये .....।

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री मधुकर दिघे के साथ-साथ बोले कि मेरी सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार करें।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग जो कह रहें हैं वह चर्चा में आ सकता है इसलिये आज कार्य स्थगन प्रस्ताव में नहीं आना चाहिये। 9 फरवरी, 1965 को कार्य-स्थगन प्रस्तावों की कतिपय सूचनाओं को अस्वीकार करते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा --

"कामरोको प्रस्ताव की जो सूचनायें आती है ऐसी हैं कि अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन की अंग बन सकती हैं और आप उन पर बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कामरोको प्रस्ताव नहीं आने चाहिये।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से और आपका विशेष विवेक चाहूंगा कि आप प्रतिदिन शाम को आधे घंटे की चर्चा गोली कांड, हत्या, मीसा आदि पर दे दें जिससे इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव से आप छुट्टी पा जायं।

श्री हरिकेवल--

मेरे क्षेत्र में एक गांव में डाकू दल प्रवेश कर गया और उन्होंने 2 लोगों को गोली मार दिया। दोनों की लाशों को फरसे से काटकर अलग कर दिया। उस परिवार के एक आदमी को बम मारा गया। देवरिया जिले में 4 दिन के अन्दर एक दर्जन लोगों को खत्म कर दिया गया है। रास्ते चलते लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। आपका पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। मुख्य मन्त्री जी यहां मौजूद हैं कम से कम देवरिया जिले में जिस परिवार में 2 व्यक्ति मार गये हैं और उसके लड़के को बम मारा गया है कि उनकी स्थिति को ठीक करें और जांच करवायें। उस गांव के 10 लोगों को वह बम लगा है परन्तु उन लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। मै चाहता हूं कि कम से कम जो वहां की स्थिति है उसको ठीक करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इलाहाबाद के सम्बन्ध में जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव है उसमें क्या निर्णय दिया है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष--

इसको अस्वीकार करता हूं। अभी राज्यपाल का अभिभाषण है जब इसका उसमें जवाब न मिले और आपको बोलने का मौका न मिले तब आप उठायें। आप गवर्नर के एड्रेस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर न पायें और सरकार अपना दृष्टिकोण न दे तो देखा जायगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हम इलाहाबाद के विधायक इस व्यवस्था के विरोध में 5 मिनट के लिये सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय इलाहाबाद जिले के कुछ अन्य सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)।

श्री हरिकेवल--

मुख्य मन्त्री जी यहां मौजूद हैं। कम से कम देवरिया के उन लोगों के बारे में वक्तव्य दें।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

फैजाबाद में जो घटना हुई है उससे आप भी दुखी होंगे और कोई भी भारतीय नागरिक दुखी हुये बगैर नहीं रह सकता।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय से नहीं मिला। आज 10.5 पर आया है। इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री हरिकेवल--

मैंने तो समय पर लिखकर दिया था।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो उनका जवाब दे रहा था। आप अल्प-सूचित प्रश्न करें, उसको स्वीकार कर लूंगा।

श्री हरिकेवल--

मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। देवरिया में जन-जीवन अरक्षित है।

श्री अध्यक्ष--

राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए आप यह सब सवाल उठा सकते हैं।

श्री हरिकेवल--

उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। लोग मर रहे हैं। अस्पताल में दवा तक नहीं मिल रही है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची 10 पुकारने पर)

श्री हरिकेवल--

आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं सदन की कार्यवाही में बाधा डालूंगा। लोगों को गोली मारी जा रही है। मुख्य मन्त्री जी और यह सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। ..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आपको पूरा अवसर मिलेगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य मन्त्री जी से कहें कि वक्तव्य दे दें। यह मामला आप मुख्य मन्त्री जी के हवाले कर दें।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

मेरा कमरा पाखाने के पास है, उसमें पानी भी चूने लगा है।

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

इसको कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। आप हमारे पास आयें। हमने सेक्रेटरी से कह दिया है कि वह इस पर उचित कार्यवाही करें। आप एक दो दिन देख लें उसके बाद कहें।

श्री श्रीनारायण--

हमें सरकार की कार्यवाही पर कोई विश्वास नहीं है। आप आश्वासन दें।

[* * * *]

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, आप उनको आश्वासन दे दें और उनको अपने कमरे में बुलाकर बात कर लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सेक्रेटरी को आदेश कर दिये हैं कि वह देख लें। इनको 60 नम्बर का कमरा मिला है और वह इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। अगर वह कमरा नहीं चाहते तो दूसरा कमरा दे दिया जाय।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, मेरे पास पूरी पत्रावली है। यह कमरा नं0 60 में 27 मार्च सन् 1974 से रह रहें हैं। अभी हाल में एक कमरा श्री नन्द कुमार तिवारी, एम0 एल0 सी0 का खाली हुआ, वह कमरा श्री सरस्वत सिंह को अलाट कर दिया गया। यह हरिजन के नाम पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, यह तो ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझसे आकर कमरे में बात कर लें।

श्री राजमंगल पांडेय--

ठीक है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

पिछले साल राज्यपाल के अभिभाषण पर दलों के नेताओं को 25 मिनट तथा अन्य माननीय सदस्यों को 10 मिनट बोलने का समय आवंटित किया गया था। मैं समझता हूं कि वह ठीक है। वैसे 10मिनट से ज्यादा ही माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है। अगर 15 मिनट कर देंगे तो बाद में समय कम हो जायेगा तथा और लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर 10 मिनट का भाषण तैयारी के साथ बोला जायेगा तो बहुत अधिक हो सकता है।

एक सदस्य--

आप 25 मिनट का समय रखें।

श्री अध्यक्ष--

नेता सदन और नेता विरोधी दल को समय के लिये व्यवस्था अलग है।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मन्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 18 फरवरी, 1975 को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यावाद प्रकट करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम महामहिम को उनके हिन्दी प्रेम और हिन्दी भाषा में जो उनका धारा-प्रवाह सम्बोधन हुआ है, उसके लिये हृदय से, मैं ही नहीं प्रत्येक हिन्दी के प्रेमी को, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिये। मान्यवर, महामहिम ने अपने संक्षिप्त सम्बोधन में अगले वर्ष शासन की क्या नीति होगी, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जन जीवन को राहत पहुंचाने के लिये, आदि के सम्बन्ध में संकेत किया है। उन नीतियों की चर्चा करने से पूर्व मान्यवर, इस अभिभाषण की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि जिसकी ओर मैं सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महामहिम ने अपने अभिभाषण में यह कहा की आने वाले दिनों में लोकायुक्त की नियुक्त के सम्बन्ध में कोई विधेयक इस सदन के समक्ष जाअ वाला है। यह विधेयक मान्यवर, केन्द्रीय सरकार की ओर से जो विधेयक लाया जा रहा है। उसी के अनुरूप होगा और मैं समझता हूं कि हमारे इधर के साथियों को सरकार के इस निश्चय का हार्दिक स्वागत करना चाहिये। मान्यवर, इस आयुक्त के गठन के उपरान्त जो पहले मौके-बे-मौके भ्रष्टाचार की बात कही जाती है और तत्वों के बिना परीक्षण किये हुये आरोपों-प्रत्यारोपों की बौछार चलती रहती थी, इस विधेयक के पास हो जाने के पश्चात्, मान्यवर, चाहे कोई भी माननीय सदन का सदस्य हो . . . या कोई मन्त्री हो उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के जो भी आरोप होंगे उससे उसके परीक्षण के पूर्ण अधिकार होंगे। मैं अपने दल की ओर से सरकार के इस निश्चय का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए, उसे धन्यावाद देना चाहता हूं। इसके बाद कल जब नेता विरोधी दल महामहिम के अभिभाषण के पूर्व एक अभूतपूर्व ढंग से भाषण कर रहे थे तो उन्होंने 10 बातों का जिक्र किया था.....

श्री अध्यक्ष--

जो भाषण मैंने पढ़ा है वही इस सदन के समक्ष इस समय है।

श्री रामायण राय--

मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता मुहम्मद असरार अहमद पीठासीन हुए)।

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश की सरकार ने कृषि के उत्थान के लिये, उद्योगों के उत्थान के लिये सबसे अधिक महत्व दिया है।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़) --

मन्त्री नहीं हुए हैं इससे आप दुखी मालूम होते हैं ?

श्री रामायण राय--

मेरी यह मान्यता रही है और मैं राय साहब की सेवा में यह निवेदन कर ना चाहता हूं कि छोटे घर की रानी रहने की जगह पर बड़े घर की मेहतरानी रहना पसन्द करूंगा। मैंने जिस दिन इस दल में आने का निश्चय किया था आपकी

तरफ के कुछ लोगों ने यह कहा था कि इस महासमुन्द्र में जा रहे हो बड़े-बड़े मगर मच्छ हैं, खा जायेंगे लेकिन मैं राय साहब तथा उनके साथियों से यह निवेदन करूंगा कि गढ़ई में चाहे कितनी ही डुबकियां लगाइये मोती मिलने वाला नहीं है लेकिन अगर डुबकी लगाने की अक्ल होगी तो इस महासमुद्र से मोती निकाल कर आपकी सेवा में भेंट करूंगा।

श्री रामअधार---

गढ़ई में रह कर आप जैसे रोहू न निकले सिंघरी आगे चल्ली गयी।

श्री रामायण राय---

मैं निवेदन कर रहा था कि इस सरकार ने सिंचाई तथा विद्युत् को शीर्ष स्थान दिया है और गत वर्ष 267.19 करोड़ रुपया योजना तथा उसके आकार के लिये स्वीकृत हुआ था और आगे चल कर यह रकम बढ़ी थी। और लगभग 88.86 करोड़ रुपये सिंचाई के लिये, 45.40 करोड़ रुपये वृहद् उद्योगों के लिये और 7.5 करोड़ रुपये मध्यम उद्योगों के लिये रखे गये हैं। मान्यवर आप जानते हैं कि मैं अभी पश्चिमी जिलों में ट्यूबवेल की हालत को देखने के लिये गया था। मैंने वहां देखा कि बिजली की शार्टेज की वजह से जितने घन्टे इन ट्यूबवेल्स को सेवा करनी चाहिए उतनी वे नहीं कर पाये। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं और विशेष कर माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों के चलते आगामी वर्ष के अन्त तक लगभग 500 मेगावाट बिजली प्रदेश को उपलब्ध होने लगेगी। अक्सर उधर से कहा जाता है कि हमारी ओर से कृषि को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, बिजली को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो मैं उन माननीय सदस्यों की सेवा में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनसे उन्हें ज्ञात हो जायगा कि हमारी ओर के कृषि उद्योग, विद्युत् के ऊपर कितना धन व्यय किया गया और उसकी उपलब्धियां क्या हैं। हमारा जो क्रौप एरिया चौथी योजना में था वह 23,300 हेक्टेयर था वह 1974-75 में 23,733 हेक्टेयर एवं 1975-76 में 24,433 हेक्टेयर हो गया। कुल सिंचन क्षमता चौथी योजना तक 7670 हजार हेक्टेयर थी जो 1974-75 में 8242 हो गई और वर्ष बीतते देर नहीं हुई कि 1975-76 में 8842 हजार हेक्टेयर हो गई। ये हमारी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा शासन की ओर से और भी बड़े-बड़े काम किये गये हैं मुझे आशा है कि उन कामों के लिये सदन का हर माननीय सदस्य इस सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहेगा।

मान्यवर, 1974-75 में कृषि सिंचाई और विद्युत् के लिये 431 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना के कुल परिव्यय में 349 करोड़ रुपये इन क्षेत्रों के लिये रखा गया है। 1975-76 में कृषि, सिंचाई और विद्युत् पर बराबर बल दिया जा रहा है और चौथी योजना के अन्त में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 76.70 लाख हेक्टेयर हो गया। आशा है कि 1974-75 के अन्त में यह 82.42 लाख हेक्टेयर हो जायेगा। सिंचित क्षेत्र चौथी योजना के अन्त में 90.50 लाख हेक्टेयर था जो 1974-75 के अन्त में 97.50 लाख हेक्टेयर होने की सम्भावना है। 1975-76 में 537 मेगावाट अतिरिक्त बिजली इस प्रदेश को मिलने लगेगी और हमें 700 मेगावाट की जरूरत है। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है 1974-75 के लिये केवल 7.5 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश की चीनी और कलाई मिलों की आवश्यकताओं को देखते हुये 6 करोड़ रुपये का

[श्री रामायण राय]

अतिरिक्त प्राविधान किया गया। पांचवीं योजना में सहकारी क्षेत्र में 30 चीनी मिलें और चीनी निगम के अन्तर्गत 4 चीनी मिलों के लगाने का प्रस्ताव है। बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी 30 कताई मिलों के लगाने का प्रस्ताव पांचवीं योजना में है। जिनमें 12 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई जाने वाली हैं। मान्यवर हमारी सरकार जहां कृषि और उद्योग के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है, वहीं पर सरकार की ओर से जो पिछड़े लोग हैं, हरिजन हैं, जो हमेशा न्याय तक के लिये परेशान रहते रहे हैं, उनको राहत देने के लिए जो प्रयास किया गया है, उनकी भी चर्चा करना इस अवसर पर मैं अपना धर्म समझता हूं। आप जानते हैं कि हरिजन क्षात्र धनाभाव के कारण अपनी पढ़ाई का काम ठीक से सम्पादित नहीं कर पाते थे, अत: इस सरकार ने यह निश्चय किया है कि उनको जो स्कालिरशिप दी जाती है वह बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई है। यही नहीं, मेडिकल कालेजों में उनकी सीट्स का जो रिजरवेशन था, उसकी भी संख्या बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। सरकारी नौकरियों में अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि लोक सेवा आयोग तथा अन्य ऊंची जगहों पर बैठने वाले लोग पिछड़ी जातियों और हरिजन जातियों के लोगों के साथ अन्याय करते हैं। मैं आपके माध्यम से श्रीमन् मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस देश के इतिहास में पहली बार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद जैसे स्थान पर एक पिछड़ी जाति के विद्वान् की जो अपने चरित्र और अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हैं नियुक्ति की गई है।

आपने मान्यवर, समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा मंगल देव विशारद जी की रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत हुई है। उससे विदित था कि सरकार की मंशा के विपरीत सीलिंग से निकली जमीन को ठीक ढंग से हरिजनों को मिलनी चाहिए थी वह उन्हें मिल नहीं पाई। उसका बहुत मिस्यूज हुआ। अत: मान्यवर इस सरकार ने यह निश्चय किया कि इस काम को एक ऐसी एजेंसी के माध्यम से कराया जाए, ऐसे लोगों के माध्यम से कराया जाए जिनके निर्णय पर इधर और उधर के बैठने वाले सदस्यों में से किसी को कोई सन्देह न हो। यही कारण है कि जो लोग भू-दान के कार्य में लगे हुये हैं उन लोगों के द्वारा और उनके नेता पाटिल साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन इस सरकार ने किया है जो जमीनों के बंटवारे के काम को देखेगी। जिससे जिन लोगों को सरकार जमीन देना चाहती है, उनको वह मिल सके।

इतना ही नहीं मुख्य मन्त्री जी की कांग्रेस सरकार ने पहली बार विद्यार्थियों के लिए यह निश्चय किया कि उनको यूनिवर्सिटी प्रशासन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए और वह उस तरह के नियम और कानून बनायेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरश: सबसे पहले लागू किया। यह उसको श्रेय प्राप्त है यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुधा यह कहा जाता रहा है कि जिन लोगों को जीवन के अन्य क्षेत्रों में अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थीं वे ही शिक्षण के पेशे में आते थे। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी टीचर्स के विषय में जो फैसला किया है उनके पारिश्रमिक के सम्बन्ध में जो आदेश दिये हैं उनके चलते शिक्षा जगत में मेधावी छात्र आना अपना कर्त्तव्य समझेंगे। यह कोई साधारण फैसला नहीं है। मान्यवर, मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि शासन की ओर से एक आदेश हुआ कि

सबार्डिनेट सरविसेज के लियें जो इम्तहान होते हैं उनमें हिन्दी ज्ञान ही काफी होगा उसके लिये अंग्रेजी भाषा जानना आवश्यक नहीं होगा। बहुधा इस प्रदेश में और इस सदन में यह कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है और हमारे सदन की भाषा हिन्दी है तो हिन्दी में काम होना चाहिये। मान्यवर, केवल हिन्दी ही नहीं उर्दू अकादमी की स्थापना उर्दू टीचर्स के लिये मदद, उर्दू लाइब्रेरीज के लिये इमदाद, यह सारे काम ऐसे हैं जिनकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है और दोनों तरफ के लोगों को बैठकर इस शासन की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी होगी, यह मैं मानता हूं कि कुछ लोग अपनी विवशता के कारण विरोध करेंगे ही और उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल इस समय सदन में उपस्थित हैं मैं उनकी सेवा में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं।

मान्यवर, खाद्यान्न उत्पादन पहली योजना में 121.88 लाख टन था। दूसरी में 129.83 लाख टन हुआ। तीसरी में 135.78 लाख टन हुआ। इसके बाद मान्यवर चौथी योजना में 176.57 लाख टन हो गया और सन् 1970-71 में 176 से बढ़ कर 194.62 लाख टन होने की आशा है।

मान्यवर, जहां तक चावल का सम्बन्ध है उसने इस वर्ष उत्पादन का रिकर्ड बीट कर दिया है। मान्यवर इस अवसर पर मैं केवल उपज की चर्चा नहीं करना चाहता हूं।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जनवितरण प्रणाली के दो लक्ष्य होते हैं एक तो मूल्यों को बढने से रोका जाय और दूसरे जिन लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही हैं उनको वे सहज रूप से उपलब्ध हों और इन कसौटियों पर जब हमारी जनवितरण प्रणाली को आप कसेंगे तो आपको स्वीकार करना होगा कि हमारे एक वर्ष के प्रयोगों और प्रयासों का प्रभाव हुआ है। जनवितरण प्रणाली ने इस दोनों लक्ष्यों को हर दिशा में सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। कुछ जखीरेबाजों को पकड़ने के साथ-स थ हमारी ओर से कुछ कानून ऐसे बने हैं जिनके कारण यह हो पा रहा है ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जिन कैरियर्स पर अपना माल ले जाते हैं उनको अवैधनिक घोषित किया गया इत्यादि, इत्यादि बातें थी। जिनके चलते खाद्यान्नों के भाव गिर सके और महंगाई कम हुई है। यद्यपि मैं यह तो नहीं मानता हूं कि हमारी वितरण प्रणाली अब पूर्ण हो चुकी है लेकिन हमारे जनवितरण प्रणाली के प्रयास जो दो लक्ष्य उसके हैं वह हर दिशा में निरन्तर गतिशील रहे हैं और जनता के जीवन के उपभोग की वस्तुयें सहज रूप से उपलब्धि कराया जा सके।

मान्यवर, अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उससे और लाभ होता हो या न होता हो लेकिन यह अनुभव हुआ है कि उसमें 3 बुराइयां जरूर होती हैं वह हैं—श्रम से नफरत, गरीब से नफरत और अवैधानिक दृष्टिकोण का अभ्युदय। इन तीनों दोषों को दूर करने की नीयत से छात्रों के लिये कुछ ऐसे कार्य-क्रम तैयार किये गये हैं जिनके चलते वह शारीरिक श्रम से नफरत न करें। समाज सेवा के कार्यों में रुचि लें। नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना, उसके साथ-साथ इन्टरमीडिएट स्तर तक तमाम तरह के कामों की योजना बनायी गयी हैं जिसके चलते श्रम और गरीब जनता के प्रति छ त्रों के हृदय में प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न होगी। सभी कहते रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली दूषित है। हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि

[श्री रामायण राय]

हम परीक्षा प्रणाली में इस तरह के परिवर्तन करेंगे जिससे सही मानों में मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने में मौका मिल सकें।

रोजगार के क्षेत्र मे इस सरकार की ओर से भी प्रयास हुआ। हाफ ए मिलियन जाब में काफी लोगों को ट्रेनिंग दी गयी। आर्थिक कठिनाई की स्थिति में भी मैं आपको सूचना देना चाहता कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रयास से हमारी योजना का जो आकार 3 सौ करोड़ कुछ रुपये था, वह 4 सौ करोड़ कुछ रुपये हो गया है इस वर्ष का और यह कहा जाता है कि रुपये के अभाव में सारे के सारे विभाग बेकार बैठे हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के अभाव में सड़कों, पुलों और मकान बनाने की जो योजनायें थीं उनमें कठिनाई आयीं लेकिन वह भी दूर होने जा रही हैं।

निगमों की स्थापना के बारे में यह कहा जाता है कि इस प्रकार लेजिस्लेटिव कन्ट्रोल खत्म हो जायगा। मान्यवर, जहां इस सदन के नियन्त्रण का सम्बन्ध है यह सदन जो भी धन विभागों को देता है उसके नियन्त्रण के लिये तीन समितियां यह सदन स्वयं बनाये हुये हैं। पहली समिति लोक लेखा समिति, जिसके अध्यक्ष आप स्वयं हैं, दूसरी प्राक्कलन समिति जिसकी अध्यक्षता करने का अवसर आपने सेवक को दिया है। तीसरी पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी है। वह तमाम पब्लिक अन्डरटेकिंग की जांच कर सकती है। पिछले दिनों एक वन निगम का बिल आया था। मैंने उसमें एक संशोधन अपनी ओर से भेजा था। वह क्लाज उसमें नहीं था जिसके चलते इस सदन का आर्थिक नियन्त्रण उस पर होता। मुझे खुशी है कि वन मन्त्री जी ने सहर्ष उस संशोधन को स्वीकार किया। इस प्रकार तमाम निगमों पर लेजिस्लेटिव कन्ट्रोल है। सरकारी विभागों का पहले बजट पास होता है, उसका फाइनेन्स डिपार्टमेंट का ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल होना चाहिए, जिसके कार्यान्वियन में विलम्ब होता है। निगमों की कार्य प्रणाली दुततर होती है उस पर अनुशासन भी रहता है, इस सदन के प्रति उत्तरदायी भी होता हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री रामायण राय---

मान्यवर, इन शब्दों के साथ महामहिम ने जो सम्बोधन इस सदन को किया है उसके लिये मैं पुन: हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आग्रह करता हूं कि इधर और उधर दोनों तरफ के बैठने वाले लोग हमारे प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के धन्यबाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। महामहिम राज्यपाल के भाषण से पूर्व सम्मानित विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह साहब ने एक मांग-पत्र पेश किया। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस हुआ कि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं रखा गया और मुझे ऐसा लगा कि.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि वह सदन के सामने नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

मुझे मालूम हुआ है कि किसी अन्य सज्जन ने लिखा और उन्होंने पढ़ा। मैं कहना चाहता हूं कि जो विरोधी दल ने चरित्रहनन की शुरुआत कर दी है वह तो ठीक है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति चेष्टा करें। लेकिन जो हमारा कांस्टीट्यूशन हेड है उसकी गरिमा है और वह एक गौरव की चीज है, उसके प्रति आक्षेप करना, मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के लिये स्वस्थ्य परम्परा नहीं है।

माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अगले साल के कार्य-क्रम के ऊपर प्रकाश डाला और पिछले कार्य-क्रम की रूप-रेखा को प्रस्तुत किया उसमें मैं देखता हूं कि इस प्रशासन द्वारा कितने प्रगतिशील और ठोस कदम उठाये गये हैं। यदि इनकी पूर्ण रूप से विवेचना की जाये तो मैं समझता हूं कि विरोधी दल जानता है कि जितना काम इस समय किय गया है उतना उससे पहले नहीं किया गया है। विशेष रूप से खाद्य समस्या की बात है। यह बड़ी जटिल समस्या थी। लेकिन इस प्रशासन ने प्रदेश की खाद्य समस्या को ठीक से हल किया और आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना की गई जिसके द्वारा 4.90 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदा गया। गेहूं तथा मोटा अनाज 3.12 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया जिससे जनता को राशन पूरे वर्ष मिलता रहे। इसके अतिरिक्त निगम ने रोजमर्रा की जिन्दगी में काम आने वाली वस्तुओं को भी जनता को मुहैया कराने की कोशिश की। जैसे दालें, वनस्पति घी, बेबी फूड, साबुन, वस्त्र इत्यादि।

हमारा विरोधी दल भी जानता है कि इन तीन महीनों में भावों पर नियन्त्रण हुआ है। भाव नीचे गिरे हैं। इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा इस नई लेवी योजना में 70 प्रतिशत छोटे किसानों को छोड़ दिया गया है और केवल बडे किसानों से इसको वसूल किया जा रहा है। वितरण प्रणाली की समुचित व्यवस्था करने के लिये ए0 डी0 एम0 (सप्लाई) को रखा गया है जिसके अन्तर्गत काम ठीक से चल रहा है। अब सस्ते गल्ले की दुकानों पर 2,000 से 3,000 तक यूनिट्स अटैच कर दी गई जिससे जनता को राशन लेने में परेशानी न हो। जाली राशन कार्डों को निकालने के लिये पुलिस सैल की स्थापना की गई। देहात में राशन कार्ड की व्यवस्था की गई।

खाद्यान्न में जमाखोरी को रोकने के लिये एसेंसियल कमोडिटीज ऐक्ट बनाया गया जिसका अनुकरण केन्द्रीय सरकार कर रही है। इसमें विशेष रूप से नान बेलेबिल वारन्ट, वाहन जब्त, अनिवार्य सजा, जुर्माना तथा समरी ट्रायल की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत एक तस्करी व जमाखोरी के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया जिसमें खाद्य व्यापारियों को पकड़े जाने की संख्या 1,687, तस्करी में सजा 654, बाहन की संख्या 552, जब्त वाहन 28, 1,363 दुकानें निरस्त की गईं, 615 गिरफ्तारियां की गईं और 50 तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये गये तथा 625 तस्करी और जमाखोरी में पकड़े गये। इसके अतिरिक्त बहुत सा खाद्यान्न जमाखोरों के यहां से पकड़ा गया। लगभग 1 लाख 40हजार क्विन्टल खाद्यान्न, 11,674 डिब्बे वनस्पति के जब्त किये गये यानी 5,284 क्विन्टल वनस्पति घी, 2,643 क्विन्टल चीनी, 10 हजार लिटर कड़ुवा तेल,

[श्री अधिष्ठाता]

तथा 37,800 बोरी सीमेंट पकड़ा गया। मैं एक बात मानता हूं कि इसी व्यवस्था के द्वारा खाद्यान्न के मूल्यों में कमी आ रही है। मैं समझता हूं कि विरोधी दलों की आलोचना केवल आलोचना मात्र ही है। इस समय विरोधी दलों की स्थिति ऐसी ही है जैसे कि शान रखने वाले दुकान पर चक्का चलाने वाले अन्धे की होती है। जिसको यह मालूम नहीं होता कि चाकू पर धार या कैंची पर लगाया जा रहा है या चाकू पर। विरोधी दल का केवल काम हो गया है कि विरोध के चक्के को निरन्तर खींचते रहना। जहां तक उद्योग की बात है मैं देखता हूं हमारा प्रदेश पिछड़े वर्ष पिछड़ा रहा। पिछले दिनों उद्योगीकरण की दिशा में प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सूत कातने की पांच मिलें खोली जायेंगी। संडीला, मऊनाथ भंजन, बाराबंकी, झांसी, फैजाबाद में ये मिलें सूत बनाने की खोली जायेंगी।

इसके अतिरिक्त 4 चीनी की मिलें खोली जायेंगी। ये चार स्थान—कायमगंज, हरदुआगंज सठियाएं (आजमगढ़), रसड़ा (बलिया) हैं। सीमेंट फैक्टरी का शिलान्यास माननीय प्रधान मन्त्री जी ने किया है जो डल्ला सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर के नाम से है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद में भारत-भारत एलेक्ट्रोनिक्स तथा उन्नाव में प्रिंटिंग मशीन फैक्टरी की स्थापना का शुभारम्भ प्रदेश की सरकार ने किया। देहरादून में सीमेंट फैक्टरी की योजना है। झांसी में ट्रान्सफार्मर फैक्टरी भी स्थापित की जा रही है। इसका शिलान्यास हो चुका है। कानपुर में एलाय, स्टील, फैक्टरी आर्टिफिशल, लिम्ब फैक्टरी की स्थापना की जा रही है। गाजीपुर में पोलिस्टर फाइवर प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है। राय बरेली में सूती कपड़े की मिल खोली जा रही है। लखीमपुर में मैलानी जगह पर एक बल्व फैक्टरी की स्थापना की जा रही है। यह कार्य निजी क्षेत्र में किया जा रहा है।

लघु उद्योग की तरक्की के लिए हमारी सरकार ने कच्चे माल हेतु, बिक्री हेतु, आर्थिक सहायता हेतु, ब्रास वेयर कारपोरेशन और लेदर कारपोरेशन की स्थापना आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो संस्थान निष्क्रिय पड़े हैं उनको चालू कराया जा रहा है और मदद की जा रही है। उनको बिजली और कच्चे माल की भी सुविधा दी जा रही है। इस समय उद्योग कलात्मक वस्तुयें निर्यात करके 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है। यह औद्योगिक क्रान्ति की ओर प्रशासनिक ठोस कदम है। इसके अतिरिक्त हरिजनों के लिए जो कार्य किया है वह विशेष उल्लेखनीय है। एक अध्यादेश द्वारा महाजनों के चंगुल से हरिजन समाज को मुक्त किया गया है। इस अध्यादेश को ऋण मुक्ति अध्यादेश कहते हैं जिसके लिये हरिजन समाज सदैव कांग्रेस का ऋणी रहेगा। चतुर्थ श्रेणी आरक्षण पूर्ति के लिये 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। डिपार्टमेंटल प्रोमोशन में 18 प्रतिशत का जो आदेश किया गया है वह भी अनुकरणीय है। माइनारिटी ग्रुप की सुरक्षा के लिये एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से एक अल्प संख्यक आयोग बनाया गया है। कृषि कार्यों तथा कुटीर उद्योगों के लिये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को वित्तीय सहायता दी गई। इसके लिये 500 रु0 व्यक्तिगत और 5,000 रु0 सहकारी समितियों के लिये प्राविधान किया गया है। गृह निर्माण के लिये 1,297 हैक्टर भूमि.आवंटित की गई। ग्रामों में 5,500 मकान

बनाये गये तथा 1974-75 के बजट में 2.2 लाख परिवारों को भूमि के लिये 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। कुओं के लिये 5,000 रु0 देने का प्राविधान है। भूमिहीन कृषकों को लगभग 9.23 लाख परिवारों को 74,818 बस्तियों में 14,000 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। मेहतरों की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु मैला ढोने के साधनों के लिए एक लाख 7 हजार रुपये व्यय किया गया। जो सर पर मेहतर लोग मैला ढोते हैं, उनके लिए 3 लाख रुपये का और प्राविधान किया गया है। इस सरकार ने मेडिकल कालेज में भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों को 20 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। यह भी एक उल्लेखनीय बात है। इसके अतिरिक्त इस सरकार ने पिछले वर्ष से छात्रवृत्तियों को दुगुना कर दिया गया है। इससे हरिजनों के लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने में अधिक सुविधा प्राप्त होगी। इसमें 2.50 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त छात्रों को सुविधायें देने के लिये और भी प्रयास किया है। छात्रों को पुस्तकें ठीक समय से प्राप्त हों उसके लिये कागज का प्रबन्ध किया गया और 50 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों में से 36 छापकर छात्रों को सुलभ करा दिया है। अभ्यास पुस्तिकाओं की कमी को दूर करने के लिए शासन ने 4 हजार टन कागज का प्रबन्ध किया और 165 लाख अभ्यास पुस्तिकायें छात्रों को सुलभ करायी गयीं और मूल्य नियन्त्रण करा दिया गया है। इस सरकार ने हाई स्कूल व इन्टर परीक्षाओं में एक विषय में फेल छात्रों को पूरक परीक्षा में बैठने की आज्ञा दे दी है। इस के फलस्वरूप 50 हजार छात्र पास हुए और उनका एक वर्ष बच गया। विद्यार्थियों की सुविधा के लिये विद्यार्थी कल्याण परिषद् के गठन का निश्चय किया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अस्थायी अध्यापकों को तीन वर्ष के बाद स्थायी कर दिया गया है तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को 10 रु0 की वृद्धि की गयी है। गैर सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वही वेतन मान देने का निर्णय किया गया है जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को है। इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों व कर्मचारियों को सुविधायें दी गयीं हैं। 10 हजार अध्यापक हाफ ए मिल्यिन जाब में नियुक्त किये गये हैं। संस्कृत अध्यापकों को अंग्रेजी के विषय से मुक्त कर दिया गया है। 10 अक्तूबर, 1974 के पूर्व जिन सेवा निवृत्त अध्यापकों को पेंशन नहीं दी जा रही थी उन्हें पेंशन दी गयी है। प्रदेश के सभी प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सामूहिक जीवन बीमा की सुविधा देना प्रारम्भ कर दिया गया है। महा विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर नये वेतन मान देना शासन ने स्वीकार कर लिया है और आगामी अप्रैल से डिग्री कालेजों के अध्यापकों को सीधा वेतन मिलेगा।

प्रदेश की शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण की कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन ने कठोर कदम उठाये हैं। 1960-61 में जो पुलिस आयोग ने संस्तुति की थी उसी के अन्तर्गत पुलिस विभाग का पुनर्गठन व आधुनिकीकरण की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की वृद्धि, पुलिस दल के लिये मोटर गाड़ियों की व्यवस्था, टेलीफोन की व्यवस्था और वायर लेस की सुविधा दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। हमारे यहां पुलिस प्रबन्ध पर अन्य राज्यों से कम खर्च किया जाता है, लेकिन जन-संख्या के आधार पर ज्यादा होना चाहिये। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1974

[श्री अधिष्ठाता]

में अपराध स्थिति को काबू पाने में पुलिस का योगदान बहुत अच्छा रहा है। डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही बड़ी कठोरता से की गयी है। इसके अतिरिक्त चुनाव कराने की व्यवस्था सामुदायिक झगड़ों को कठोरता से दबाया गया है। इसके साथ ही साथ डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही की है। 120 डकैत मारे गये और 3,189 बन्दी किये गये। कई नामी गिरोह समाप्त हुये हैं।

इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार दूर करने के सम्बन्ध में भी कड़े कदम उठाये हैं। एक जनवरी, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक 4,639 कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही की गई।

मुनाफाखोरी और तस्करी के मामले में पुलिस विभाग की ओर से 25 सितम्बर, 1974 से एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें करीब 719 अभियुक्त पकड़े गये और करीब 2 करोड़, 21 लाख, 59 हजार, 508 रुपये का माल मिला। इन सबके बावजूद प्रशासन जितने भी कार्य सुचारुरूप से कर सकता था किए।

इन शब्दों के साथ मैं महा महिम राज्यपाल के सम्बोधन का समर्थन करता हूं।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय रामायण राय जी ने पेश किया है उसके अन्त में निम्नलिखित जोड़ना चाहता हूं :--

"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं किया --

1--16 फरवरी, 1975 तक कार्य करने वाले मन्त्रिमन्डल के लगभग आधे सदस्य भ्रष्ट थे। काफी समय से मन्त्रि मन्डल के पुनर्गठन और उसके विस्तार की चर्चा चल रही थी और यह उम्मीद थी कि कम से कम उन भ्रष्ट मन्त्रियों को पद मुक्त कर दिया जायगा, किन्तु उसके विपरीत हुआ यह कि ऐसे और व्यक्तियों को मन्त्रि मन्डल में ले लिया गया जो कि उतने ही भ्रष्ट जाने जाते हैं। मन्त्रि-स्तर के भ्रष्टाचार का जो दुष्प्रभाव प्रशासन की हर इकाई तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन पर पड़ेगा वह कल्पना के बाहर है।

2--उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है उसमें वर्तमान मुख्य मंत्री जी का योगदान कम नहीं है। सभी निर्माण कार्य लगभग बन्द हो गये हैं। तमाम अधिकारी व कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

3--आम जनता की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। किसान विशेषकर प्रभावित हुआ है। किसानों की पैदावार के मुख्य दो साधन--पानी और खाद--उन्हें उपलब्ध होती ही नहीं है। और होती भी है तो बहुत अधिक कीमत देने पर। सरकार द्वारा किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य भी नहीं दिया जाता तथा टैक्स पर टैक्स उनके ऊपर लदते जा रहे हैं।

4--प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर कांग्रेसजन द्वारा हस्तक्षेप के कारण ईमानदार अधिकारीगण अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं कानून और व्यवस्था की स्थिति भयावह हो चुकी है। हत्या और डकैती नित्य प्रति बढ़ती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रही है। यह प्रशासन कानून, नियम और व्यवस्था का न होकर केवल गुन्डों का राज्य बन कर रह गया है या उन व्यक्तियों का जो सिफारिश करा सकते हैं अथवा रिश्वत दे सकते हैं।

5—जो दो दर्जन से अधिक निगम स्थापित किये जा चुके हैं अथवा किये जाने वाले हैं वे और अधिक विलम्ब, अधिक अपव्यय तथा अधिक भ्रष्टाचार के कारण बनेंगे। इससे भी अधिक हानि यह होगी कि इन पर विधायिका का कोई नियन्त्रण नहीं रह जायेगा। इन निगमों की स्थापना में एक मात्र तर्क यह है कि इनको बैंकों या दूसरी साख संस्थाओं से ऋण लेने का अधिकार प्राप्त होगा किन्तु इसके परिणामस्वरूप कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश दिवालिया हो जायेगा परन्तु वर्तमान राजनीतिज्ञ उस समय जनता को जवाब देने के लिये यहां मौजूद न होंगे।

6—गुन्डा ऐक्ट तथा आन्तरिक सुरक्षा कानूनों के अन्तर्गत छात्रों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की नजरबन्दी या गिरफ्तारी तथा उन्हें पीटा जाना और यहां तक कि कभी-कभी जेल के अन्दर पिटवाना आज साधारण बात हो गयी है। छोटी-छोटी घटनाओं को बहाना बनाकर गोली चलाने के आदेश दिये जाते हैं। इन सबका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि विरोध पक्ष को भयभीत करके खामोश कर दिया जाय।

7—विधायिका और कार्यपालिका में भेद करने वाले सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत अनेक लाभकारी पदों को अपवाद की सूची में शामिल करके ऐसे कांग्रेसी विधायकों को जिन्हें सरकार में कोई स्थान नहीं मिल सका या नहीं मिल सकेगा, उन्हें प्रचुर उपलब्धियों वाले प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया है ताकि उनका सहयोग सरकार को बराबर मिलता रहे।

8—सत्तारूढ़ दल सरकारी कर्मचारियों को अपना निजी सेवक समझता है और उनसे आशा करता है कि इस तरह कार्य करें कि जिससे सत्तारूढ़ दल का हित साधन हो। अपने दल के लाभ के लिये, कानून, नियम तथा प्रकाशित निर्देशों का प्राय: उल्लंघन किया जाता है। इस प्रकार राज्य और दल का भेद प्राय: समाप्त हो गया है। जिन लोगों ने सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं दी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। फलस्वरूप लोकतन्त्र आज एक मखौल बन कर रह गया है।

9—मुख्य मन्त्री और उनके सहयोगी विरोध पक्ष के विधायकों से सभी प्रकार के प्रलोभन तथा दवाब के द्वारा दल बदल करवा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल ने निश्चय कर लिया है कि देश में कोई सुदृढ़ विरोध पक्ष उदय न हो, जिससे उनके तानाशाही इरादों का अभाव मिलता है।"

अधिष्ठाता महोदय, मेरा कोई इरादा आज इस संशोधन को पेश करने का नहीं था। कुछ मेरी तबियत अच्छी नहीं है इसलिये मैंने अपने साथियों से कहा था—दूसरे विरोधी दलों के नेतागण से कि उनमें से कोई इसको पेश कर के विस्तार पूर्वक भाषण दे लेकिन कोई उनमें से राजी नहीं हुआ। इसलिये मैं केवल अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं और कोशिश मेरी यह होगी कि सदन का अधिक समय न लूं।

[चौधरी चरण सिंह]

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र जो इधर बैठे हैं इस बात को नोट करेंगे कि मैंने और मेरे साथी लोगों ने इस सशोधन में कोई व्यक्तिगत बात नहीं कही है। मैंने वसूल की बात कहने की कोशिश की है। पहली बात है भ्रष्टाचार की। अभी मुझको मालूम हुआ कि आगरा से निर्वाचित हो कर जो साथी आये हैं, मुझे मुलायम सिंह जी ने बतलाया, एक पुराने साथी थे, विधायक जी मेरे साथ रह चुके हैं, उनके सुपुत्र हैं नाम है गुलाब सेहरा जी। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि चरित्रहनन की कोशिश नहीं होनी चाहिये। बात बिल्कुल ठीक है, नहीं होनी चाहिये और किसी को इसमें खुशी भी नहीं होती ऐसी बात कहने से। लेकिन क्या मेरे नौजवान मित्र यह बताने की कोशिश करेंगे कि अगर भ्रष्टाचार की बात कही जाय तो किस प्रकार कही जाय। आखिर गवर्नमेंट तो व्यक्तियों की है। यह प्रशासन भी व्यक्तियों का ही है। तो आम बात कहने से तो कोई काम चलता नहीं। इसलिये मजबूर हो कर नाम लेना पड़ता है। उसको आप चरित्रहनन कहते हैं। अभी बाजरा कांड का मामला जब पिछली बार हम लोग उठा रहे थे तो कांग्रेसी विधायक जो मथुरा से चुन कर आये हैं वह बड़े उबल में आ रहे थे और माननीय सदन को याद होगा उन्होंने तरह-तरह की बातें मेरे खिलाफ कहीं और तरह-तरह की चुनौती दी। अब सी0 आई0 डी0 ने जो थोड़ी बहुत तहकीकात की है, उसकी भी कुछ सीमा है, हमारी इत्तला के अनुसार तो उसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं, उस मामले में उनको डिस्क्रीट ही रहना पड़ेगा, यानी खामोश रहेंगे बुद्धिमानी के साथ, लेकिन वह बात इतनी बढ़ गयी थी कि एक विधायक के खिलाफ तो उनको कुछ करना ही पड़ा और आज उनके खिलाफ वारन्ट मजबूर हो कर माननीय बहुगुणाजी ने जारी कर दिया है। क्या चरित्र-हनन की बात थी जब हमने बाजरा स्कैन्डल की बात उठायी थी? मैं भ्रष्टाचार की बात कह रहा था। मैंने इसमें यह लिखा है कि लगभग आधे भ्रष्ट मन्त्री हैं और कुछ और शामिल कर लीजिये। अब इससे कम तो कहा नहीं जा सकता था। जो भ्रष्ट मन्त्री हैं मुझे उनके भ्रष्टाचार का कोई जाती इल्म नहीं है। लेकिन हम अपने कान बन्द तो नहीं रख सकते? जो हुये हैं उनमें बहुत से मेरे साथ काम भी कर चुके हैं। कुछ उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं अगर भ्रष्ट लोगों में उनका नाम देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, मैं इतना ही कर सकता हूं कि उनका नाम न लूं। मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह कहा जायेगा कि कोई भ्रष्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो जैसा हमने पहले भी माननीय त्रिपाठी जी के सामने भी कहा था, परमात्मा करे वे आरोप गलत हों, उसकी जांच के लिये जुडिशियल अदालत क्यों नहीं बिठा देते? उस पर माननीय त्रिपाठी जी तैयार नहीं हुये थे, न माननीय बहुगुणा जी हुये। अगर बात हमारी गलत होगी तो उससे तो आपको साख बढ़ेगी। अगर हमारे आरोप सही हों तो खुशी से आपको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। इसमें क्या कठिनाई है?

यूनाइटेड किंगडेम के प्रधान मंत्री मिस्टर 'पिट दि एल्डर' ने 1760 में कहा था कि अगर किसी भी मंत्री या मेरे बारे में शिकायत आती है उसे इस्तीफा दे देना चाहिये और उसकी जांच होना चाहिये। मान लीजिये 90 फीसदी भी बहुमत आपके साथ है, फिर भी मनुष्य-मनुष्य ही है, गलती हो सकती है। "पिट दि एल्डर" यही कहता था कि आरोप अगर तथ्यहीन भी हों, निराधार भी हों, तो भी उसकी तहकीकात होना चाहिये। वे सिद्ध हो

जायं तो भी आपका फायदा, न सिद्ध हों तो भी आपका फायदा । इस हैल्दी उसूल को आप क्यों नहीं मानते ? जब संविद की सरकार थी, 1967–68 में उसने एक निर्णय इस संबंध में लिया था और एक पाब्लिक मेन्स इन्क्वायरी आर्डिनेन्स निकाला था। उसमें हमने रखा था कि कोई अगर 10 आदमी भी लिख कर दे दें तो जांच होना चाहिये । उसमें मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, एम0एल0ए0, कार्पोरेशन के मेयर आदि सभी को ले लिया था। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष, जिला परिषदों के अध्यक्षों को भी ले लिया था। इसके अलावा अपने हाथ में हमने कुछ भी नहीं रखा था। उसमें हमने मौजदा ही नहीं, जो पिछले 5 वर्षों में काम कर चुके हों उन सबको उसमें रखा था। अपने हाथ में कोई पावर नहीं रखी थी। कोई चीज अपने अधिकार में नहीं रखी थी। उस जांच को स्वीकार करना या न करना हमारे हाथ में नहीं था, उसकी प्रीलीमिनरी इन्क्वायरी कराने की व्यवस्था रखी थी, अगर प्राइमाफेसाइ केस बनता है तो उसकी बाकायदा जांच मुकर्रर की जाय, यह हमने उसमें रखा था ।

(इस समय 2 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

उसके बाद जो उनका जजमेंट आवे, फाइंडिंग्स आवे, उसे सदन की मेज पर रख दिया जावे, यह था और चूंकि यह निर्भर करता है इनवेस्टिगेशन मशीनरी पर–वह आजाद होगा। हमने सबसे पहले यही रखा था, इससे पहले न किसी कानून में था और न कहीं और था। अब हमारे आर्डिनेंस की दो तीन जगह नकल की गयी है । इसमें हमने मौजूदा मिनिस्टर्स और पहले के सब मिनिस्टर्स को शामिल किया था। दूसरी बात यह कि उसे इण्डिपेंडेन्ट एजेंसी के तौर पर मुकर्रर किया था कि जो आदमी डाइरेक्टर होगा इनवेस्टिगेशन का उसे आई0 जी0 का पद दिया और उसके सुपरिंटेंडेंट पुलिस और इंसपेक्टर पुलिस इण्डिपेंडेंट होंगे और उनका ट्रांसफर होकर पुलिस डिपार्टमेन्ट में वे नहीं आ सकेंगे । और अगर कोई गवर्नमेन्ट उनको निकालना चाहे तो उनको 58 साल की उम्र तक या जब तक कि वे सर्विस में रहते, जितनी उनकी तनख्वाह होती, वह उनको देना होगा ताकि वे किसी के दबाव में न आवें ।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, माननीय बहुगुणा जी को भी याद होगा–शायद उनका भी कोई बयान निकला होगा–कांग्रेस के हर लीडिंग व्यक्ति ने इसका विरोध किया। क्यों ? क्यों विरोध किया ? अब मैं इस वक्त गवर्नर साहब के अभिभाषण में मैं देख रहा हूं कि लोक आयुक्त मुकर्रर करने की तजवीज आप ला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है लेकिन संथानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर स्वच्छता व एफिशिएंसी लाने के लिये लोकपाल मुकर्रर करने की रिकमेंडेशन की थी लेकिन लोकपाल नियुक्त करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है और सूबों के अन्दर लोक आयुक्त मुकर्रर करने की बात थी। इस पर बिहार में कुछ हुआ है लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोक आयुक्त आप यहां मुकर्रर करने जा रहे हैं, इसके लिये आपको बहुत-बहुत बधाई है लेकिन लोक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से आपने चीफ मिनिस्टर को बाहर रखा है, ऐसा क्यों ? अगर इसका ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने बनाया है तो मेरा सुझाव होगा कि यह बात नहीं होनी चाहिये । मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, सब को उसमें होना चाहिये और फिर सारा सवाल यह है कि आया इनवेस्टिगेशन एजेंसी इंडिपेंडेन्ट होगी ? खैर, जब बिल आप लायेंगे तब इसको उस वक्त देखेंगे लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे लीडरान, या हमारे वे लीडर

[चौधरी चरण सिंह]

जिनके लिये हम नारे लगाते थे कि फलां व्यक्ति जिन्दाबाद, फलां व्यक्ति जिन्दाबाद; उन्होंने भी कभी करप्शन को दूर करने की कोशिश नहीं की।

पंडित जवाहर लाल नेहरू से जब कहा गया कि फलां व्यक्ति करप्ट है, लोक सभा की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने तीन बार रिकमेंडेशन किया कि फलां व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाय मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब और सरदार पटेल में कई बातों पर मतभेद रहा है लेकिन उन्होंने भी कहा कि इस मामले में सरदार पटेल और मेरी एक ही राय है कि इस आदमी के बारे में तहकीकात होनी चाहिये लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधान मंत्री थे, उनके सामने इन दो बुजुर्गों की चली नहीं। सरदार पटेल का देहान्त हो गया और उसके बाद ही उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ लोक सभा की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने तीन बार रिपोर्ट की थी, उसे डिफेन्स मिनिस्टर बना दिया गया। यह तरीका है करप्शन को मिटाने का। एक सज्जन से छागला कमीशन की रिपोर्ट पर मिनिस्टरी से इस्तीफा लेना पड़ा। वे दो तीन साल तक बाहर रहे, लेकिन फिर उनको मिनिस्टर बना दिया गया, क्या कारण है उस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस थी उसके द्वारा यह क्यों हुआ ? फिर एक हमारे सूबे के है। कमीशन बैठा, दोषी पाया गया, मुकदमा चला। 2–2 साल की सजा हुयी। मिनिस्टर साहब का केवल इस्तीफा लिया गया। 7–8 साल होने के बाद देवी जी ने अब उनको मिनिस्टर बना दिया है। यह करप्शन को मिटाने का ढंग है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एक बार पंडित जी से कहा गया कि 2–3 मिनिस्टर गैर–ईमानदार हैं। पंडित जी ने कहा ठीक है लेकिन वह बड़े इफीशियेंट हैं। क्या मतलब हुआ ? कोई करप्ट आदमी इफीशियेंट नहीं हो सकता। इफीशियेंसी की पहली शर्त निष्पक्ष होना है। जो आदमी करप्ट होगा वह कभी निष्पक्ष नहीं होगा। लिहाजा इफीशियेंसी का सवाल ही नहीं उठता। इस पर भी हमारी देवी इन्दिरा जी कहती हैं कि पीलिया हो गया है चारों तरफ करप्शन ही करप्शन दिखायी देता है। दूसरे देशों में भी करप्शन है। यह कहकर किस्सा खत्म कर दिया जाता है। मेरा कहना है कि दूसरे देशों में करप्शन इतना नहीं है। करप्शन होता भी है लेकिन इस तरह से नहीं। जो सक्सेजफुल डेमोक्रेसीज हैं उनमें करप्शन नहीं है। जो सक्सेजफुली चल रही हैं उनमें करप्शन नहीं है। और अगर है तो तत्काल कार्यवाही होती है। करप्शन के अन्दर आती है निक्शन की कंडक्ट की बात। कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन पब्लिक ओपीनियन उठी। सबने कहा कि निक्शन इज गिल्टी, मस्ट गो।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त माफ करेंगे कि आखिर करप्शन क्यों इतना बर्दास्त किया जाता है। हम यहां हमेशा नहीं रहेंगे। आपको जाना है और देश हमेशा रहेगा। अगर हम इसी तरह करप्ट रहे और पैसा कमाने में लगे रहे तो यह गरीब जनता किसका भरोसा करेगी। अपने केस को किससे कहेगी। इस देश का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय, दरअसल मुझे यहां बोलने में आनन्द नहीं होता। सारा डिबेट अन रियल हो गया है इसका जनहित से कोई वास्ता नहीं रह गया है। मैं जानता हूं कि माननीय बहुगुणा जी सारी बातों का जवाब देंगे। साथी तालियां बजायेंगे। वोट लिया जायगा। आपकी जीत होगी और धन्यवाद का प्रस्ताव पास हो जायगा। इसके बाद बजट आयेगा। उसमें भी यही होगा। इसलिये मुझे यह सारा डिबेट अन रियल और दूसरी चीजें अन रियल लग रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सन् 42 में हिटलर की लिखी एक पुस्तक पढ़ी थी। उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। जरमन भाषा की थी। उसके माने यही होते हैं, 'माई स्टोरी' हिटलर की लिखी थी। तो उसमें था कि पार्लियामेंट वक्त खराब करती है, पैसा खर्च होता है। जनता का हित नहीं होता। मैं तो उसके नतीजे से सहमत नहीं हूं, लेकिन जो कुछ उसने लिखा था उसमें बहुत कुछ सार्थक है और वही यहां हो रहा है। कारण यह है कि विरोधी पक्ष जो सुझाव दे रहा है उनका कोई असर नहीं हो रहा है, और होने वाला नहीं है। मनुष्य के नाते उसको देखते हुये, स्वाभाविक है कि हमारी तरफ से कुछ गैर जिम्मेदाराना बातें कहीं जाती हैं। तो यह मैंने करप्शन के बारे में कहा है।

दूसरा प्वाइन्ट जो मैंने उठाया है वह है अध्यक्ष महोदय, आर्थिक संकट। अब आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। हो सकता है कि मेरे आंकड़े गलत हों। लेकिन मैं यह समझता हूं, मेरे समझने के अनुसार 400 करोड़ रुपये की आमदनी होती है हमारी गवर्नमेंट को, टैक्सेज के जरिये और जो भारत सरकार टैक्स वसूल करती है उसमें उत्तर प्रदेश का जो शेयर होता है, उसको मिलाकर। केवल 400 करोड़ बैठता है और बाकी कर्ज वर्ज हैं। अब श्री नारायण दत्त तिवारी ने पिछली बार भाषण पढ़ा था तो उसमें उन्होंने तस्लीम किया था कि 302 करोड़ कर्मचारियों को जाता है। 88 करोड़ कर्जे की बेबाकी में जाता है और इस प्रकार 390 करोड़ हो गया। मुख्य मंत्री जी ने यह बयान दिया कि दिसम्बर के बाद हम शायद वेतन न दे सकें परन्तु 14 करोड़ रुपये का और इजाफा किया भत्ते में। अब वह हो गया है 404 करोड़। इस प्रकार 404 करोड़ की आमदनी और 404 करोड़ रुपया राज्य कर्मचारियों के भत्ते में और कर्जे की बेबाकी में। इससे चिन्ता की बात और क्या हो सकती है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इसमें केवल कांग्रेस पार्टी ही दोषी नहीं है बल्कि विरोधी पार्टी भी दोषी है ?

जब कभी राज्य कर्मचारियों के वेतन की बात उठी तो सभी लोगों ने और विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि बढ़ना चाहिये। अभी मेरे 2 मित्र जो सभी मुझसे छोटे हैं और वे मेरा आदर करते हैं जिक्र कर रहे थे कि गवर्नमेन्ट का दिवाला निकल गया। हमने कहा कि माफ करना इसके लिये क्या आप लोग दोषी नहीं हैं ? जहां मैं उनको दोषी मानता हूं उनसे अधिक वे दोषी हैं जिनके हाथ में पावर है। जो चीज जनहित के खिलाफ पड़ती है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिये चाहे इसके लिये इस्तीफा भी देना पड़े। जब तक यह साहस नहीं होगा तब तक देश के भले होने की बात नहीं होगी। यदि उनके वोट की बात है कि हमको वोट उनके-उनके मिलेंगे तो यह जनरल इन्टेरेस्ट की बात नहीं है। इससे बाद में नुकसान की बात है और इस प्रकार देश की उन्नत्ति नहीं हो सकती है। यह डिमोक्रेटिक बात नहीं है। वोट के लालच में पब्लिक इन्टेरेस्ट को सेक्रेफाइस कर देते हैं इसलिये डिक्टेटरशिप होना चाहिये डिमोक्रेसी नहीं।

इस प्रकार यदि हर व्यक्ति के पैर कच्ची मिट्टी के होंगे तो वह लड़ेगा कैसे लेकिन यह होता रहा है। उसके अनुसार जो पोलिटिकल डैमेज हुआ है उसको मैं बरदाश्त करता हूं। परन्तु मैं कोशिश करता हूं कि वह दूर हो। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि चूंकि चौधरी चरण सिंह गरीब व्यक्तियों और राज्य कर्मचारियों के बड़े खिलाफ हैं। मोटी सी बात है कि यह सब मैंनेफेस्टो में लिखा है और उसके खिलाफ नहीं जाता हूं। राज्य कर्मचारियों को भाव बढ़ जाने से तकलीफ होती है इसलिये भत्ता बढ़ा दिया जाता है परन्तु भाव उतारने की कोई

[चौधरी चरण सिंह]

कोशिश नही होती है और भाव तभी उतरेंगे जबकि उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती है लेकिन भत्ता बढ़ा दिया जाता है और उससे और भाव बढ़ जायेगा सबके लिए। एक बार सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 142 करोड़ रुपये का भत्ता दिया। मेरे दामाद वहां इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन भत्ते का एनाउन्समेंट हुआ उसी दिन भाव बढ़ गये। राज्य कर्मचारी तो घर के घर रहे लेकिन सारी जनता के लिये भाव बढ़ गये। 142 करोड़ के अगर ट्यूबवेल बना दिये जाते तो फायदा होता। विरोधी दलों के नेताओं को बुला कर समझा दिया जाता कि दिस इज द प्राबलम। तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर और काम करो। लेकिन नहीं।

पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी। दिसम्बर, 73 की बात है। भत्ता ड्यू हो गया। भत्ता बढ़ा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि पांच परसेंट छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं बताना चाहता हूं कि अगर प्रधान मंत्री सबको बुलाती और कहतीं कि कन्ट्री इज एट वार, वक्त का तकाजा है कि कुछ न बढ़ाया जाय तो मैं यकीन दिलाता हूं कि राज्य कर्मचारी तैयार हो जाते कि न बढ़ाया जाय तो क्यों नहीं उनके देश प्रेम को अपील किया गया। प्राइम मिनिस्टर का कैलकुलेशन यह था कि भत्ता बढ़ाने से लोग खुश रहेंगे और न बढ़ाने से नाराज हो जायेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ाई के वक्त न भी बुलाती और कह देती कि नहीं बढायेंगे तो कोई नाराज न होता।

ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि मुल्क लड़ाई में फंसा हो और आप भत्ते बढ़ावें। माननीय पंत जी के जमाने में 304 रु0 जो तनख्वाह पाते थे उनको भत्ता मिलता था। डा0 सम्पूर्णानन्द ने साढ़े चार सौ की लिमिट कर दी अगरचे मैंने बहुत कहा कि ऐसा न करें। बहिन सुचेता आयीं तो उन्होंने उसको बढ़ा कर 900 कर दिया। हमारी बहुत बड़ी बहिन आयीं तो उन्होंने कह दिया कि जितने भी हैं और एक हजार से ज्यादा पाने वाले हैं उनको भी भत्ता मिलेगा। उन्होंने सबसे पहले तय किया कि आई0 ए0 एस0 अफसर को भी जो एक हजार से ज्यादा पाने वाला है भत्ता मिलेगा। मैं उस समय कांग्रेस में था। सन् 66 की बात है। मेरे पास वह खत रखा है जो मैंने उनके लिखा था कि आप क्या कर रही हैं। ऐसा न करें, बाद में पछताना होगा। लेकिन नहीं सुना। उल्टे थर्ड पे कमीशन बैठा दिया। पे कमीशन बैठेगा तो वह तो हिसाब लगायेगा कि इतने भाव थे और आज इतनें भाव हैं और वह तनख्वाहें बढ़ा देगा। लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी आपकी होगी कि ह्वेयर फ्राम टू गेट मनी, कहां से पैसा लावेंगे। पढ़े-लिखे लोगों को खुश करने की बात है। राज्य कर्मचारी हैं, स्टुडेंट्स हैं, बड़ी फैक्टरीज के लेबरर्स हैं, टीचर्स हैं, जनरलिस्ट्स हैं और इसी तरह के चंद लोग हैं जो कि आवाज उठा सकते हैं, जो आर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको खुश किया जायगा और जो वास्ट मासेज हैं जो चाहें शहर में हैं या गांव में हैं उनको क्या पड़ी है। दे केन बी मिस-लैड। प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

सन् 70 में कांग्रेस की और बी0 के0 डी0 की कोलीशन गवर्नमेंट बनी। जनवरी, 70 में गुप्ता जी राज्य कर्मचारियों से कह चुके थे कि पे कमीशन बैठायेंगें। हमारी गवर्नमेंट आयी और हमने मना कर दिया कि देअर विल बी नो पे कमीशन। एक सवाल आया राज्य कर्मचारियों की ओर से। मेरे साथी फाइनेन्स मिनिस्टरी के चार्ज में थे। उन्होंने पूछा कि क्या जबाब दे दिया जाय, मैंने कह दिया कि साफ मना कर दिया जाय क्योंकि प्रदेश की आर्थि क

स्थिति अच्छी नहीं है। हमें प्रोडक्शन पर ज्यादा खर्च करना चाहिये। खैर, वह जबाब दे दिया गया और बात खतम हो गई। किसी भी राज्य कर्मचारियों ने कोई एजीटेशन नहीं किया जिसकी वजह से डर होता और काम सीधी तरह चलता रहा। साल भर त्रिपाठी जी आये और उन्होंने पे कमीशन बैठा दिया और किफायतशारी उन्होंने क्या की ? उन्होंने एक एक्स–चीफ मिनिस्टर को चेयरमैन बना दिया और 10–12 एम0 एल0 ए0 में रख दिये। लाखों रुपया उसमें खर्च कर दिया, क्या जरूरत थी। अगर तनख्वाह बढ़ानी थी तो चीफ सेक्रेट्री के अतिरिक्त 7 व्यक्ति और रख देते जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी होता। लेकिन नहीं, उसके बाद रिकमन्डेशन आई और 180 करोड़ रुपया बढ़ाना पड़ा। पता नहीं यहां पेश की नहीं, लेकिन बजट में प्रावीजन कर दिया। पता नहीं उस समय मैंने कुछ कहा हो कि नहीं। हो सकता है कि डर के मारे न कहा हो कि क्या मुझे ही अकेले दुश्मन बनना है .....

एक सदस्य––

आप तो किसी से डरते नहीं.....

चौधरी चरण सिंह––

लेकिन कम्युनिस्टों से बहुत डरता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई लिमिट होनी चाहिये जिसके रुपया नहीं बढ़ना चाहिये। मैं यह हरगिज-हरगिज नहीं कर रहा हूं कि कर्मचारियों को तकलीफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उससे ज्यादा उनको तकलीफ है जिनसे टैक्स लेकर हम लोग तनख्वाह पाते हैं। अगर हम उनके दिलों और दिमाग को अपील करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सब ठीक हो जायेगा। और अगर देना ही है तो कोई उसूल होना चाहिये कि यहां तक दिया जाना चाहिये उसके ऊपर नहीं। मैंने सुचेता जी से भी कहा था, लेकिन पालिटिकल कारणों से नहीं माना गया। अगर कोई माननीय सदस्य स्टेडी करना चाहे तो मेरे पास पत्र मौजूद है और उनके जवाब भी। मोटी सी बात है की एक एवरेज इनकम के ऊपर नहीं देना चाहिये। इस समय गरीब और अमीर की डेफीनीशन यह है कि पर–कैपिटा इनकम से जिनकी आमदनी कम है उसे तो मिलना चाहिये और जिनके उससे ज्यादा है उसको नहीं। लेकिन यह बहुत कम आती है। साढ़े 27 रुपया प्रति व्यक्ति की माहवार आमदनी है यानि लगभग 341 रुपये वार्षिक यह भी कम पड़ता है तो शहर वालों की आमदनी ले ली जाय। और अगर यह भी कम पड़ती है तो एक बहुत अच्छा पैमाना यह है कि जो आमदनी इनकम टैक्स देता हो उनको डीयर–अलाउन्स नहीं मिलना चाहिये। यानि 6,000 रुपये वार्षिक यानि 500 रुपये माहवार वालों से ऊपर के लोगों को डीयरनेस अलाउन्स नहीं मिलना चाहिये इसमें किसी को एतराज नहीं होगा। मोटी सी बात है, लेकिन नहीं। हमारे आई0 ए0 एस0 आफीसर अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी टाई लगाते हैं, हमारे भी कुछ लगते हैं, उनके हाथ में पावर है, कोई चेंज नहीं हुआ है अंग्रेजों के जाने से। आई ए0 एस0 के लोगों को जो दो हजार से ऊपर पाने वाले लोग हैं, उनको जब देने की बात मंजूर कर लेते हैं और अपने को गरीबों का हमदर्द और समाजवाद का नारा देते हैं तो क्या कहा जाय, उनको, मेरी समझ में नहीं आता।

एक उलटी बात और देखिये। जो छोटे राज्य कर्मचारी हैं उनको कम महंगाई भता और जो जो बड़े हैं उनको उनसे ज्यादा और उनसे ज्यादा तनख्वाह वालों को उनसे

[चौधरी चरण सिंह]

ज्यादा। कोई अकल है, बुद्धि की बात है। इस पर मैंने अनेकों बार कहा, लिखा सुचेता जी को, लेकिन नहीं। 500 रु0 से ऊपर वालों को किसी को भी नहीं मिलना चाहिये। इसमें सेक्रेट्रिएट के बहुत से लोग होंगे, पी0 सी0 एस0 के लोग होंगे, आई0 ए0 एस0 वाले होंगे उनके दिलों को अपील करें, उनसे अगर यह कहा जाय कि अन्न सस्ता लोगे या नोटों की गड्डी जिससे अन्न न मिल सके। यह एकोनोमी को सुधारने की चीज है, लेकिन वह तो बिगड़ चुकी, अब कैसे सुधरेगी। एक बार जब गलती हो जाय तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथियों ने कहा कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हो जाते तो क्या करते, लेकिन क्या जवाब दिया जाय। अगर एक बात अगर खराब हो गई तो बड़ा ड्रास्टिक ऐक्शन लेना होगा। इलाज तो हर चीज का हो सकता है। लेकिन मैं अपने को एग्जर्ट नहीं करता। इस तरह से एकोनोमी बिगड़ गई।

अभी 15–16 जनवरी को मैं बुलन्दशहर को जा रहा था देहली से तो मैं दादरी कस्बे पर पहुंचने वाला था। श्री जगवीर सिंह जो एक्स एम0 एल0 ए0 थे वह मेरे साथ थे। उनके दामाद सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर हैं, मेरठ में पोस्टेड हैं। वह साथ थे उनसे बात होने लगी। उन्होंने जगवीर सिंह जी से यह कहा कि चरण सिंह जी से यह कहना कि एसेम्बली में यह सवाल उठाये और सिंचाई मंत्री जी से यह कहे कि हमारे पास इस वक्त यह इनफार्म है कि अगर रजवाहा नहर टूट जाय तो हम अपने पास से पैसा नहीं खर्च कर सकते, बल्कि गांव वालों को समझायें और श्रमदान से काम करायें। ऐसा इत्तिफाक हुआ कि जैसे ही दादरी से आगे निकला तो मैंने देखा कि एक रजवाहा टूटा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा। यही सब डिपार्टमेंट का हाल है। हजारों का नुकसान हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज के लिये पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्य मंत्री बुरा न माने तो मैं कहूं कि अगर उन्हें ही प्रिसाइड करना है और प्रदेश की यह स्थिति हो तो उससे क्या लाभ। उनकी आत्मा को उनकी कन्सेंस को कैसे सैटिसफेक्शन होगा। इसमें कमलापति जी का दोष ही नहीं है, आप भी दोषी हैं।

45 करोड़ रुपया कम से कम आपने 3 महीने केअन्दर बढ़ा दिया नवम्बर से ले कर फरवरी तक। आप चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद बहुत बढ़ गया। जो चीज मैं कहता था वही बात हुई। आपको चैन से नहीं बैठने दिया। आज फलां जगह हड़ताल है। राज्य कर्मचारी कह रहा है यह होना चाहिये। अमुक का यह हो गया हमारा वेतन क्यों नहीं बढ़ा? फिर भी कोई एंड नहीं। पता नहीं आपको नींद आती है या नहीं। मेरी स्थिति ऐसी होती तो मैं पागल हो कर मर जाता। सारे दिन काम करो। लोगों की एप्लिकेशंस देखो। रात में आंख खुली तो यही फिक्र अमुक जगह स्ट्राइक हो रही है, फलां डेपुटेशन आयेगा। यह स्थिति हो गयी है (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सीरियस बातें हों। मजाक न हो।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मेरी उम्र आपसे मजाक करने की नहीं है। मैंने कहा यह था "रहिमन उतरे पार भार झोंकि सब भाड़ में।" जनता ने आपको सब भार से मुक्त कर दिया है। आप उसे बधाई दें।

चौधरी चरण सिंह—

यह एटीट्यूड है। इतना ही आपने समझा ? जनता ने भार से मुक्त हमको नहीं किया है। आपने किया है। आपके रहते हुए डेमोक्रेसी चल नहीं सकती जब तक आप जैसे सपोर्टर्स आंख मींच कर सपोर्ट देते रहेंगे। आपने देश को कहां पहुंचा दिया ? अकेले बहुगुणा जी तथा तिवारी जी ही जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। जब सब चौपट कर दिया तो स्कीम चलाई 25 परसेंट बचत की। लेकिन बचत डिस्क्रीशनरी होती है, कम्पलसरी नहीं होती। यह नहीं होना चाहिये कि बहुगुणा जी ने एक मंत्रेस कह दिया और आपने ताली पीट दी। बचत वालेंटरी होती लेकिन वह कम्पलसरी है। आप अपील करते लेकिन ऐसा न करके आफिसर्स को समझाते हैं। उनका समझाना आदेश है। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आज के स्वतंत्र भारत में देखा वेतन कटौती के विरुद्ध क्या लिखा है। गोंडा जनपद में राज्य सरकार एवं युवा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक श्री झारखंडे राय की अध्यक्षता में हुई जिसमें उत्पीड़ित कर्मचारियों की बहाली एवं बचत के नाम पर कर्मचारियों के वेतन से 25 प्रतिशत कटौती को बन्द करने की मांग की गयी। यह वालंटरी नहीं है। यह कटौती है और इसके लिये आपकी मजबूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये हजारों रास्तों की तलाश में आप हैं। इस हद तक आपकी हालत हो गई है। ऐसी स्थिति में किफायतशारी की दृष्टि होनी चाहिये थी वह नहीं हो रही है।

दिल्ली में यू0 पी0 निवास बना है। पहले से बना हुआ है। वहां पर और प्रदेशों के निवास भी बने हैं। उसमें तरमीम होनी चाहिये थे लेकिन आज के जमाने में नहीं हो सकती थी और न ही तरमीम करनी चाहिये थी। लाखों-लाखों रुपया उसमें लगाया गया और शायद 29 लाख रुपये उसमें लगे हैं। अगर इतने न हों तो मुख्य मंत्री मुझे सुधार देंगे। तो मय बिजली के उसमें 29 लाख रुपये खर्च हुये हैं। इस 29 लाख में 20 ट्यूबवेल लग सकते थे और 7 हजार एकड़ में आबपाशी हो कती थी। तो आप यह बतायें कि 20 ट्यूबवेल लगने मुनासिब थे या उस पर 29 लाख रुपये खर्च करना मुनासिब था। प्राथान्यता का आपका क्या क्रम है। मुझे देखकर तकलीफ होती है क्यों कि मैं उसमें जाकर ठहरता हूं। मैंने देखा कि सारी दीवार पर परदे लगे हैं। खिड़कियां जब वहां पर तो उन्हीं को ढंक दिया जाता, पूरी दीवाल पर परदा लगा हुआ है। खिड़की दरवाजों पर परदों में डोरियां लगी हुई हैं जिनको खींचों तो परदे बन्द हो जाते हैं और खुल जाते हैं। मुख्य मंत्री जी परदे तो खिड़की में होने चाहिये थे सारी दीवाल पर क्यों लगे ? जहां एक खिड़की का परदा 50 रूपये में आता वहां पर 500 रुपये खर्च किये गये हैं, ऐसा क्यों किया गया ? कौन आपकी तारीफ करेगा। लोग यही कहेंगे कि यह क्या उसी स्टेट का निवास है जहां कि लोग भूखों मर रहे हैं। क्या गांधी जी यही चाहते थे। माउ-से-तुंग आज डेमोक्रेसी को छोड़कर गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं किन्तु अपने लोग उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इस स्थिति से आज प्रदेश की हालत चौपट हो गयी है।

स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के किसी एक कनरे में 70 हजार रुपये लगे हैं। मुख्य मंत्री जी आप जाकर तो देखिये। क्यों इतनी फिजूल खर्ची हो रही है। क्या आपको इन बातों से गुस्सा नहीं आता। आप भी न मालूम हेलीकाप्टर का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं।

[चौधरी चरण सिंह]

यदि आपकी मजबूरी हो तो तब मुझे कुछ नहीं कहना है किन्तु यदि कम इस्तेमाल किया जाय तो वह अच्छा ही है। आज सड़क और पुल बनाने के लिये पैसा नहीं लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता था किन्तु मेरे पास एक इन्वीटेशन पहुंच गया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लि0 का था। मंगलवार 11 फरवरी, 1975 को माननीय लक्ष्मी शंकर जी यादव मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा बिजनौर जनपद में नगीना बारहापुर मार्ग पर खो नदी सेतु के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आपको सादर आमंत्रित करते हैं। कोई नदी होगी उसके पुल के उद्घाटन समारोह मनाया गया। हजारों रूपया इस पर खर्च हुआ होगा। ये उद्घाटन क्यों हो रहे हैं जब आपके पास पैसा नही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्यों इतना रुपया छोटी-छोटी चीजों पर आप खर्च कर रहे हैं। इसी से आप क्लाइमेट और होस्टैलिटी पैदा कर रहे हैं। इकानोमी सुधारने की फिक्र किसको होगी। मेरे पास आर0 के0 पटेल का लेटर है। मैंने उनका नाम सुना है और एक आध दफे मुलाकात भी हुई है। तो एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव डेलीगेशन एक चायना में भेजा था पंडित जी ने। शायद उसके वह चेयरमैन थे। उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जब मेरी रेवेन्यू की रिस्पांस्बेलिटी थी और मेरे पास एग्रीकल्चर भी था। यह सोचकर कि शायद कोई नया आइडिया चीन से मिले। तब से उनका नाम याद आया है। कोई उसमें प्राइवेट बात नहीं है, इसलिये यहां उसका जिक्र कर रहा हूं। उसमें था, चूंकि आपने लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी के लिये कार्य करना स्वीकार किया है, मैं इस सिलसिले में आपसे बात करने आपके मकान पर आना चाहता हूं। मैंने जवाब लिखा, "बहुत-बहुत धन्यवाद"। मैंने कोई ऐसी स्वीकृति नहीं दी और कहा कि किसी लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी की नियुक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। अब अभी श्री रामायण राय जी कह रहे थे कि वह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यह कमेटियां जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगी या अफसर यह कार्य करेंगे रूल्स ऐण्ड रेगूलेशन के अनुसार। इससे इन अफसरों की जिम्मेदारी कम हो जाती है, इतना ही नहीं बल्कि वह इसका बुरा भी मानते हैं कि आप उनका विश्वास नहीं करते हैं। मेरा तजुर्बा यह है कि जो आप चाहते हैं, लफ्ज से नहीं दिल से, अफसर वही करी-आन करते हैं। आप चाहेंगे कि करप्शन न हो, पार्शियल्टी न हो, ईमानदार आदमी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद पर हों, तो वैसा ही होगा, लेकिन इसे यदि आप दिल से चाहेंगे। यदि आप चाहेंगे कि जमीन का सही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो वैसा भी होगा। गल्तियां इसमें भी होंगी, बेइमानी भी होगी; लेकिन उतनी नहीं। लेकिन आप तो यह सब केवल दिखावे के लिये करते हैं कि इस तरह से आपका प्रोपोगण्डा हो जाएगा और शहरों या गांवों में जो लोग अस्लियत नहीं जानते हैं वे यही समझेंगे कि लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी में इस बाहर के एक्सपर्ट को लाने से कोई बड़ा काम हो जाएगा। जो शायद एक्सपर्ट यहां न मिलता हो। मैं उनकी शान में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जरूरत क्या थी उनको लाने की।

आप जो अनेक कमेटियां बनाते जा रहे हैं, उससे तनिक भी हित होने वाला नहीं है। आपको यदि कोई ब्राइटर आइडिया सूझ रहा हो भूमि प्रबन्ध के सम्बन्ध में तो आप अपने रेवेन्यू मिनिस्टर से बात करो। आजकल सेक्रेटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, श्री गिरीशचन्द्र चतुर्वेदी बड़े एबेल आदमी हैं, ही हैड बीन बेरी एबेल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐण्ड हैड बीन एबेल कलेक्टर

आलसो। वह तो गांव की सभी बातें बारीकी से जानते हैं। आपको उनका कोआपरेशन लेना चाहिये। आपको भी समझना चाहिये कि जो लोग रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन की पैचीदगियों को नहीं जानेंगे, वह एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर या मुख्य मंत्री नहीं हो सकते हैं। आपको जानना चाहिये, तभी आप अफसरों को कह सकेंगे कि यह बेहूदा आर्डर तुमने क्यों दिया। कमेटियां, कमीशन अन्धाधुन्ध बेशुमार बन रही हैं, ऐस मेरा ख्याल है। यही मैं कह रहा था कि पहले हमारे एक्स मिनिस्टर मंगलदेव विशारद की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। दैट वाज आलसो अननेसेसरी। कौन नहीं जानता कि किस बड़े फार्मर्स ने जमीन चुराली है, या अपने पास दबा ली है या कितने गलत तरीके से जमीन तकसीम हुई है। इसके लिये क्या समिति की जरूरत होती है। दीजिए सरकुलर सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को, जैसा आप चाहेंगे वैसा काम होगा। किन्तु यदि वह जानेंगे कि एक जिले में बड़े से बड़े आदमी का बड़े से बड़ा फार्म है और वह कांग्रेस तथा गवर्नमेंट का मालिक है लखनऊ और दिल्ली में, तो क्या करेगा बेचारा अफसर? क्या अफसर भूख है, उसको नौकरी नहीं करनी है कि वह इस तरह का सही-सही नोट दे दे। तो जिससे केवल प्रोपोगण्डा होता हो, आपकी फिजूलखर्ची हो कहा जाएगा।

अब आइये लोगों को एकोनामिक कंडीशन पर आया जो उनके कन्सेप्ट्स हैं, जो डेफनीशंस हैं वह वही हैं जो प्लानिंग कमीशन के हैं लेकिन आल इंडिया फिगर्स जो प्लानिंग कमीशन के हैं उसके अनुसार 341 रुपया है, हमारी उससे कम होगी। शुरू में तो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश इन तीनों से हम ज्यादा थे बाकी 12 सूबों से कम होंगे, अब शायद उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी आगे निकल गये होंगे, बिहार ही शायद अब हमसे पीछे रह गया हो। जब स्वराज्य हुआ था तब सिर्फ 5, 6 स्टेट हमसे मालदार थे बाकी सब हमसे गरीब थे लेकिन आज हम आलमोस्ट आन दि लोएस्ट टू आफ दि लैडर हैं। यह हालत है, हमारे उत्तर प्रदेश की एकनामिक कन्डीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन जो मैं बराबर कहता रहता हूं उसको नहीं दोहराऊंगा नहीं आप लोग बुरा मानेंगे .....

मुख्य मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--

आदर के साथ सुन रहा हूं, चौधरी साहब।

चौधरी चरण सिंह--

आदर से सुन तो रहे हो, अमल तो नहीं करोगे।

एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर आपका बड़ा लम्बा चौड़ा नोट मेरे पास है, अभी मैंने उसे पढ़ा भी है, मैंने जितनी बातें कहीं थीं उनका एक का उत्तर नहीं, इधर उधर की कहते चले गये हो। मैंने खेती की पैदावार के बारे में बार-बार पंडित जी से कहा था लेकिन सरकार ने उस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। माई चार्ज स्टेड्स टू डे। आपने उसको रिफ्यूट करने की कोशिश की लेकिन अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन पहली फाईव ईयर प्लान में 37 परसेंट रुपया एग्रीकल्चर पर रखा गया और इंडस्ट्री पर केवल 4.9 परसेंट रुपया था या 5 परसेंट रख लो। सेकेन्ड फाईव ईयर प्लान और थर्ड फाईव ईयर प्लान और थ्री ऐनुअल प्लांस, फिर फोर्थ फाईव ईयर प्लान और फिफ्थ ड्राफ्ट फाइव ईयर प्लान तक आते आते वह 37 से घटाकर 21 परसेंट और हेवी इन्डस्ट्रीज पर बढ़ाकर 5 से 23 परसेंट क्यों किया गया? आप कहते हैं कि पंडित जी एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देने

[चौधरी चरण सिंह]

के हामी थे और आपने उद्धरण भी दिये। मैं भी तो यही कहता हूं कि बाद में चाहते थे जब नवम्बर 63 में जब गल्ले की कमी के कारण देश बरबाद हो गया लेकिन मैं पूछता हूं कि उनका रुख 56 में क्या था? ऐलोकेशंस के समय उन्होंने कहा था कि मैं किसी चीज को उतना इम्पार्टेन्ट नहीं समझता एक्सेप्ट हेवी इंडस्ट्रीज और उस ऐटीट्यूड के फलस्वरूप जो पहली प्रोजना में खेती पर 37 परसेंट था ऐलोकेशन वह सेकन्ड में 21 हो गया और इंडस्ट्री को 5 से बढ़ाकर 23 कर दिया। ह्वाई?

पहली प्राथमिकता खेती को देनी थी, लेकिन नहीं, कहा गेहूं अमेरिका से मंगाया जाय और 29 अगस्त सन् 56 को पी0एल0 480 का एग्रीमेंट होता है बजाय अपनी खेती की पैदावार को बढ़ाने के उन्होंने किया यह कि जितना ज्यादा से ज्यादा कर्जा जहां से मिल सकता है हेवी इण्डस्ट्रीज के लिये लो और बाहर से गल्ला मंगाओ शहर वाले शोर मचावेंगे, मंगाओ और मंगाकर इनको दो, नथिंग एल्स मैटर्स एक्सेप्ट हेवी इंडस्ट्रीज। अब मुझे खुशी है कि हक्सर साहब जो अब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने माना है अब कि एग्रीकल्चर पर ज्यादा खर्ज किया जाय। तो एकानामी का आपकी यह हाल है कि इसके अलावा अब आपके लिये और कोई रस्ता है। लेकिन अब मैं उस पर नहीं कहूंगा।

इधर क्या है आप टेलीविजन फैक्टरी लगवा रहे हैं। मालूम होता है कि एग्रीकल्चर पर तस्वीरें उसमें दिखाई जावेंगी और इधर किसानों के साथ जो हो रहा है उसको सुनकर तकलीफ होनी चाहिये।

खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये 3 रिसोर्स फैसिलिटीज होनी चाहिये। पानी, खाद और बीज। बीज को मैं छोड़े देता हूं। अगरचे बीज पर जो पहली रिसर्चेज थीं वह खत्म हो चुकी अब ज्यादा रिसर्च होनी चाहिये पहले जो सीड की वेराइटी थी उसकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है और अब उस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहये। लेकिन उसको छोड़ देता हूं।

अब रहे दो--पानी और खाद। खाद की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। पहली योजना में गोबर पर जोर था, हरी खाद पर जोर था। और जो जानवरों की लाशों को इस्तेमाल करने पर जोर था। बनारस में सेवापुरी में मैं खुद गया हूं, जब एग्रीकल्चरल मिनिस्टर था। वहां जानवरों की लाश से खाद बनती है। मैंने उसको बहुत कोशिश किया हर गांव में फैलाने की। बाधक हो गया आर्टिफिशल खाद। नहीं तो इतना जबरदस्त आर्गेनिक मेन्योर वैस्ट नहीं होती। चूल्हा सुधारने की कोशिश की। प्लानिंग, रिसर्च ऐंड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट ने चूल्हा बनाने की कोशिश की। 1959-60 में मैंने भी उनको सुझाव दिये थे। एक डाक्टर रामदास थे, जैसे ही वह चले गये, चूल्हे की कौन फिक्र करने वाला। गोबर का मजाक पंडित जी ने बनाया। लिहाजा सेकंड फाइव इयर प्लान में केमिकल फर्टिलाइजर पर जोर। 115 करोड़ का फर्टिलाइजर भी बाहर से आ गया। ढाई सौ करोड़ का अब मांग रहे हैं, चार सौ करोड़ पर पहुंचेगा। गांधी कहते थे कि आर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करो। हर चीज में चीन की नकल। कम्युनिज्म आने से पहले चीन में आर्गेनिक मैन्योर पर बड़ा जोर था। 'फार्मर्स आफ फोर थाउजेन्ड सेंचुरीज' एक किताब है। मशहूर किताब है। वहां एलवर्ट हावर्ड ने कम्योस्ट का आयडिया लिया। जब कम्युनिज्म आया तो केमिकल फर्टिलाइजर पर जोर हुआ। उसके बाद राय बदली। वहां की लीडरशिप बहुत डायनेमिक है।

उन्होंने गोबर इस्तेमाल करना शुरू किया। रिवर्ट कर गये आर्गेनिक मैन्योर पर, आर्टिफिशल फर्टिलाइजर की बात छोड़ दी। जब वह गोबर पर आये तो हमारे यहां भी वही, क्योंकि हमें नकल करनी है तब पंडित जी ने गोबर का मजाक उड़ाया, बावजूद गांधी जी की शिक्षा के।

दूसरी योजना में गोबर और हरी खाद पर एम्फैसिस खत्म। बाहर गल्ला मंगाना और गोबर का मजाक, इट इज काऊइंग एज। लिहाजा नवम्बर, 1973 में श्री माओत्सेतुंग जब फिर बात कर रहे हैं गोबर की तो अब उनकी बेटी भी वही कर रही हैं। एक सर्कुलर निकला है प्लानिंग कमीशन या गवर्नमेंट आफ इन्डिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कि स्टेट्स अपने प्लानिंग आफिसर्स को समझाएं कि हरी खाद इस्तेमाल हो। क्या लीडरशिप हुई? विदेश जब गोबर को छोड़ कर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करे तो गोबर के इस्तेमाल को छोड़ कर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की बात करें। जब वह फर्टिलाइजर छोड़ने की बात करे तो आप भी छोड़ने की बात कहें। नकल करनी है, दूसरे की गोबर खत्म हुआ। अब पानी की बात लीजिये।

पानी के लिये चाहिये बिजली। बिजली की बाबत यह प्रचार किया जाता है कि इतनी बिजली पैदा होती थी। गांव वालों को कितनी मिल रही है? कहां मिल रही है। कुल बिजली जितनी देश में प्रोडयूस होती है उसकी साढ़े 12 परसेंट पहले मिलती थी और अब साढ़े सोलह मिलता है और यदि आप इजाजत दें तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं। डाक्टर वी वैंकटाप्पैया, चेयरमैन, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन ने कहा है कि--

"Dr. B. Venkatappiah, Chairman of the Rural Electrification Corporation, has said the amount of electrical energy that goes into agricultural production is wholly inadequate."

यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कहा है। नई दिल्ली की 31 जनवरी की खबर है। उन्होंने तहरीर किया है कि जो बिजली खेती की पैदावार के लिये मिलती है वह अपर्याप्त है। यह स्पीच उन्होंने सेविन्थ लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में दी है कि--

"Delivering the Seventh Lal Bahadur Shastri Memorial Lecture at the Indian Agricultural Research Institute here today, he said, power was needed" not so much for brightening Indian villages as for heightening their economy."

"Out of total consumption of electricity energy in India not more than 12.5% was the share of rural areas until few years ago. It has since gone up to nearly 16.6% but even so, is extremely low in terms of the power requirements of a sector or which comprises 80% of the population and provides nearly half the national income."

गांवों में पहले जितनी बिजली खर्चा होती थी वह साढ़े बारह प्रतिशत थी वह अब साढ़े सोलह प्रतिशत हो गई है। जितनी बिजली पैदा होती है उसका छठवां हिस्सा गांवों पर खर्च होता है।

[चौधरी चरण सिंह]

अब उत्तर प्रदेश की हालत सुनिये। आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय भानुप्रताप सिंह जी हमारे साथी थे उनका लिखा हुआ एक छोटा सा नोट है। आज मैंने उसको पढ़ा तो हैरत में रह गया। मैंने पहले समझने की कोशिश नहीं की थी कि बिजली के संबंध में गांव वालों के साथ क्या ज्यादती हो रही है। जितनी बिजली ट्यूबवेलों पर खर्च हो रही वह घटती जा रही है। मस्लन बिजली का टोटल कंजम्पशन 1970–71 में 429 करोड़, 1971–72 में 338 करोड़, 1972–73 में 480.4 करोड़, और 1973–74 में 432.23 करोड़ खर्च होती थी। कितने प्रतिशत यूनिट्स खर्च होती थीं। वह इस प्रकार है कि 70–71 में 43 प्रतिशत, 71–72 में 48 प्रतिशत, 72–73 में 51 प्रतिशत तथा 73–74 में 40 प्रतिशत ही रह गई। जितना टोटल कंजम्पशन बिजली का है उसमें से उत्तर प्रदेश का हिस्सा वह 70–71 में 10·12 प्रतिशत, 71–72 में 10.79 प्रतिशत, 72–73 में 10.72 प्रतिशत और 73–74 में 9.44 प्रतिशत। ट्रांसमिशन लौसेज 25 प्रतिशत है। जो गांव वालों पर बिजली खर्च की जा रही है उसमें ट्रांसमिशन लौसेज 40 प्रतिशत है। दूसरे कंट्रीज में 12/13 परसेंट हैं। हिन्दुस्तान का भी काफी है लेकिन हमारे प्रदेश का हाइयेस्ट है। थैफ्ट का भी बहुत लौस है, कौन ऐक्शन ले, इनके पास कार भी है, खाना भी अच्छा खिलाते हैं, रुपया भी अच्छा देते हैं। मैंने तो एक दफा पढ़ा, कि हाइडिल इन्जीनियर्स की मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रोग्राम है। बहुत चोरी हो रही है इसके लिये ऐक्शन नहीं लेते हैं। अब मुझे नहीं मालूम है कि चोरी हो रही है तो कोई ऐक्शन लिया गया कि नहीं। अगर यह हो जाय तो फिर क्या।

अच्छा अध्यक्ष महोदय, तो यह हुआ अच्छा अब और देखिये—कितने साल एक ट्यूबवेल औसतन चलता है। 1970–71 से लेकर 4 साल के 594, पहले साल 1970–71 में 621 घंटे एक साल में। 1972–73 मे 554 घंटे, 1973–74 में 362 घंटे। साल भर में 362 घंटे एक ट्यूबवेल चलता है औसतन। कहिये अरे, 180 रुपये तो उसको पर हार्स पावर देना ही है। पर यूनिट और पर हार्स पावर तो उसे देना ही है। अब यह 362 जो हुआ तो 594 पहले था, अब 1 घंटा का औसतन हुआ, अगर बिजली मौजूद हो तो किसान इस्तेमाल नहीं करेगा? लेकिन उसको सप्लाई अवेलेबुल नहीं है। अच्छा और देखिये कि कीमत कितनी देनी पड़ती है। उसमें क्या इजाफा हुआ। 1970–71 में एक यूनिट बिजली की कीमत प्राइवेट ट्यूबवेल वालों को देना पड़ता था 15.78 पैसे, फिर हुआ 16 2/3 पैसे, फिर हुआ 26 1/2 पैसे, अब हुआ पौने तीस पैसे। बिजली के दाम बढ़ते जाते हैं, इमदाद खर्च करने की कम होती जाती है और दाम बढ़ते जाते हैं। इसके बाद आपने 180 रुपये पर हार्स पावर, पर इयर लगा दिया है, गजब कर दिया है आपने बिजली एक मिनट न चले ट्यूबवेल, 180 पर हार्स पावर देना होगा। यह बात नहीं है कि आपको मालूम न हो, यह नहीं हो सकता बड़ुगा जी बहुत होशियार आदमी हैं। मैं तो उनके साथ हमदर्दी करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये करें क्या वोट के लिये तो सब इन्होंने बांट दिया था और अब रिटेंशन आफ पावर के लिये क्या करें, लिहाजा यह अन्याय मैंने सुना कि 5 हार्स पावर से ज्यादा कोई ट्यूबवेल नहीं चलता। आमतौर से 15 के होते हैं, कुछ 20 के होते हैं, तो 15 हार्स पावर का

ट्यूबवेल किसी का है और 180 को 15 से जरब कर दीजिए तो 2,700 रु0 हो गया और फिर सवाल यह है कि आपने मंजूर किया, क्योंकि हम तो कुल के हामी हैं। बड़े किसान के जैसे उस रोज मिश्रा जी कह रहे थे, आप तो गरीबों के हामी हो और आपकी गवर्नमेन्ट इतना जबरदस्त टैक्सेशन लगा दिया। आप अपनी तरफ से नहीं दे सकते स्टेट ट्यूब वेल्स से, आप नहर के आधार पर नहीं दे सकते। और शहर वालों से कम्पेयर कीजिये। आपके चहेते तो शहर वाले हैं, देहात वालों की आपको क्या परवाह। इन्डस्ट्री में जो पैसा लिया जाता है वह 14.0 है, यह बिजली का है। एग्रीकल्चर का पौने तीस लिया जाता है। किसानों को पौने तीस देना पड़ेगा और इन्डस्ट्री वालों को 14 देना पड़ेगा और फिर आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर वालों के साथ हमारी हमदर्दी है। जो करोड़ पति हैं आप उनके साथ हैं। आप की यह निगाह है। फिर भी दम भरते हैं कि हमारी निगाह खेती की तरफ है। इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आपकी निगाह खेती की तरफ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब आपने लेवी लगायी है। खान्डसारी यूनिट्स पर लगायी है। मुझको यह मालूम हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो आप अपने जवाब में करेक्ट कर दीजिएगा। खान्डसारी यूनिट का खर्चा आता है ढाई सौ रूपया और इनका पश्चिम वालों का खर्चा पौने चार सौ आता है। खान्डसारी वाले मुझसे दिल्ली में मिले थे। उस समय मुख्य मंत्री जी भी वहां पर थे। मैंने उनसे कहा कि हम थके हुए हैं। मैं कुछ नहीं सनता सनाता। सुना यह है कि उनकी बड़ी आमदनी होती है। मुझे कलकुलेशन नहीं मालूम है, लेकिन पश्चिम वालों का खर्चा ज्यादा आता है। उनका हिसाब गलत हो सकता है, लेकिन उनका यह कहना है। मेरे पास यह लिखा रखा है। वह आपसे मिले। आपने उनसे कहा कि बिना आपकी राय के लेवी नहीं लगाऊंगा। आपने लेवी लगायी। लेकिन उनसे पूछा नहीं। पूछना चाहिये था और जब आपने उनसे कह दिया था तो उनसे जरूर पूछना चाहिये था। वहां यूनिट बन्द हो गयी हैं और किसानों का गन्ना खड़ा है और वहां के किसानों को नुकसान हो रहा है। आपने जो 70 परसेंट का कन्ट्रोल था उसको 65 पर कर दिया। क्यों ? अगर आपको इनसे लेना था तो क्यों घटाया, बल्कि 75 कर देते। यह भी विचारने की बात है। मोटी सी बात है कि अगर आपको चीनी बाहर भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है कंट्रोल ज्यादा करो बजाय घटाने के। खैर, मैं तो किसानों की दृष्टि से कह रहा हूं, रा–प्रोड्यूसर्स की दृष्टि से कह रहा हूं। आज इनका बहुत नुकसान हो रहा है।

सुना है कि आप गेहूं पर लेवी लगाने जा रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि इसे लगाना चाहिये। आपने 1972 में स्टेट ट्रेडिंग शुरू कर दिया। फेल हुए, फिर बनियों के हाथ में दे दिया, फिर फेल हुए तो जो मैं कहता आया हूं उस पर आ गये। आप लेवी बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। मुमकिन है कि सभी एम0 एल0 एज के पास इत्तिला गई हो और मुझे भी सूचित किया हो लेकिन गवर्नर साहब से जो आपने अभिभाषण दिलवाया है, उसमें कहा है कि आप 70 प्रतिशत छोटे किसानों को छोड़ रहे हैं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि किस एकड़ के किसानों को आप छोड़ रहे हैं ? फीसदी वाले मामले पर तो बाद में आऊंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

3 1/8 एकड़ तक।

चौधरी चरण सिंह--

क्या आप जमीदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट पर 70 प्रतिशत कह रहे हैं? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें आपके अधिकारियों की गल्ती हुई है। आप श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी से पूछ लें। बड़े-बड़े अधिकारियों, बड़े-बड़े एकोनोमिस्टों से गल्ती होती रहती है। वह रिपोर्ट तैयार हुई है 1345 फसली में। उस वक्त किसानों के 70-75 लाख परिवार थे। और उस समय 1 करोड़ 23 लाख खाते थे। तो खातों के आधार पर 3 1/2--5 प्रतिशत होंगे। वे परसन नहीं हैं। खातों का आपने हिसाब लगाया है। लेकिन रेलेवेन्ट बात तो यह है कि आप 90 प्रतिशत छोड़ देते। क्वश्चन तो आदमियों का है। 21.8 तो आधे एकड़ वाले बने, 16 1/2 प्रतिशत आधे से एक एकड वाले बने, और 18 प्रतिशत 1 से 2 एकड़ वाले। तो सब मिलाकर 56 प्रतिशत हो गये 2 तक। तो आपने 70 प्रतिशत छोटे किसान नहीं छोड़े होंगे। वे 40 या 45 प्रतिशत छोडे होंगे। आपने कांग्रेस वालों को और जो मुखाल्फत में हैं, उनको कहा कि आपने सारे किसानों को लेवी से मुक्त कर दिया है लेकिन नहीं, वे 40-45 प्रतिशत से ज्यादा नहीं पडते हैं।

जहां तक रेट का सम्बन्ध है मुझे मालूम हुआ है कि आप 105 रुपया तय करने जा रहे हैं। बाजार में तो आप 160 रुपया प्रति क्विन्टल दे रहे हैं और विदेशों से जो गल्ला मंगाते हैं, उसे 200 रुपया प्रति क्विन्टल ले रहे हैं। तो यह कौन सा इंसाफ है? अपने किसानों से 105 रुपया, बाजार में बेचते हैं 150-160 रुपया और बाहर से लेते हैं 200 रुपया। मेरा कहना है कि जो दाम आप निश्चित करने जा रहे हैं वे न काफी हैं, ये दाम और बढ़ने चाहिए। यह बात सही है कि आपके पास संगीने बहुत हैं। आपके एस0 डी0 ओ0 ने बहुत ही गलत बात की थी, आपकी नोटिस में भी मामला लाया गया लेकिन फिर भी आपने कोई ऐक्शन नहीं लिया। यह जो लेवी आप लगाने जा रहे हैं। यह बहुत हैवी है, आप इस पर पुर्नविचार करें।

अभी मैं वाराणसी गया था, वहां के लोगों ने और प्रतापगढ़ के लोगों ने मुझे बताया कि वहां पर अब भी किसानों को मुर्गा उसी प्रकार से बनाया जा रहा है जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में जमींदार लोग बनाया करते थे। प्रतापगढ़ के जिम्मेदार लोगों ने मुझे यह बताया है कि वहां पर बकाया वसूली के लिये गरीब किसानों को मुर्गा बनाया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें मुर्गा न बनाइये जो कार्यवाही और आप कर सकते हैं, उसे कीजिए। मुर्गा बनाना फ्यूडलिस्टिक आर्डर का सूचक है। कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं और पूराने वर्क्स हैं, उन्हें इस दृश्य को देख कर अंग्रेजों और महाराजाओं की याद आती है। आप यह मालूम कीजिये कि यह बात कहां तक सही है। एक बात और है। जो आदमी मुर्गा बनाया जाता है दूसरों के सामने उसकी सेल्फ-रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है और आदमी की सेल्फ-रेस्पेक्ट ही सबसे बडी चीज है। अन्दर ले जा कर चाहे पीट भी लें लेकिन सब के सामने मुर्गा बनाइयेगा तो इट रेड्यूसेज हिम टु ऐन एनिमल। यह नोट कर लो।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

सब नोट कर रहा हूं चौधरी साहब।

चौधरी चरण सिंह—

सीधा सही जवाब देना। अब हरिजनों और एक एकड़ तक के किसानों की बात लीजिये। वह सब वोट के लिये। हमारे यहां तो जो यह पिशाचिनी वोट है वह न जाने क्या करा कर छोड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

डेढ़ घंटा हो गया है। आपने कहा था कि कम बोलेंगे। कहीं तबियत खराब न हो जाय।

चौधरी चरण सिंह—

अच्छा, दस मिनट और बोलूंगा। अब आपने सब लोगों का कर्जा माफ कर दिया, हरिजनों का भी और छोटे किसानों का भी। यह गलत मूव है। यह जरूर है कि अंग्रेजों के जमाने में डेट रिलीफ ऐक्ट, 1934 में बना था। उसके बाद जब डाक्टर काटजू मिनिस्टर थे तो जो-जो मैंने चाहा था, मैं एम0 एल0 ए0 था और सेलेक्ट कमेटी का मेम्बर था, उसमें मुझे याद नहीं पड़ता है कि हमने बिल्कुल माफ किया था लेकिन अगर बिल्कुल माफ भी हो गया था जो जाहिर था कि प्राइसेज एक दम गिर गयीं थी। गिप्रेशन का जमाना था। हम लोगो ने डेट रिडम्शन ऐक्ट पास किया था। मार्गेज्ड जमीन को नीलाम हम पर्सनल डिक्री लेकर और जायदाद नीलाम नहीं करा सकते थे, इस तरह की बातें थीं उसमें। वह गरीब और फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्यों माफ कर दिया। इसलिये कह रहा हूं कि उनको पैसें की जरूरत होती है। इन पर नालिश होती नहीं है। नालिश कौन करता है गरीब आदमियों पर। हरिजन लेबर, दस्तावेज थोड़े ही लिखता है। आप माफी दस्तावेज की ही तो करेंगे। नालिश होती नहीं है, लिहाजा आपकी माफी इनएफेक्चुल है। इन्टेन्शन तो आपका खराब है ही।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या खराब है?

चौधरी चरण सिंह—

जानता हूं इन्टेशन। इन्टेशन आपका वोट लेने का है। लेकिन इससे उल्टा उन गरीबों को नुक्सान है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कर्जा दे सकते हैं तब तो ठीक है। क्रेडिट की जरूरत गरीबों को होती है और वह आपस के व्यवहार से लिया और दिया जाता है। नालिश होती नहीं है अगर कोई गरीब आदमी न दे। बस आगे को वह नहीं देगा और भी कोई नहीं देगा। लेकिन लोन के बिना गरीब आदमी का काम नहीं चलेगा। अब यह देखिये। 22 जनवरी का पायनियर है। 21 जनवरी की बांदा की खबर—"नो लोन्स नो वेडिंग फार हरिजन्स। हन्ड्रेड्स आफ हरिजन गर्ल्स आर अनेबिल टु मेरी ऐज मनीलेन्डर्स आर नाट गिविंग लोन्स फालोइंग दि पैसेज आफ यू0 पी0 डैट रेलीफ ऐक्ट।" अगर सरकार की तरफ से दोगे तो भी उस गरीब के साथ जुल्म होगा, 50 रुपये उसको दिये जायेंगे और 100 रुपये पर हस्ताक्षर कराये जायेंगे। उनका इलाज तन्त्र मन्त्र से नहीं होने वाला है। जब आप विलेज इन्डस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्रीज का डेवलप नहीं करेंगे, उनका भला नहीं होगा।

[चौधरी चरण सिंह]

अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर आता हूं। मेरे पास एक खबर आयी है, मैं जानता नहीं हूं कि वह सही है या गलत, मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं। यह खत आया है —

Respected Prime Minister of India,

I have witnessed before my own eyes the following:---

On 2nd February, 1975 Sri Uma Shanker Dixit visited Hardoi. A dinner was hosted by Sri Dharamgaj Singh, M. P. in his honour. Three hundred covers were laid and Sri Uma Shanker Dixit Ji was served alongwith three hundred guests in 1st shift with food containing puris (Wheat Maida) and fried rice (Paneer Pulaow, with a number of other dishes some containing cereals too). After this in two more shifts about 500 people took their meals. Thus the total was 800 or even more. The Deputy Commissioner, Hardoi, who attended the dinner, objected to violation of tho Guest Control Act, but Sri Gopinath Dixit ex-minister insisted, it is said, on the grand reception so a big *pandal* was erected for grand *dawat* and about one thousand guests were invited including the Law Court clerks, Supply Office clerks and all the officers of the District level departments, alongwith Congressmen of the district and Vakils, big farmers and influential business men and also the toughs alongwith the police personel available at the district headquarters.

यह 800 आदमियों को दावत दी गयी है। मालूम होता है कि दीक्षित जी यहां से खड़े होने वाले हैं। यह हो सकता है कि इस खबर को बढ़ाकर बताया गया हो, मगर यह बिल्कुल झूठी या फर्जी नहीं हो सकती है। कहां गया आप का गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर। उसमें तो आपने 50 आदमिमों तक की इजाजत दी है? कैसे चलेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी ही और हजारों बातें हैं। आप कांग्रेस में लोगों को हमारी पार्टी से तोड़ कर ले रहे हैं.....(व्यवधान)।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नो सर।

चौधरी चरण सिंह—

जो गलती हो रही है उसे मानिये, वह जाहिर है कि लोग टूट कर आपके यहां जा रहे हैं। और उसके पीछे कोई फोर्स, कोई टेम्पटेशन, कोई प्रेसर या मिस रिप्रेजेन्टेशन हजारों बातें रही होंगी। श्री सीताराम निषाद कहीं बैठे होंगे जो फैजाबाद से हमारी पार्टी के टिकट पर चुन कर आये थे, वे आपके यहां चले गये। उनसे हमारे साथियों ने कहा कि हमारी पार्टी में वापस आओ वरना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ो, देखें कैसे चुनाव में आते हो? इस पर भीड़ इकट्ठी हो गयी सड़क के ऊपर। हमारे सेक्रेटरी श्री रामपाल द्विवेदी, एडवोकेट भी थे जो वहां के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। वे चुनाव में 100-200 राय से हार गये, उनका इलेक्शन पिटिशन चल रहा है। श्री माधव प्रसाद शुक्ल जो संघर्ष समिति में हैं वे तथा 8-9 व्यक्ति और मौजूद थे। कचहरी से जब वापस हो रहे थे तो कुछ लोगों ने श्री सीताराम निषाद का मुंह काला कर दिया....

(एक आवाज—और उनको गदहे पर बैठा कर घुमाया।)

(व्यवधान)।

मैं श्री गौरीशंकर जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने बीच में मेरे लिये क्या रिमार्क कहा ?

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

जब उधर से यह कहा गया कि उनको गदहे पर चढ़ा कर घुमाया गया तो मैंने बड़े अदब के साथ यह कहा कि यह सिद्धान्त और रूल सब पर अप्लाई करता है तो क्या चौधरी साहब पर भी यह अप्लाई करेगा ?

चौधरी चरण सिंह--

इसका जवाब मैं दूंगा।

श्री गौरी शंकर--

वैसे आप बुजुर्ग हैं, आपके मुंह से .....

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, अबकी बार ये नौजवान एम0 एल0 ए0 होकर यहां आये हैं। पिछली दफा त्रिपाठी जी के जमाने में आधे-पौने घंटे तक मैं इस विषय पर बोला था और फिर इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन आज मुझे फिर वही बातें दोहरानी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि ....

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार पांडेय--

दोहराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप कांग्रेस से अलग हुए-- चाहे जिस भी परिस्थिति में अलग हुए--चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी का ही कसूर रहा हो, लेकिन उस समय आप कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव जीत कर एम0 एल0 ए0 हुए थे लेकिन एम0 एल0 ए0 से आप इस्तीफा देकर फिर से चुनाव नहीं लडे थे। फिर आपकी पार्टी को श्री सीताराम निषाद से इस तरह से जवाब तलब नहीं करना चाहिये था।

चौधरी चरण सिंह--

इसका मैं जवाब देता हूं। आप शान्ति से सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैं इसका जवाब दे चुका था। बार-बार दल बदल का नाम लिया जाता है। पहली बात तो यह है कि मैंने कोई दल नहीं बदला बल्कि मैंने एक दल बनाया। दल बदलना यह होता है कि एक दल छोड कर दूसरे एक्जीस्टिंग दल में जाना--मैं किसी दल में नहीं गया। अपने पिछले उसूलों के मुताबिक जैसा कि मैं गांधी जी के उसूलों को समझता था--वैसा एक दल बनाया जिसका नाम भारतीय क्रान्ति दल है। लिहाजा मेरे लिये दल बदलने का प्रश्न नहीं उठता। (व्यवधान)।

इन्दिरा जी की बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वह लेडी है और इनके शब्दों में गाय है, तो मैं गाय के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। लिहाजा, दल बदल की बात नहीं। दूसरी बात यह कि .....

श्री शिव कुमार पांडेय—

आये तो कांग्रेस के टिकट पर थे। ...

(बैठ जाइये, बैठ जाइये की आवाजें और शोर)

श्री शिव कुमार पांडेय—

आपने दूसरा ब... यह ठीक है लेकिन आप आये थे कांग्रेस के टिकट पर।

(शोर)

चौधरी चरण सिंह—

आप मेरी बात सुन लीजिये। .....

श्री शिव कुमार पांडेय—

आप कांग्रेस टिकट और कांग्रेस मैनीफैस्टो पर आये पर आपने इस्तीफा नहीं दिया।

चौधरी चरण सिंह—

सुनो तो, मैं कांग्रेस टिकट पर आया था। मैं कांग्रेस पार्टी में था लेकिन कांग्रेस पार्टी की जितनी शाख थी मैं उसके कारण नहीं चुना गया बल्कि कांग्रेस की जितनी शाख थी वह मेरे कारण थी। मैं 52 हजार वोटों से जीत कर आया जबकि मैं जिले में गया तक नहीं था।

श्री शिव कुमार पांडेय—

वह मैं बता सकता हूं कि आप जीत कर आये थे या नहीं .....

चौधरी चरण सिंह—

मेरी बात सुन लीजिये ऐसे मैं खड़ा होने वाला नहीं था, मेरी बात सुनिये।

मैंने इस्तीफा नहीं दिया और एक नयी पार्टी बनायी, एक बात, दूसरी बात मैंने अकेले नहीं छोड़ा 17 आदमियों के साथ छोड़ा। एन्टी डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट है, सन् 1969 की है। अभी तक उस पर ऐक्ट नहीं बना पाये हैं। उसमें लिखा है अगर कोई ग्रुप छोडे और दूसरी पार्टी में जाय तो इस्तीफा देना लाजिमी नहीं है।

श्री शिव कुमार पांडेय—

अचार्य नरेन्द्र देव जी जब कांग्रेस से अलग हुये तो उनके साथ के सदस्यों ने और उन्होंने इस्तीफा दिया था। आपने भारतीय क्रान्ति दल बनाया, और भालोद में चले गये, इस्तीफा नहीं दिया।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

आपकी चाची ने भी पुरानी कांग्रेस से नयीं कांग्रेस बनायी थी।

(शोर)

चौधरी चरण सिंह—

आचार्य नरेन्द्र देव जी ने इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा किया। मैं भी इस्तीफा दे देता तो वहुत अच्छा करता। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके होम मिनिस्टर थे, जो चेयरमैन थे। एन्टी डिफेक्शन कमेटी, जो पार्लियामेन्ट ने एप्वाइन्ट की थी उसकी रिपोर्ट को आप देखें, उनकी राय यह थी कि अगर कोई ग्रुप छोड़ता है तो उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अब नरेन्द्र देव जी की राय दूसरी थी, वह बहुत अच्छी थी। लेकिन

मैं कह रहा हूं कि किसी एक्जिस्टिंग पार्टी में मैं नहीं गया और दूसरी बात मने अकेले नहीं छोड़ा। एक ग्रुप ने छोड़ा। दूसरी बात मेरे साथी कुछ नहीं माने अगर मैं दे देता तो बेहतर होता। लेकिन इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। सीताराम निषाद को अपने बल पर आने की ताकत शायद नहीं थी। अपने बल की बात को भी छोडिये अब अगर वह कांग्रेस के बल पर चुनकर आ जायं तो मैं मानूं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री शिव कुमार पांडेय—

आप जीत कर तो आये थे कांग्रेस के टिकट पर ही....

(शोर)

चौधरी चरण सिंह—

आप बात सुनने की कोशिश कीजिये 14 एम0 एल0 ए0 चुन कर आये थे। एक साहब मिनिस्टर हैं, 4 में से मैं भी चुन कर आया था। वह जिस तरह से चुन कर आये थे मैं कहना नहीं चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के बल पर नहीं यहां बैठे थे। उस समय 52 हजार वोट से जीतकर आया था। दूसरी बात मैं अपने हल्के में गया भी नहीं और 48 हजार वोटों से चुनकर आया। यदि इस्तीफा देकर आता तो यह कहते कि चीफ मिनिस्टर हो गये इसलिये चुनकर आ गये। मैंने श्री उमा शंकर और श्री दिनेश सिंह दोनों लीडरों से पूछा था कि क्या करूं। तो उन्होंने कहा था कि आप जो चाहें वह करें। तभी हमने अपनी पार्टी बनायी थी?

श्री शिव कुमार पांडेय—

पुराने तो आप कांग्रेसी ही थे और कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। गुप्त जी ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि पुराने तो कांग्रेसी हैं। शाम को कहा और सुबह निकल गये।

चौधरी चरण सिंह—

मैं तो कह रहा हूं कि दोनों कांग्रेस के लीडर जिन्दा हैं और उनसे पूछ लें। यदि हमने गल्ती की तो आपने 1970 में कितने बी0 के0 डी0 के लोगों को तोड़ा, श्री कमलापति त्रिपाठी जी की भी पार्टी जो बनी वह डिफेक्टर की थी। आप खुद डिफेक्टर की गवर्नमेंट बनाये हैं तो दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं। आप डिफेक्टर को ले रहे हैं। हमारे यहां तो तोड़ा और जनसंघ से लोगों को तोडा। बडे लोगों की बात अब मैं सुनाता हूं। कांग्रेस के लीडर की हमेशा कोशिश रही है कि अपोजीशन की पार्टी बढ़ने न पावे। आन्ध्र में केशरी को 1954 में जो कि प्रजा समाजवादी लीडर हो कर आये और कुछ लोगों को भी लाये तो कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी से तोड कर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना दिया। ज्ञानी करतार सिंह अकाली दल के नेता चुनकर आये तो उनको तोडकर कांग्रेस ने रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया। तो आप बतायें कि किसको गधे पर चढ़ाना चाहिये। थानू पिल्ले सोशलिस्ट पार्टी के थे उनको तोडकर कांग्रेस में मिलाया।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ) —

उस मन्त्रणा में आप भी तो शामिल थे।

चौधरी चरण सिंह--

आप भी तो मन्त्रणा में थे।

अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से बड़े लीडर बराबर यह करते आ रहे हैं कि अपोजीशन तगड़ा न हो और यह कह रहे हैं कि मैंने डिफेक्शन नहीं किया है। जब तक कांग्रेस से नान कांग्रेस में हुआ तब तक तो ठीक था परन्तु जबसे नान-कांग्रेस से कांग्रेस में हुआ तब से स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है। तब वह पाप हो गया। आज भी करा रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि मैंने तो गलती की। जो 9 आदमी आपके आये हैं उनसे इस्तीफा दिला कर उनको चुनकर लायें। मैं तो दो ही साल बाद 48 हजार वोटों से जीत कर आया।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर) --

यह जो लोकदल बना है यह सब पार्टिया तोड़ कर बना है। यह ज्यादा चलेगा नहीं। यह बहुत वीक है। (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, फैजाबाद की बात है। बस मैं यह कागज पढ़ कर बैठ जाऊंगा। भारतीय लोक दल कई पार्टीज से मिलकर बना है और यह पोलोराइजेशन है। जो लोग पोलोराइजेशन और डिफेक्शन में अन्तर नहीं समझ सकते, उनका जवाब देनें में मैं असमर्थ हूं। भगवान् ही उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं फैजाबाद की बात कह रहा था। जुर्म हुआ था तो कोई रिपोर्ट होती, तहकीकात होती। लेकिन नहीं। उन पर डकैती का केस दायर किया गया। उन्हें जेल में बन्द कर दिया। जब उन्हें यह पता लगा कि हमें पिटवाया जायेगा तो उन्होंने चिट्टी लिखी।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)--

फैजाबाद जिले की बात है इसलिये मैं कहना चाहता हूं। इन लोगों ने यह कांड करने के पहले स्टेशन मास्टर के मुंह पर हरकत की। इनके खिलाफ तमाम रिपोर्ट हैं। इन्होंने गवर्नर के साथ हरकतें की।..... (व्यवधान)। इसको आप कहते हैं कि इत्तिफाक से हुआ।

चौधरी चरण सिंह--

मैं माननीय जैतली, इनके मां और बाप को जानता हूं। उनके सब घर को जानता हूं। उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह पढ़े लिखे आदमी हैं। जब वह बीच में बोलने लगे और मैं नहीं बैठा तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर ऐसा ही करेंगे तो यह चल नहीं सकता क्योंकि फिर इधर से भी ऐसा ही होने लगेगा। मैं कहता हूं कि सीताराम द्विवेदी ने गवर्नर को नहीं करने दिया तो उस वक्त ऐक्शन होना चाहिए था। लेकिन हुआ यह कि उन पर डकैती का केस चलाया गया जो कि झूठा है, अफसरान भी इसको मानेंगे। फिर वह जेल में गये। उन्हें मालूम हुआ कि हम पर अटेक होने वाला है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चिट्टी लिखी। सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की मार्फत आयी है और डिस्ट्रिक्ट मैस्जिट्रेट इसको तस्लीम करते हैं। वह मरने से बचे। हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनायी। गौरी शंकर राय जो कि एम0 एल0 सी0 हैं और लीडर आफ दी अपोजीशन हैं कौंसिल में, उनकी दो-तीन सफों की रिपोर्ट है।

श्री प्रियदर्शी जैटली--

अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक शब्द कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, एक साहब जो उनके पड़ोस में बैठे थे शायद उनको यह मालूम नहीं है कि डिफेशन और पोलोराइजेशन में कोई फर्क है या नहीं लेकिन श्री भीखा लाल जी इतने पुराने आदमी हैं वह तो इस फर्क को समझते होंगे। यह दूसरी बात है कि आपको यह पसन्द नहीं है अब मैं यह समझता हूं कि यह उनको भी पसन्द नहीं है। मैं आपके और आपके रिश्ते को भूल गया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

मेरे ऊपर बिना वजह मेहरबानी कर रहे हैं। मैं तो बोल भी नहीं रहा था।

चौधरी चरण सिंह--

मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि राय बरेली में पेपर में यह मैंने पढ़ा तो आपने यह कहा कि चरण सिंह भारतीय लोक दल इसलिये बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका ख्वाहिश है प्रधान मन्त्री होने की।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

कोई नुकसान नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

अगर नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस आदमी को आपके लीडर ने प्रोपोज किया मगर उसके खिलाफ वोट किया तो काहे के खातिर? जो लोग शीशे के महल में रहते हैं वह दूसरों पर पत्थर फेंकने के पहले सोंचे।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

बडी गडबडी हो रही है। आप जरा उन्हें समझायें।

चौधरी चरण सिंह--

वह तो आपके दोस्त हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

वह पोलेराइजेशन में है।

(हंसी)

चौधरी चरण सिंह--

आप पहले हंस लीजिये। मैं बैठे जाता हूं।

(कुछ समय पश्चात्)

अध्यक्ष महोदय, कुछ थोड़ा सा शिष्टाचार होना चाहिये। बगैर एक विकल्प बनाये डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। 100 पार्टीज को मिलाकर अगर एक पार्टी नही बनाई जाती है तो डिक्टेटरशिप होगी, डेमोक्रेसी नहीं चल सकेगी। कहा यह जाता है कि 100

[चौधरी चरण सिंह]

पार्टीज को मिला कर एक मजबूत विरोधी पार्टी बनाई जाय लेकिन अमल में यह चीज अच्छी नहीं लगती । यह कौनसा शिष्टाचार है कि आप पब्लिक मीटिंग में यह कहते हैं कि जो पोलेराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह कुर्सी चाहते हैं। लेकिन आप भी अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखें। कि आपकी पोलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वे क्या चाहते हैं ? अगर कुर्सी के जरिये ही देश की सेवा हो सकती है और वह पावर इलेक्शन के जरिये आती है और तभी हम अपने उसूलों के मुताबिक देश की तस्वीर बना सकते हैं तो कौन नहीं चाहेगा कुर्सी को ? लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाना कौन सा एटिकेट है ? आपने एक जगह यह बात नहीं कही। और जगहों पर भी कहा। बहराइच में मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि राज नारायण और चरण सिंह दो छुटे हुये सांड हैं ? कौनसा यह शिष्टाचार है ? पेपर में इसे पढ़ा गया। यह शब्द आपने देहरादून में कहे . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

एब्सोल्यूटली रौंग। रोज-रोज अखबार में निकली खबरों को तरदीद करना नमुमकिन है और न मुनासिब । मैंने आपके लिये ये शब्द इस्तेमाल नहीं किये।

चौधरी चरण सिंह--

यदि आपने नहीं कहे हैं तो आपके किसी वर्कर ने कहा जो वहां गये थे . . . (व्यवधान)। अगर ऐसा है तो रोज गाली दो और बाद में रेग्रेट भी न मांगों . . . . (व्यवधान) अपोजीशन को डेवलप नहीं होने दिया जा रहा है। अगर वह डेवलप होता है तो दूसरी तरफ उसको गाली दी जायेगी, अगर वह वहां से सांस लेता है तो दूसरी तरफ डिफेक्शन होगा। खैर, मुझे कोई एतराज नहीं है, उन पर केस चला। बदमाशों के जरिये, जेल स्टाफ के जरिये एज ए मैटर आफ कौंस्पिरेसी यह किया गया। इसके सपोर्ट में मैं आपके सामने जिम्मेदार लोगों की रिपोर्ट पढ़ता हूं। उनके लिये आपने कहा कि डिफेक्टर्स है . . . . (व्यवधान) आपने गलती की है तो आप कहें . . . .

श्री प्रियदर्शी जैटली--

प्रदीप की रिपोर्ट भी मंगाकर पढ़ दीजिये।

चौधरी चरण सिंह--

उस रिपोर्ट को आप पढ़ दीजिये। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं वह आपको सुननी होगी। अध्यक्ष महोदय, फैजाबाद जिले में 17 जनवरी, को 8 बजे प्रात : भारतीय लोक दल के कार्यकर्ताओं पर जेल के कैदियों ने हमला किया और उन्हें बुरी तरह पीटा। उन कैदियों में श्री राम द्विवेदी, मन्त्री, भारतीय लोक दल, फैजाबाद, श्री माता प्रसाद तिवारी, संयोजक, संघर्ष समिति, भारतीय लोक दल, फैजाबाद तथा श्री रवीन्द्र नाथ शुक्ल को सांघातिक चोटें आयीं और अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति में यह लोग जिला अस्पताल में भर्ती हुये हैं। बाकी 9 कार्यकर्ताओं को साधारण चोटें आयीं। इस घटना की जांच के सम्बन्ध में प्रदेशीय भारतीय लोक दल की तरफ के एक समिति बनी थी जिसमें गौरी शंकर राय, एम0 एल0 सी0. संयोजक तथा सर्वश्री राज नारायण, महादेव वर्मा, अध्यक्ष, भारतीय लोक दल, श्री त्रिभुवन नाथ, अनन्तराम जायसवाल सदस्य थे। यह समिति 19 जनवरी, 1975 को घटना की जांच करने के लिये फैजाबाद गई। समिति के सदस्यों ने जिला अस्पताल तथा

जिला जेल में घायल लोगों, जिलाधिकारी, अन्य कैदियों तथा फैजाबाद के प्रमुख व्यक्तियों से साक्षात्कार किया। समिति ने जांच के बाद निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की :—

"फैजाबाद जिले में पिछले कुछ दिनों से राज्यपाल तथा मुख्य मन्त्री को काले झन्डे दिखाने को लेकर जिले के अधिकारी भारतीय लोक दल के कार्यकर्त्ताओं से क्षुब्ध थे। 11 जनवरी, को करीब दिन के 1 बजे श्री सीताराम निषाद, सदस्य, विधान सभा, जो हाल ही में दल बदल कर भारतीय लोक दल से शासक कांग्रेस दल में चले गये हैं, उनको फैजाबाद शहर में कुछ लोगों ने घिराव करके उनके मुख में कालिख पोत कर सार्वजनिक रूप से उनकी निन्दा की तथा शहर में घुमाया। श्री सीताराम निषाद की शिकायत पर भारतीय लोक दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये। इस गिरफ्तारी में सबसे विचित्र बात समिति को यह मिली कि उक्त कार्यकर्ताओं के विरुद्ध डकैती के मुकदमें दर्ज किये गये और उनकी गिरफ्तारी धारा 395 में हुई। समिति ने पूरी तौर से इस मामले की जानकारी की और वह इस निश्चय पर पहुंची कि धारा 395 में उन लोगों का चालान अन्यायपूर्ण तथा सत्य से परे हैं।

12 जनवरी, 1975 को शासन कांग्रेस के एक पक्ष तथा कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने फैजाबाद चौक में श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में एक सभा की और उस सभा के बाद चौक में लगे डा0 राम मनोहर लोहिया के तेल चित्र को तोड़ना और उनको अपने पैरों के नीचे कुचला। इस कार्य की निन्दा अधिकांश कांग्रेस के लोगों ने भी की लेकिन कांग्रेस के भीतर श्री आर0 के0 सिन्हा, एम0 पी0 के ग्रुप के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें बहुत सक्रिय थे। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि जिन लोगों ने डा0 लोहिया के चित्र को अपमानित किया उनके ऊपर, जैसा कि जिलाधीश ने बताया, गिरफ्तारी के वारन्ट शीघ्र ही जारी कर दिये गये थे लेकिन न मालूम किन कारणों से वे लोग गिरफ्तार नहीं किये जा सके। जब कि समिति को यह भी सूचना मिली कि जिन लोगों के विरुद्ध वारन्ट हैं, वे शहर कोतवाल तथा दूसरे अधिकारियों से बीच में मिलते-जुलते रहे हैं। 13 जनवरी, 1975 को श्री राम द्विवेदी, मन्त्री, भारतीय लोक दल, फैजाबाद ने जेल से जिलाधिकारी, फैजाबाद को जेल सुपरिन्टेन्डेंट के माध्यम से एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह लिखा कि उनकी तथा उनके साथियों की जान को खतरा है। जेल सुपरिन्टेन्डेंट तथा जिलाधीश दोनों ने इस पत्र की प्राप्ति को स्वीकार किया। जिलाधीश, जैसा कि वह कहते हैं, ने इस पत्र से यह निष्कर्ष निकाला कि यह खतरा जेल के बाहर हो सकता है और उन्होंने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि जेल के भीतर इन लोगों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जाय। "उसने लिखा सुरक्षा की जाए, उन्होंने समझा जेल के बाहर है। जेल के बाहर होता तो वह जेल के अन्दर से क्यों लिखता। जेल के अन्दर से लिख रहे हैं तो उसका यह अर्थ लगाया जा रहा है।"

इस सम्बन्ध में इतनी और जानकारी हुई कि श्री राम द्विवेदी ने महीनों पहले जेल के अधिकारियों के विरुद्ध आई0 जी0 (जेल) को यह शिकायत की थी, विशेष तौर से जेलर के खिलाफ, कि इस जेल में मिलाई के लिये रिश्वत ली जाती है। इन कैदियों ने 13 तारीख को खाने की शिकायत की और यह कहा कि इस जेल में जो भोजन मिल रहा है वह जानवर के लिये भी खाना कठिन है। खाने की शिकायत के बाद 15 तारीख को इन कैदियों ने 24 घंटे की सामूहिक एवं सांकेतिक

[चौधरी चरण सिंह]

भूख हड़ताल भी की। 16 जनवरी, 1975 को शाम को एक कैदी, राम दुलारे यादव, की पत्नी जेल में मिलने गयी। उनकी बच्ची ने जेल के एक फूल को तोड़ लिया जिसको एक नम्बरदार ने डांटा और कुछ अपशब्द भी कहे। इस बात की शिकायत सहायक जेलर को मिली। सहायक जेलर ने नम्बरदार की वर्दी उतरवा ली और उसको डांटा। इस घटना से वह नम्बरदार तथा उसके दूसरे साथियों का नाराज होना स्वाभाविक था।

17 जनवरी, 1975 को प्रात: 8 बजे जब कि यह घटना घटित हुई, उसके सम्बन्ध में जेल सुपरिन्टेंडेंट, श्री एन0 आई0 सिद्दीकी ने कहा कि इन कैदियों में से एक व्यक्ति चक्र के बाहर चाय बनाने के लिये जाना चाहता था। चक्र के बाहर जाना जेल के कायदे के खिलाफ था इसलिये उसको पहरे के आदमी ने रोका और इस पर झंझट शुरू हुई। जांच करने के बाद समिति को यह ज्ञात हुआ कि चाय बनाने के लिये रोज ये कैदी चक्र के बाहर जाते थे क्योंकि चाय बनाने का चूल्हा उस फाटक के बाहर था। उस दिन के पहरे वाले का रोकना अत्यन्त अस्वाभाविक और बिना किसी झंझट के मारने का काम शुरू कर देना भी असाधारण था। जांच से मालूम हुआ कि डन्डे, बोतल, लोहे की छड़, यह सामान और कुछ लोग पहले से इकट्ठे थे, जो समय का इन्तजार कर रहे थे। जेल नियम के अनुसार एक स्थान पर जब तक इजाजत न दी जाय कैदी नहीं इकट्ठा हो सकते। इस आक्रमण में नम्बरदार काफी संख्या में थे जब कि कायदे में उस समय केवल 8 नम्बरदारों की ड्यूटी थी और वह भी विभिन्न स्थानों पर। उनका एक जगह पर इकट्ठा होना बिना स्वीकृति या तैयारी के नहीं हो सकता है। 4 फीट से अधिक के डन्डे जो मार-पीट में इस्तेमाल हुये, सील करके रखे गये हैं। इतने बड़े डन्डे जेल में कैसे आये या दूसरे डन्डे जो इस्तेमाल हुये, वह कैसे आये, यह बातें अधिक गम्भीर हैं। समिति ने इन कैदियों के अतिरिक्त दूसरे कैदियों से, जो सुपीरियर क्लास में हैं, उनसे मुलाकात की जो उस चक्र में थे। उन कैदियों ने कोई भी बयान देने से इन्कार कर दिया। समिति के एक सदस्य ने अलग हटकर एक कैदी ने यह कहा कि यह लोग तो राजनीतिक लोग हैं जिनके लिये बाहर से आप लोग जांच करने के लिये आ गये हैं तो इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, अगर हम लोग कोई बयान दें तो हमारी जान भी जा सकती है।

जेल सुपरिन्टेन्डेंट, श्री एम0 आई0 सिद्दीकी, ने इस घटना को जेल के लिये एक असाधारण घटना अवश्य बताया है और यह कहा कि यह मारपीट 8, 10 मिनट में समाप्त हो गयी थी जब कि अन्य लोगों ने यह बताया कि यह मारपीट 20-25 मिनट तक चलती रही। यह भी जानकारी हुई कि मारपीट शुरू होने के समय श्री आर0 के0 पांडे, सहायक जेलर वहां आये और फिर चले गये। और वह दोबारा तब आये जब कि मारपीट खत्म हो गयी थी। सहायक जेलर तथा जेलर, श्री हरेन्द्र बहादुर सिंह, यह न बता सके कि उतनी संख्या में कैदी वहां पर कैसे इकट्ठे हो गये जबकि न पगली बजी और न कोई उसकी सूचना दी गयी। उन लोगों का कहना है कि झगड़े का शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गये। लेकिन यह अजीब दिलचस्प बात है कि झगड़े का शोर जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं सुनाई दिया। कैदियों की यह शिकायत थी कि सहायक जेलर ने खड़े हो कर पिटवा दिया। इस पर समिति के सदस्यों ने सहायक जेलर से यह पूछा कि यह कहां तक सही है। उन्होंने यह कहा कि इन्होंने इनकी रक्षा की है। फिर उनसे यह पूछा गया कि रक्षा

करने वाले से किसी आदमी को शिकायत क्यों होगी, उसका उत्तर उनके पास नहीं था। जेल सुपरिन्टेन्डेंट, श्री सिद्दीकी तथा जेलर के सामने श्री महेश पांडे, वकील, ने यह बयान दिया कि उक्त घटना के बाद जेलर साहब यह कह रहे थे कि इसमें क्या अजीब बात हो गयी और अपने बारे में उन्होंने बताया कि वे जब अलीगढ़ में जेलर थे तो हिन्दू-मुसलमान झगड़े के सम्बन्ध में बहुत कैदी थे और वहां पर जो लोग बदमाशी करते थे उनको मैंने कैदियों से पिटवा दिया और उसमें भी जांच करने के लिये श्री राजनारायण आये थे। उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ, केवल तबादला हुआ और फिर मेरा क्या हो सकेगा, मैं देखूंगा। श्री महेश पांडे, वकील के इस बयान के समय जेलर स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने इस बयान को अस्वीकार नहीं किया। उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर द्विवेदी, एम0 एल0सी0 (शासक कांग्रेस दल) ने जेल के रजिस्टर में अपनी राय लिखी है। उसको समिति ने देखा। उसका एक अंश इस प्रकार है --

"टूटे डन्डे, टूटी बोतलें, लकड़ियां तथा ईंट मैंने देखे हैं। श्री राम तथा माता प्रसाद के बिस्तरे पर खून था। तीन नम्बर बैरक में खून के धब्बे थे। राजनैतिक कार्यकर्ताओं की जान लेवा पिटाई एक सुनियोजित योजना के अन्तर्गत है जिसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।"

श्री द्विवेदी के लिखने से यह स्पष्ट है कि लोगों को बैरक में घुसकर पीटा गया क्योंकि उनके बिस्तर पर भी खून पाया गया। पता यह चला कि जिस समय यह घटना घटी, उस समय कुछ लोग स्नान कर रहे थे और कुछ लोग इधर-उधर टहल रहे थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह मालूम हुई कि जेल के किसी कर्मचारी ने इस घटना की रिपोर्ट जेल अधिकारियों को नहीं दी है। जेलर ने जरूर अपनी किसी किताब में उसका जिक्र किया है कि जो जेल सुपरिन्टेन्डेंट ने देखा तक नहीं था।

समिति का यह निश्चित मत है कि इन कार्यकर्त्ताओं के ऊपर सांघातिक हमला एक पूर्व नियोजित कार्य-क्रम के अनुसार तैयारी के साथ हुआ। इस समिति को पर्याप्त सबूत मिला कि इसमें कांग्रेस के एक गुट, कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं तथा कुछ जेल अधिकारियों ने मिल कर यह योजना बनायी। इन लोगों की योजना की पूरी जानकारी शहर कोतवाल को भी रही है। शहर कोतवाल की डा0 लोहिया के चित्र तोड़ने वाले मामले में जिलाधीश के वारन्ट जारी करने के बाद भी लोगों को गिरफ्तार न करने की बात समझ में नहीं आती जब कि इस मामले की जानकारी पुलिस कप्तान को पूरी तौर से थी। जिलाधीश ने यह स्वीकार किया कि अब तक उन लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिये थी, उसमें देर होने का कारण बताने में जिलाधीश असमर्थ रहे। सबसे विचित्र गिरफ्तारी एक श्री राम मूर्ति की है, जिनका नाम श्री सीताराम निषाद की रिपोर्ट में भी नहीं है। उनकी रिपोर्ट में जिन 8 आदमियों के नाम हैं, उनके अतिरिक्त अन्य लोग थे, ऐसा कहा गया है। इस सिलसिले में कोई शिनाख्त नहीं कराई गई और राममूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि वे एक दूसरे सर्वदलीय समिति की ओर से श्री आर0 एन0 मेहरोत्रा के साथ कोई शिकायत करने गये थे। श्री राममूर्ति, साकेत महाविद्यालय में यूनियन का चुनाव लड़ने वाले थे। जिलाधीश से समिति ने यह पूछा कि राममूर्ति को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने बताया कि शिनाख्त नहीं हुई लेकिन

[चौ0 चरण सिंह]

श्री सीताराम निषाद ने बाद में टेलीफोन से सूचित किया कि वे भी थे, इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया। यह सारी परिस्थिति इस सारे मामले में शासन की सांठ-गांठ को स्पष्ट कर देती है।

इस सम्बन्ध में जो 4 कैदी जेल की तनहाई में बन्द हैं और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे मारने में रहे हैं, उन कैदियों से भी समिति ने साक्षात्कार किया। इसको छोड़ देता हूं।

"बाहर पता लगाने पर यह मालूम हुआ कि श्री माता प्रसाद सिंह, वकील के लड़के, श्री उदय सिंह इस घटना के एक दिन पहले 3 बार जेलर से मिले और इस घटना के बाद भी मिलते जुलते रहे। श्री उदय सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं जो डाक्टर लोहिया के चित्र को अपमानित करने में शामिल थे और उनके पिता श्री माता प्रसाद सिंह भी उस मौके पर थे।

यहां पर एक और बात कहना उचित मालूम होती है कि इन कैदियों में श्री राम द्विवेदी, श्री माता प्रसाद तिवारी तथा कुछ और लोग ऐसे थे जो कई बार ऐसे आन्दोलनों में जेल काट चुके हैं और वे बराबर सुपीरियर क्लास पाते रहे हैं। इनमें से वकील भी हैं और स्नातक भी हैं। लेकिन इनकी सुपीरियर क्लास की मांग भी नामंजूर कर दी गयी थी।"

अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी में पार्टियां बदलती हैं, उसूल बदलते हैं, नीतियां बदलती हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन सब के साथ कानून और कायदे के मुताबिक होता है। जेल के अन्दर बाकायदा साजिश करके कुछ लोगों को पीटा जाना, यह अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। लेकिन आज हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब यह बात उठायी जाती है तो उधर के माननीय सदस्य उसकी मखौल उड़ाते हैं और तरह-तरह की बातें कहते हैं। अगर इस तरह से मुल्क को चलाना चाहते हो तो मुबारक। फिर डेमोक्रेसी का, सच्चाई और ईमानदारी का कोई काम नहीं रहता। फिर यह कहे कि मुखालिफ पार्टियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हो तो क्या गलत कहते हैं? जब किसी को गुस्सा न आये, कोई सच्चाई जानना न चाहे, उल्टे मजाक उड़ाया जाय, फिकरे कसें जायं, इसकी मुझे शिकायत है। और शिकायत के अलावा कर ही क्या सकता हूं? फिर दोहराना चाहता हूं कि इस सब का असर देश और प्रदेश के भविष्य पर बुरा पड़ने वाला है।

यह दुनिया परिवर्तनशील है। हमेशा वहां आप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिये इन्साफ की बात कहना चाहिये। इसी तरह से यह कहा गया गलत है, गलत है; डाक्टर राम मनोहर लोहिया का चित्र खंडित नही किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वारन्ट निकालता है। सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस के इल्म में बात है। डाक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे। कुछ कम्युनिस्ट लोगों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित किया था, त्रिपाठी जी के जमाने में, उनके चालान हुए। अदालत में केस दर्ज हो गया। आज तक वह जेल नहीं भेजे गये। खुद उन्होंने लिखा। बहुगुणा जी को लिखा। आपने लिखा कि अब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं

कि पांडेय जी से और उनके साथियों से कि यह है एडमिनिस्ट्रेशन, चार साल पहले गांधी जी की मूर्ति खंडित की गयी थी, चालान हो गया, किसी पर कार्यवाही नहीं हुई। चूंकि आप की तादाद ज्यादा है, ऐसी बात आप कहते हैं। इन शब्दों के साथ मैंने जो संशोधन पेश किया है--राजनारायण जी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एक सेटेंस कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोई अनशन का बयान नहीं था। हमारी पार्टी की तरफ से आपको लिखा गया। अनशन कर देंगे कहना कोई जुर्म नहीं है। फास्ट अनटू डैथ को कहा जा सकता है अटेम्प्ट इनटु डैथ। लेकिन आपने उनको गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनको छोड़ दिया। यह कहीं जुर्म नहीं है। लेकिन हो रहा है। गवर्नमेंट अपोजीशन को सबक सिखाना चाहती है कि सर न उठाओ। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--

शेष संशोधन पेश किये हुये माने गये।

(उपस्थित किये गये संशोधनों के लिये देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 126 पर)

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर) --

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय नेता विरोधी दल की तकरीर संशोधन के ऊपर बड़े गौर से सुनी। काफी देर तक इस संशय में रहा कि वह क्या कह रहें हैं। मैं उन को बधाई देता हूं कि उन्होंने काफी देर तक अच्छे सुझाव दिये और बडी शान्ति के साथ कुछ बुनियादी चीजों को समझाया। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि उनका मूड बजट सेशन में ऐसा ही बना रहे। हां बाद में कुछ क्रोध दिला दिया। लेकिन वह सात्विक क्रोध था तामसिक नहीं था।

जो बातें उन्होंने उठाई उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो बहुत सी बातें कहीं जिनसे किसी भी जनतंत्र में विश्वास रखने वाले को कोई विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन जिस रूप से वह इन बातों को देखते हैं उनके सम्बन्ध में मेरा उनका थोड़ा सा मतभेद है। उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जैसा कि उनके संशोधन में दिया हुआ है कि इस मन्त्रि-मन्डल में पहले से जो भ्रष्ट मंत्री थे उनको नहीं निकाला गया और इसके अलावा कुछ भ्रष्ट मन्त्रियों को और शामिल कर लिया गया।

यह इस सदन में जिस रोज से मैं आया हूं भ्रष्टाचार की बात माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से तथा अन्य लोगों की तरफ सुनता आ रहा हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जब भ्रष्टाचार की बात कही जाती है तो कोई भी मिसाल या सबूत नहीं दिया जाता है। मैं उनसे कहूंगा कि वह किसी भी मन्त्री के खिलाफ कोई निश्चित रूप से आरोप लगाये तो मैं उनका साथ दूंगा। चाहे मेरी पार्टी मुझे निकाल भले ही दे।

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर) --

पिछले सेशन में जब सदन चल रहा था तो श्री रामबाबू जो मथुरा के एम0 एल0 ए0 थे उनके सम्बन्ध में बाजरा कांड में हम लोगों ने कहा था कि उनके माध्यम से सारा माल बिका है। लेकिन उस समय कांग्रेस वालों ने कहा था कि यह वह रामबाबू

[श्री केशरी लाल]

नहीं हैं, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको निलम्बित किया है। मैं चैलेंज करता हूं। आप भी इस्तीफा दें और मैं भी देता हूं। उनसे ज्यादा करप्ट एम0 एल0 ए0 और कोई नहीं है।

श्री ईश्वरी सिंह---

मैं आपकी मंशा समझ गया। मैं यह कह रहा था कि एक भाई ने कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस समय उनके विरुद्ध निश्चित रूप से आरोप निकला हमने उनको अपनी पार्टी में पी0 सी0 सी0 में कहा कि इस तरह के सदस्य को फौरन निकाल दिया जाय और प्रारम्भिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया जाय। उनको निकाल दिया गया। मैं कह रहा था कि ये केवल राम बाबू मिश्र को निकालने की मिशाल नहीं है बल्कि पार्लियामेन्ट के एक एम0 पी0 को भी निकाला गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि माननीय नेता विरोधी दल मैं उस भावना के साथ हूं कि किसी भी प्रकार का किसी के खिलाफ आरोप हो तो उस तरह के लोगों को मन्त्रि-मन्डल में नही लेना चाहिए। लेकिन निवेदन यह है कि न्याय संगत बात करें। किसी के खिलाफ कोई सबूत न दें और उससे पहले कहें कि उसे फांसी पर लटका दिया जाय, यह जनतंत्र में नहीं चल सकता। मैं इस लिये निवेदन कर रहा था कि अगर हमारे नेता विरोधी दल के साथी यह महसूस करते हैं और जानते हैं कि किस मन्त्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उनको बड़े स्पष्ट रूप में बतादें क्योंकि इस सदन से ज्यादा अच्छा स्थान और अवसर दूसरा नहीं मिल सकता है। (व्यवधान)।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)---

आप पूछें कि नेता सदन आप से सहमत हैं ?

श्री केशरी लाल---

मैं आपसे कह रहा हूं ..... (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।...(व्यवधान)।

श्री ईश्वरी सिंह---

जनतन्त्र में जब तक आप कोई निश्चित तौर से भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं करेंगे तब तक आपकी बात कोई मानने की नहीं है। आपका आरोप उस वक्त तक भी कामयाब नही हो सकता है जब तक कि आप कोई निश्चित रूप से किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लायें। (व्यवधान)।

श्री त्रिवेणी सहाय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई चार्जेज लगाये जायेंगे और कोई सबूत पेश किया जायगा तो वह इस्तीफा देकर बाहर चले जायगे ..... (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मैं माननीय सदस्य से एक बात कहना चाहता हूं .... (व्यवधान)

श्री ईश्वरी सिंह--

दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने कही वह ठीक है कि शासक दल कुछ विरोधी दलों के और विशेषतौर से बी0 एल0 डी0 के लोगों पर दबाव डालता है और अपने दल में शामिल करना चहता है . . . . . (व्यवधान)।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं एक बात माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही। मान्यवर, तो यह किस भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। एक भ्रष्टाचार तो वह है जिस भ्रष्टाचार को वे लोग शिष्टाचार मान रखे हैं। कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ?

श्री ईश्वरी सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल से, आपके माध्यम से गौर करने का निवेदन करूंगा कि 1967 के बाद जब से कांग्रेस में विभाजन हुआ है, तब से इस शासक दल का कोई भी आदमी डिफेक्ट करके नहीं गया।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

आप चले गये थे।

श्री ईश्वरी सिंह--

मैं आपकी सिद्धान्त हीनता से ऊब कर चला आया था। डा0 राम मनोहर लोहिया जो मेरे दोस्त थे [* * * * * *]

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

आप डा0 राम मनोहर लोहिया का नाम न लीजिये।

[* * * * * * *]

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डा0 राम मनोहर लोहिया की बात क्यों कर रहे हैं .....

श्री ईश्वरी सिंह--

ये हुल्लड़बाजी करते हैं। [* * * *]

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

ये अपने शब्द वापस लें . . . . . .

श्री ईश्वरी सिंह--

हम इसको कतई सुनने को तैयार नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

ये अपने शब्द वापस लें, अन्यथा सदन की कार्यवाही नही चलनी दी जायेगी।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। ये अपने शब्द वापस लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये अपने शब्द वापस लें नहीं तो सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

डा० राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुष के लिये इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। ईश्वरी सिंह को उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्यवाही देख लूंगा। किसी भी नेता के सम्मान के विरुद्ध होगा तो उसको निकाल दूंगा।

श्री ईश्वरी सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह जो डिफेक्शन का सिलसिला विरोधी दल की ओर से शासक दल में चला है, उसका मूल कारण यह है कि शासक दल के अन्दर भी कुछ खराबियां हैं, कुछ उसकी नीतियां खराब हैं। यह डिफेक्शन ज्यादा है जब से विरोधी दलों ने सिद्धान्तहीन राजनीति को अपनाया है। इसी लिए विरोधी दल को छोड़कर शासक दल में आते हैं। इस चीज पर बुनियादी तरीके से सोचना होगा। जब कोई आदमी विरोधी पक्ष को छोड़ता है तो विरोधी पक्ष को दुख होना स्वाभाविक है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

ये डा० राम मनोहर लोहिया के बारे में ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बड़े भले आदमी हैं।

श्री ईश्वरी सिंह---

मैं मानता हूं कि विरोधी दलों के लोगों को उन्हें शान्ति से समझाना-बुझाना चाहिए, उन पर नैतिक दबाव डालना चाहिए, जिसका उन्हें पूरा अधिकार है, उन्हें अपने दल में लाने का उन्हें पूरा अधिकार है लेकिन उसकी कोई सीमा होती है। जनतन्त्र में और राजनीति में जब कि हम अहिंसा की बात करते हैं, जब कि हम महात्मा गांधी जी के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं तो वहां पर इस प्रकार की बातों का होना उचित नहीं है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे ठंडे दिल से सोचें कि आज लोग शासक दल की ओर क्यों आ रहे हैं? निसन्देह उनकी नीतियों में कुछ न कुछ गलितयां अवश्य हैं, या हमारी नीतियों की बुनियाद ही गलत है।

इसके बाद में उन्होंने कुछ ऐसी बुनियादी बातें कहीं जिनसे मैं सहमत हूं। उन्होंने सदन में बिजली के उद्योग की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा है कि जब तक खेती के लिये इस प्रदेश और देश में ज्यादा से ज्यादा बिजली नहीं मिलेगी, सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे, खेती की तरक्की नहीं हो सकती है। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि प्रदेश में बिजली का जो परसेंटेज खेती को मिल रहा है, वह बहुत ही

कम है लेकिन असली सवाल यह है कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय ? उनकी कल्पना है कि बड़े-बड़े पावर हाउसेज बनाने के बजाय यदि छोटे-छोटे साधन जुटाये जाते और सिंचाई के छोटे-छोटे साधनों की ओर ध्यान दिया होता तो शायद सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ जाता । हो सकता है कि उनका ऐसा अनुमान हो लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं । जब तक बिजली के थर्मल पावर हाउसेज नहीं बनेंगे या बड़े-बड़े बांध बनाकर बिजली का उत्पादन नहीं किया जायगा तब तक बहुत मात्रा में बिजली पैदा नहीं हो सकती है । उनका यह कहना कि 16 प्रतिशत बिजली ही देहातों को मिल रही है और 10 या 12 प्रतिशत खेती के लिये मिल रही है तो हमें उन परसेन्टेज को बढ़ाना है और इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिये हमें बिजली के उत्पादन की ओर ध्यान देना होगा । हमें एक ही साधन का उपयोग न करके सभी साधनों का उपयोग करना होगा चाहे वह गोबर गैस प्लान्ट हो, चाहे वह डीजल के इन्जिन हों या बड़े-बड़े बांधों का निर्माण हो । हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे प्राकृतिक साधन हैं, जिनको हमें पूरी तरह से उपयोग करना होगा ।

चौधरी चरण सिंह--

इस वक्त तो प्रश्न यह है कि खेती के मुकाबले में क्या बिजली इन्डस्ट्री को सही दी जा रही है ? उसका 5/6 हिस्सा दिया जा रहा है । आप इसको यों लेना चाहते हैं कि उत्पादन बढ़ना चाहिये । उत्पादन बढ़े या न बढ़े .। आज आप देखें कि खेती को 1/5 बिजली दी जाती है और उद्योग को 5/6 । करप्शन की हाउस में तहकीकात नहीं होती है ।

श्री ईश्वरी सिंह--

आप सही फर्मा रहे हैं । मैं तो कहना चाहता हूं कि खेती के लिये बिजली मिलनी चाहिए और उसे काफी प्रतिशत में और सस्ते दाम पर मिलनी चाहिए । लेकिन मेरी धारणा यह है कि खेती के लिये बिजली तब सस्ती मिल पायेगी जब उसका उत्पादन बढ़ेगा । उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि उद्योग को सस्ती बिजली मिल रही है और खेती को महंगी मिल रही है ।

भ्रष्टाचार के बारे में मैंने इसलिये कहा कि केवल भ्रष्टाचार की बात करते रहने से हम किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे । जब तक हम भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे नहीं इस समाज या राज से कोई भी भ्रष्टाचार को मानने वाला नहीं है । या तो भ्रष्ट के खिलाफ बात छोड़ देनी चाहिये नहीं तो मजबूती के साथ भ्रष्टाचार का सबूत रखना चाहिये वरना कोरा कैरेक्टर एसासिनेशन बेकार हो जाता है और उससे कोई लाभ नहीं मिलता है । धन्यवाद ।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का भाषण इस सदन में हुआ और पूरे वर्ष सरकार क्या करेगी इसके बारे में नीति विषयक बातें उन्होंने रखीं । परन्तु उनका भाषण केवल एक रस्मी तौर का हुआ । यह भाषण ही नहीं बल्कि एक मिथ्या अभिभाषण था और जितनी भी बातें इस भाषण के अन्दर कही गयी हैं आज पूरे समाज में वैसा कुछ भी नहीं दिखायी देता है । आज उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ 35 लाख जनता पूरी तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्य प्रकाश]

पीड़ित ह। सब से निन्दनीय काम जो इस सरकार ने किया है वह हम सब लोग जानते हैं। टैक्सों पर टैक्स यह सरकार लगाती चली जा रही है। पिछले 24 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ष 15 करोड़ रुपये जनता से टैक्सों के रूप में ज्यादा वसूल किया करती थी लेकिन इस वर्ष अगस्त के महीने में बजट पास करते समय 40 करोड़ के टैक्स लगाये गये और उसके बाद जब विधान सभा उठ गयी तो अगस्त से लेकर जनवरी तक विभिन्न अध्यादेशों द्वारा टैक्सों का बढ़ाया जाना बराबर जारी रहा और 110 करोड़ रुपये के टैक्स जनता पर ठोंके जा चुके हैं। एक ओर वनस्पति घी जो आम जनता के काम में आता है उस पर 7 प्रतिशत से सेल्स टैक्स बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया और मिल मालिकों के लिये उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर से परचेज टैक्स और बिक्री कर हटा लिया गया। फिर भी यह सरकार अपने आपको जनता की हिमायती सरकार कहती है। इससे बड़ा अन्याय जनता के ऊपर और कहां हो सकता है ?

चीनी का मामला हम सब जानते हैं। पिछले वर्ष माननीय मन्त्री जी ने साढ़े 7 परसेंट चीनी खुले बाजार में बेचने की इजाजत दी थी। उसका क्या औचित्य था ? उसका औचित्य केवल यह था कि कांग्रेस दल को चुनाव के लिये पैसा चाहिये था। यह छूट देकर मिल मालिकों से चन्दा लिया गया। इससे ही 11 करोड़ रुपये का मुनाफा मिल मालिकों को हुआ और उस रुपये से चन्दा लेकर इस कांग्रेस ने जनता को रिश्वत देकर चुनाव में वोट हासिल किये। उसका दुरुपयोग किया। यही नहीं, चीनी पर उत्पादन शुल्क की दर जो 26 प्रतिशत थी उसे चुनाव के दौरान घटाकर 20 परसेंट कर दी गयी। इससे जो पैसा बचा उससे चुनाव लड़ा गया। इस सब के बाद गवर्नर महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया कि उद्योग उन्नति कर रहे हैं, जनता को लाभ पहुंच रहा है। अखबारों के हेडिंग भरे पड़े हैं।

फूड कारपोरेशन को अगर लूट कारपोरेशन कहा जाये तो गलत न होगा। एफ0 सी0 आई0 ने पिछले वर्ष 3 माह का कोटा चीनी का नहीं उठाया और उससे करोड़ रुपये का लाभ मिल मालिकों को हुआ। सन् 1975 में करीब दो दर्जन कारपोरेशन्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्थापित किये हैं। यह कारपोरेशन्स भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं। जो लोग चुनाव में हार जाते हैं उन्हें ही इनका चेयरमैन बना दिया जाता है। उन्नाव के श्री गोपीनाथ दीक्षित चुनाव हार गये थे, उन्हें एक कारपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। हारे हुये लोगों को काम देने के लिये ही इनका निर्माण किया जा रहा है और यह भ्रष्टाचार के अड्डे बनते जा रहे हैं।

आज कल गन्ने का सीजन चल रहा है। पहले सरकार ने प्रदेश में क्रशर लगाने के लिये लोगों को उत्साहित किया। चीनी मिलें तो केवल 35 प्रतिशत गन्ना ही पेर पाती हैं। छोटे-छोटे उद्योगपतियों ने जब अपने पैसे से क्रशर्स लगाये और सरकार ने उनको लाइसेंस दिये, तो बाद में अब यह कह कर कि गन्ने की उपज कम हुई है, उनके लाइसेन्स रद्द कर दिये और आज लखनऊ में उन लोगों की अपीलें सुनी जा रही हैं। उनसे बीच-बीच में सौदा किया जा रहा है और जिससे सौदा पक्का हो जाता है उसको लाइसेन्स फिर दे दिया जा रहा है। इस तरह से काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। जिनसे बातें पक्की हो जाती हैं उनको लाइसेन्स दोबारा दे दिया जाता है। और गन्ना विभाग के अन्दर, चीनी

विभाग के अन्दर इन्सपेक्टर से लेकर आफिसर तक जितने लोग हैं सब ने गन्ने के क्रशर्स लगाने के लाइसेन्स देने के लिये लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया है और उसके बाद भी जैसे तैसे जब गन्ने का सीजन शुरू हुआ, गन्ने की पेराई शुरू हुई, उसके बाद हम लोगों को बतलाया गया कि उन पर 33 प्रतिशत की लेवी लगा दी गयी है। अगर लेवी लगाना ही था तो गन्ने का पूरा सीजन हो जाता, सारे के सारे गन्ने पेर जाने देते। इसकी वजह से आज काश्तकार परेशान है हमारा रुपया गया और मजदूर भी जो उसमें लगे हुये थे वे परेशान हैं। जो गांव छोड़ कर क्रशर्स में काम करने के लिये दूर-दूर से आये थे। लेवी आदेश लागू होने की वजह से तमाम क्रशर्स बन्द हो गये, जिससे आज मजदूर खाली बैठे हैं, आज किसान का गन्ना बिना पेरे हुए पड़ा है। इससे पूरे प्रदेश के अन्दर 5 लाख से अधिक परिवार आपके एक फरमान के कारण भूख के द्वार पर खड़े हैं और तबाह हैं। काश्तकारों के खेतों में गन्ने खड़े हैं और अपने एक फरमान की वजह से आपने यह स्थिति बना रखी है। इसको तो मैं केलकुलेटेड मिसचीफ ही कहूंगा। और कुछ नहीं, जानबूझ कर यह सब किया गया है। इससे चीनी उद्योग तबाह हो जायेगा। आप गांवों के अन्दर जाकर देखें, किसानों का गन्ना उनके खेतों में सूख रहा है और इस प्रकार से जो क्रशर्स लगाने वाले लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपये लगा कर अपना धंधा शुरू किया था वे आज परेशान हैं तथा आपके आदेश ने लाखों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। आपकी इस ज्यादती की वजह से प्रदेश की सारी जनता इस निकम्मी नीति के कारण त्रस्त है व परेशान है।

दूसरी बात बिक्री-कर के सम्बन्ध में निवेदन करनी है कि गन्ना मन्त्री ने बिक्री-कर की वसूली के लिये जो आदेश जारी किया है उससे प्रदेश की जनता और व्यापारी दोनों के दोनों परेशान हैं। यहां से आदेश गया कि वसूली की जाय। उन लोगों से वसूल नहीं किया गया जिनके ऊपर 10-10, 20-20 हजार व लाखों रुपये बाकी हैं लेकिन जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, जिनकी गर्दन मुलायम है उनसे कहा गया है कि अपना बकाया रुपया दे दो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही सख्त की जायेगी। पिछले 24 वर्ष की सरकारों ने जितना भी चाहा लूटा लेकिन इन 25 वर्ष में तो इस बहुगुणा सरकार ने जो कुछ किया है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय थोड़ी है। इस प्रदेश की जनता के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। सेल्स टैक्स के अन्दर सेल्स टैक्स लागू कर दिया गया है। इतनी बड़ी ज्यादती किसी भी प्रदेश या देश के अन्दर नहीं हुई है। ऐसा निकम्मा कानून किसी भी देश या प्रदेश में नहीं मिलेगा जहां टैक्स के ऊपर टैक्स जोड़ा गया हो।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्दर श्री सत्य प्रकाश जी से सूचना मिली है--"कुटीर उद्योग क्षेत्र की खांडसारी इकाइयों पर 33 प्रतिशत लेवी लगाने से उत्पन्न संकट।"

इसको मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। शेष को अस्वीकृत कर दिया है।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
19 फरवरी, 1975।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

संलग्नक

जिलाधिकारी, बस्ती ने अपने पत्र दिनांक 12 फरवरी, 1975 द्वारा सूचित किया कि अध्यापकों की मांगें निम्नलिखित हैं :

(1) संस्था के वर्तमान प्रबन्धक श्री शिव हर्ष उपाध्याय को हटाया जाय।

(2) बकाये तीन महीने के वेतन का अविलम्ब भुगतान किया जाय।

(3) पोषण निधि एवं जीवन बीमा की कटौती की गयी धनराशियों के घोटाले की जांच एवं क्षतिपूर्ति की जाय।

(4) दो शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश वापस लिये जायं।

(5) बलपूर्वक लिये गये त्याग-पत्र को वापस लिया जाय।

(6) डिमान्स्ट्रेटरों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की जाय।

(7) वार्षिक वेतन वृद्धि एवं सेवा सम्पुष्टि की धांधली की समाप्ति।

(8) अस्तित्वहीन प्रबन्ध समिति को भंग करके साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की जाय।

परची "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ. 117 पर)

2--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में न तो इस आशय के किसी प्रभावी विधायन का संकेत किया, जिसे कि शासन के राजनैतिक नेतृत्व में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो सके और न ऐसी कोई व्यावहारिक योजना प्रस्तुत की जिससे कि प्रदेश आर्थिक दृष्टि से प्रगति की ओर बढ़ सके ।"

3--श्री भीखा लाल, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री रघुनाथ, श्री चन्दन सिंह, श्री रामसजीवन, श्री जफरआजमी, श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री सन्त सिंह, यूसुफ, श्री फजलुर्रहमान अन्सारी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग --

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया--

1--चीनी मिलों के अविलम्ब राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में,

2--हिन्डालकों, सूती मिलों व वनस्पती उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में,

3--प्रदेश मे खाद्यान्नों के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में,

4--किसानों तथा छोटे उद्योगों की बढ़ हुई बिजली की दरें तथा बिजली की मोटरों पर लगाये गये टैक्स को वापस लेने के सम्बन्ध में,

5--सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणो के कर्मचारियों की छटनी रोकने के सम्बन्ध में,

6--माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में,

7--खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

8--जीवनोपयोगी वस्तुओं की वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के सम्बन्ध में,

9--हरिजनों तथा समाज के निर्बल वर्ग पर पुलिस तथा असामाजिक तत्वों के अत्याचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

10--प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

11--टिहरी डेम को जल्द निर्माण करने एवं विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में,

12--प्रदेश के आर्थिक संकट को दूर करने के लिये अर्थ-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में,

13--भूमि सुधारों के ठीक तौर से लागू कराने, अवैध कब्जों को हटाने तथा सीलिंग कानून से चोरी से बचाई गई जमीनों को निकालने के सम्बन्ध में,

14—प्रदेश के पिछड़े इलाकों को अन्य भागों के समकक्ष लाने के लिये विशेष योजनाओं के सम्बन्ध में,

15—चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों के गन्ने का मूल्य की बकाया की आदायगी के सम्बन्ध में ।

4—चौधरी राम पाल सिंह यादव, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री जमुना प्रसाद बोस ।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का समावेश नहीं किया—

(1) सवा छः एकड़ पर पुनः लगाए गए लगान को समाप्त करना,

(2) विकास-कर समाप्त करना,

(3) दाम–बांधों नीति तथा खेती एवं उद्योग से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में संतुलन,

(4) बेकारों को काम या बेकारी का दाम देना,

(5) चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण,

(6) माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण,

(7) आमदनी एवं खर्च की सीमा कम से कम 150 एवं अधिक से अधिक 1,500 रुपया करना,

(8) हरिजन एवं खेतिहर मजदूरों को भूमि एवं भवन की व्यवस्था,

(9) हरिजनों के लिये निर्धारित सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी नौकरियों में सुरक्षित स्थान पूरा करना,

(10) राजनीतिक एवं सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों, हरिजनों, एवं महिलाओं को विशेष अवसर के आधार पर स्थान देना,

(11) प्रदेश की सभी कृषि भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था करना,

(12) भूमि सेवा का गठन,

(13) पूर्वी जिले, बुन्देलखंड, पहाड़ी जिले तथा अविकसित क्षेत्र को तत्काल विकसित करने की योजना,

(14) पूरे प्रदेश में एक सूत्रीय बिक्री-कर की व्यवस्था,

(15) डा0 लोहिया द्वारा घोषित समाजवादी व्यवस्था की तत्काल स्थापना ।"

5—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद हैं कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—

1—बहराइच जनपद के सिरसिया, हरिहरपुर रानी विकास खंड में में एक भी राजकीय ट्यूबवेल नहीं हैं अतएव वर्ष 1975–76 में उक्त क्षेत्रों की उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए रिग मशीन भेजकर ट्यूबवेल निर्माण कराए जायेंगे और गेरहा तथा हथिया कुन्डा एवं सूर्य कुन्डा पहाड़ी नालों पर पक्की बंधियां बनाई जायेंगी ।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

2--बहराइच जिले के रिसिया, हरिहरपुर रानी एवं इकौना, चर्दा, जमुनहा विकास खंडों में भयंकर सूखे से भुखमरी को स्थिति कई माह से पैदा है इसलिये तुरन्त टेस्ट वर्क एवं प्रत्येक न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायेंगी।

3--शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके उसे उद्योग कारक बनाया जायेगा।"

6--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में--

(1) पर्वतीय अंचल के पिछड़ेपन को देखते हुए और वहां की विशेष भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष विकास योजनाओं का उल्लेख नहीं किया,

(2) राम गंगा, गण्डक एवं यमुना परियोजनाओं की चर्चा तो की है परन्तु इस बात की स्पष्ट घोषणा नहीं की टिहरी बांध परियोजना को चालू रखने के लिये सरकार के पास वित्तीय संसाधन है अथवा वह इस परियोजना को बन्द करने जा रही है। इस अनिश्चितता के कारण हजारों परिवार डावांडोल की स्थिति में हैं और पूरे जिले का विकास अवरुद्ध है,

(3) समस्त पर्वतीय अंचल में इस प्रकार मैदानों के बड़े-बड़े पूंजीपति वहां के, प्राकृतिक साधनों और विशेष कर जंगलों और खनिज पदार्थों की लूट कर रहे हैं और उसकी रोकथाम करने के लिये सरकार की क्या योजना है उसका जिक्र नहीं किया,

(4) यह भी नहीं बताया है कि जिला उत्तरकाशी में बोयाली जंगल के बन मजदूरों के आन्दोलन के बाद सरकार ने चिरानी, ठुलानी और बहानी मजदूरों की जो मजदूरी की दरें तय की थीं वह किसके दबाव में खतम कर दी गई,

(5) इस बात को देखते हुए कि जिला टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी जो पहले एक देशी राज्य था और जहां राजा के जमाने में पहले ही अन्य पड़ोसी पर्वतीय जिलों के मुकाबले लगान की दरें बहुत अधिक थीं, उसी पुरानी दर पर मालगुजारी को लगाने का क्या औचित्य है और पहाड़ी क्षेत्र में जहां भूमि सबसे कम उपजाऊ है और जहां कृषि विकास पर सबसे कम खर्च किया गया है वहां विकास-कर क्यों लगाया गया है--इसे स्पष्ट नहीं किया है।

(6) यह घोषणा नहीं की है कि देश के बड़े धन्नासेठों में से एक बिजौदिया को पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जो नाम मात्र की कीमत पर चीड़ की लकड़ी दी जा रही है वह नहीं दी जायगी,

(7) इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि पूरे पर्वतीय अंचल में जिस बेरहमी के साथ जंगलों का कटान हो रहा है जिस कारण कि व्यापक पैमाने में भू-स्खलन हो रहा है उसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है,

(8) न ही इस बात का जिक्र किया है कि इतने वर्ष बाद बार–बार सरकारी आश्वासनों के बावजूद भी जिला टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली के प्राथमिक और पूर्व–माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की समस्यायें क्यों नहीं सुलझाई जा रही हैं ?

(9) न हीं इस बात का कोई स्पष्टीकरण दिया है कि जिला देहरादून जो सीमेन्ट का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित था वह क्यों निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है ।"

7––श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय––

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का जिक्र नहीं किया है कि––

1––जिला बाराबंकी स्थित बुढ़वल चीनी मिल पर किसानों का लगभग 1 करोड़ रुपया बकाया तथा भुखमरी की स्थिति होने पर भी सरकारी देयों की किसानों से वसूली।

2––जिला बाराबंकी में शारदा सहायक परियोजना दरियाबाद शाखा के अन्तर्गत अर्जित की गयी भूमि, मकान व बाग आदि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया जब कि किसानों से लगभग दो वर्ष पूर्व कब्जा लिये जाने पर भी अर्जित की गई भूमि का लगान व विकास कर सख्ती से वसूल किया जाना।"

8––श्री शारदा भक्त सिंह––

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित बढा दिया जाय––

"किन्तु खेद है कि जन–जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के कोई ठोस पग उठाने का संकेत नहीं किया है,

(2) मंत्रियों, विधायकों तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की सम्पत्ति के वार्षिक ब्यौरे के प्रकाशन की व्यवस्था करने का संकेत नहीं है ,

(3) सवा छः एकड़ जोत पर लगान न लिये जाने का कोई संकेत नहीं है,

(4) गन्ने का मूल्य बढ़ाने का कोई संकेत नहीं है,

(5) शराब–बन्दी सारे प्रदेश में लागू करने का संकेत नहीं है,

(6) गुन्डा ऐक्ट एवं मिसा के अन्तर्गत विद्यार्थियों एवं राजनैतिक विरोधियों की गिरफ्तारी न किये जाने का संकेत नहीं है ।"

9––श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा––

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय––

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में––

1––बांदा जिले की कर्बी तथा मऊ तहसीलों को सूखा क्षेत्र घोषित करने की,

[श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा]

2—मऊ तथा कर्वी तहसील के पाठा क्षेत्र में पर्याप्त गल्ले की व्यवस्था करने की,

3—बांदा जिले की मऊ तथा कर्वी तहसील के किसानों से जो सूखा पीड़ित तहसीलें हैं एक मुस्त लगान, तकावी, विकास टैक्स न वसूल करने की,

4—राजापुर (बांदा) में राजकीय डिग्री कालेज खोलने का।

सत्यमेव जयते

स्टी० एस० यू० पी०—एल० 93 वि० सभा—(507)—1975—0845 i